खण्ड-326, अंक-8
गुरूवार, 17 भाद्रपद, शक संवत् 1899
(8 सितम्बर, 1977 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 326 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.. 681–686
प्रश्नोत्तर	. .686–711
भूतपूर्व सदस्य श्री के0 के0 नायर तथा श्री प्रभु दयाल के निधन पर शोकोद्गार	711–714
प्राइमरी पाठशाला, इसरौली, जिला बाराबंकी की छत गिर जाने से 8 बच्चों के घायल हो जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. 714–715
स्वदेशी मिल, कानपुर की तालाबन्दी से मजदूरों की बेकारी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	715
कुत्ता काटने की दवाओं के अभाव में श्रीमती मन्जू की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. 715–717
नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के मुख्य प्रशिक्षण स्थल को बदलने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. 717–718
देवरिया में घाघरा नदी के कटाव से उत्पन्न स्थिति के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	.. 718–721
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	.. 721–723
राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	723
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	.. 723–724
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1977 (पुरःस्थापित किया गया)	.. 724
गाजियाबाद और मोदीनगर, मेरठ के श्रमिक मजदूरों में अशान्ति तथा हरित इण्डस्ट्रियल वर्क्स के मजदूरों के संघर्ष में चार व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ..	.. 724–728
जिला कानपुर नगर एवं कानपुर देहात के एकीकरण से उत्पन्न स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन की जानकारी में लाना ..	728–735
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 (विचारोपरान्त पारित) ..	736–760
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 (विचारोपरान्त पारित)	.. 760–768
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 (विचारोपरान्त पारित)	.. 769–781

विषय		पृष्ठ संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	.. .. ..	781–782
शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के अशासकीय जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के समर्थन में प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा की गयी गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	782–788
गोरखपुर वन प्रभाग की नीलामी के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	..	789–793
सदन के कार्य-क्रम की सूचना	.. .. ..	793–794
नत्थी	.. .. ..	795–796

अविकल प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 8 सितम्बर, 1977

—

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—370

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नारायण, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
इन्द्रमणी बड़ोनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री

एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री

ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोण्डा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त वाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेन्दा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री

नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा 'अरविन्द', श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण; श्री
बिन्दू लाल; श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस; श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही' श्री
भगवती प्रसाद सिंह; श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खा)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री

मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राज पति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम पति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शरन सिंह, कुंवर
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
रामं सागर, श्री

राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, मती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री) (उर्फ भुलई भाई
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्धू)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिं, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पीपल)
सोहन लाल, श्री
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्श्रीद सिंह,
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री

हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)	हाकिम लाल, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री	हामिद रजा खां, श्री
हरी राम वर्मा, श्री	हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हरी राम शाक्य, श्री	हुक्म सिंह श्री परिहार,
हरी सिंह, श्री	हेमराज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव तथा विद्युत् मन्त्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही भी सदन में उपस्थित)।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 8 सितम्बर, 1977

तारांकित प्रश्न

*1—श्री अठई राम—

[3वे गुरुवार के लिए स्थगित।]

औद्योगिक मजदूरों को बोनस भुगतान अध्यासम्बन्धी देश

*2—श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)

क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक मजदूरों को जो 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस इमरजेन्सी के दौर में दिया जाना बन्द कर दिया गया था क्या सरकार वह न्यूनतम बोनस मजदूरों को फिर से दिए जाने की मांग पर चार कर रही है? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है?

श्रम मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

जी हां, भारत सरकार ने बोनस भुगतान (संशोधन) वअध्याशि, 1975 द्वारा न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत की दर से दिया जाना समाप्त कर दिया था।

जी हां, भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि न्यूनतम बोनस की दर 8.33 प्रतिशत कर दी जाय। अध्यादेश जारी हो गया है।

श्री राम दत्त जोशी—

क्या श्रम मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 8.33 प्रतिशत बोनस देने के लिए जो अध्यादेश जारी किया गया है, वह आर्थिक वर्ष 1975-76 के लिए है या 1976-77 के लिए है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

1976-77 के लिए है।

श्री राम दत्त जोशी—

क्या माननीय श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि 8.33 प्रतिशत बोनस भुगतान कराने के लिए जिस प्रकार प्रादेशिक सरकार गजट, नोटिफिकेशन जारी करती थी, वह जारी करने का विचार है?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

भान्यवर, वह तो भारत सरकार का अध्यादेश आ गया है और कोई जरूरत नहीं है इसकी।

श्री राम दत्त जोशी---

मैं जानना चाहता हूं कि यह भुगतान कब तक हो जाने की आशा है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी---

शीघ्रातिशीघ्र।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह देखते हुए कि जो बोनस मंजूर हो गया है, उसकी अदायगी भी समय से हो जाय, इस बात के ऊपर भी सचेत रहने की कृपा करेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

इसके लिए सचेष्ट रहेंगे।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

चूंकि अभी यह घोषणा हुई है कि 1976-77 के लिए 8.33 परसेन्ट लागू होगा, ऐसी व्यवस्था क्यों है ? क्यों नहीं आज्ञा दी जाती है कि बराबर के लिए लागू हो, न्यूनतम और अधिकतम ? दूसरे, इसी सिलसिले में न्यूनतम तय हो गया और अधिकतम 20 फीसदी तय हो गया तो कितने फीसदी ऐसे संस्थान हैं, जो 8.33 से ज्यादा देते हैं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, 8.33 मिनिमम बोनस जो है, यह डैफर्ड वैज रहेगा। घाटा हो या नफा हो, यह कालान्तर में भी चालू रहेगा। इस वक्त यह नहीं बतला सकता हूं कि कितने इन्डस्ट्रियल यूनिट्स इस 8.33 परसेन्ट बोनस को दे सकेंगे, चाहे एलोकेबिल सरप्लस हो या न हो। उससे ज्यादा 20 परसेन्ट तक कितने इन्डस्ट्रियल यूनिट्स देंगे, इसके लिए समय चाहिए।

श्रीं श्याम धर मिश्र---

मेरा सवाल यह था कि 8.33 परसेन्ट एक साल के लिए मन्त्री जी ने कहा कि 1976-77 पर लागू होगा। क्यों नहीं कहा जा रहा है कि जैसे 20 प्रतिशत अधिकतम लागू है, वैसे ही 8.33 बराबर के लिए सब के लिए लागू किया जाय ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

8.33 परसेन्ट तो सबके लिए लागू है मिनिमम।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

जब से अध्यादेश जारी हुआ है, तब से लेकर अब तक कुछ प्रतिष्ठानों ने बोनस दे दिया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

इसके लिए सूचना चाहिए, नाम और नम्बर बतलाना है।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितनी तारीख तक बोनस मिल जायगा, कर्मचारियों को ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

अन्तिम तारीख मैं नहीं दे सकता। इस समय इस परिस्थिति में नहीं हूं कि हर इन्डस्ट्रियल यूनिट में किस तारीख तक मिनिमिम बोनस दे दिया जायगा, यह बता सकूं।

श्री बाबू बदरे—

किसी भी फैक्टरी में किस तारीख से शुरू होगा, तारीख की घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर दे दिया कि कोई तारीख निश्चित नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मजदूरों को जो 8.33 परसेन्ट बोनस की घोषणा हुई है, उसके लिए तो हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं लेकिन क्या माननीय मन्त्री जी और सरकार इस बात के लिए भी प्रयत्नशील है कि कुछ और भी इन्डस्ट्रियल लेबर हैं, जो बोनस की परिधि में नहीं आते हैं लेकिन उनकी डिमांड बोनस प्राप्त करने की हमेशा रही है, तो क्या इस सम्बन्ध में भी वह विचार करेंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, अगर ऐसी इन्डस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो बोनस ऐक्ट की परिधि में नहीं आती है, उनके बारे में मुझे कुछ समय चाहिए।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

ऐसा आभास हो रहा है कि जिस तिथि से बोनस देना बन्द किया गया था और अब पुन : चालू किया गया है उस बीच में कोई समय रह गया है। तो क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से प्रयत्न करेगी कि इस बीच के समय का भी बोनस दे दिया जाय ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

सितम्बर, 1975 में इमरजेन्सी के दरमियान में वह संशोधन हुआ था कि जब तक एलोकेबिल सरप्लस न हो तब तक बोनस न दिया जाय। अब वह परिस्थिति बदल गयी है। उस बीच का बोनस दिलाने का प्रश्न नहीं उठता है।

इंडियन वुड प्रोडक्टस फैक्ट्री, इज्जतनगर, बरेली के कर्मचारियों की हड़ताल

*3—श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन वुड प्रोडक्टर्स (IWP) पुराना कत्था फैक्टरी, इज्जतनगर, बरेली के श्रमिकों की पिछले सौ (100) दिन से अधिक से चल रही हड़ताल को समाप्त करने हेतु सरकार के श्रम विभाग ने कोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

इस प्रति ठान में दिनांक 23 मई, 1977 से 12 अगस्त, 1977 तक ह ;ताल रही। हड़ताल को समाप्त कराने हेतु शासन के हर स्तर से प्रयास किए गए। अन्तत : श्रम मन्त्री के हस्तक्षेप से 12 अगस्त, 1977 को उभय पक्षों में समझौता हो गया तथा 13 अगस्त, 1977 से प्रति ठान में कार्य प्रारम्भ हो गया है।

श्री हामिद रजा खां--

इस दृष्टिकोण से कि कत्था अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कमाने वाली चीज है उसमें और श्रमिकों की भी हानि हुई, श्रम विभाग ने इसको समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जसा कि मैंने अभी निवेदन किया था 23 मई, 1977 से यह हड़ताल शुरू हुई थी। तब यह वर्तमान शासन नहीं था। हम लोगों के हर स्तर पर प्रयास करने के बाद वहां प्रोडक्टिविटी बोनस तय किया गया ? इन चीजों में समय लगता है। जल्दी से जल्दी हड़ताल समाप्त हो गयी।

श्री रियासत हुसन--

क्या माननीय मन्त्री जी उन टर्म्स को बतलायेंगे जिन टर्म्स के ऊपर वह हड़ताल समाप्त हुई, जिस पर मन्त्री जी के स्वयं हस्ताक्षर हैं ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। हस्तक्षेप के माने हस्ताक्षर नहीं होते। मगर टर्म्स बतलाता हूं। 14 शर्तें हैं, मैं मुख्य बतलाए देता हूं। मुख्य यह है कि 275 टन कत्था सालाना उत्पादन करने पर, चूंकि प्रोडक्टिविटी से लिंक किया गया है, 8.33 परसेन्ट बोनस पाने के एलिजिबिल होंगे और अगर ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो प्रोपोर्शनेटली ज्यादा।

श्री राम दत्त जोशी--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि समझौते में क्या-क्या मांगें मंजूर हुई ?

श्री अध्यक्ष--

आप संक्षेप में बतला दीजिए, पूरा बतलाने की जरूरत नहीं है।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, 4.33 एडवान्स उनको दे दिया गया और 4 अब दे करके, 8.33 पूरा कर दिया गया और यह कह दिया गया कि अगर गवर्नमेंट आफ इन्डिया 8.33 मंजूर कर लेगी, तो एडवान्स इसमें सेट आफ कर दिया जायगा।

श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)--

मान्यवर, इस हड़ताल के बाद कितने मजदूर बर्खास्त किए गए, वहां से ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, यह तो शर्तों में है कि कोई विक्टिमाइज नहीं किया जायगा।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोई ऐसी भी मांगे हैं, जो स्वीकार नहीं की गयीं ? यदि हां, तो वह कौन सी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

श्रीमन्, एक भी ऐसी मांग नहीं थी, जो स्वीकार नहीं हुई।

पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के कर्मचारियों पर परिवार नियोजन विशेष उपबन्ध नियमावली का लागू किया जाना

*4--श्री प्रदीप कुमार बजाज (जिला देवरिया)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा में पदधारकों पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (परिवार नियोजन से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध) नियमावली, 1976 शासन के नगरपालिका विभाग द्वारा दिनांक 6 अगस्त, 1976 से लागू की गयी ? क्या यह सच है कि उक्त दिनांक के पूर्व से ही आयुक्त एवं निदेशक, स्थानीय निकाय ने इस नियमावली को उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के कर्मचारियों पर लागू कर दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

शासन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा (परिवार नियोजन से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध) नियमावली, 1976 पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों पर शासनादेश दिनांक 6 अगस्त, 1976 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से लागू की गयी थी। यह नियमावली सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 जुलाई, 1976 से लागू की गयी थी। इसी के अनुसार और स्वायत्त शासन अनुभाग-1 के आदेश संख्या 5951-टी/9-1-258-सा-76, दिनांक 19 जून, 1976 के अनुपालन में निदेशक, स्थानीय निकाय ने दिनांक 24 जुलाई, 1976 को एक परिपत्र जारी किया था जिसमें प्रोत्साहन तथा हतोत्साहन से सम्बन्धित निर्देशों का उल्लेख था। उन्होंने ऐसा परिवार नियोजन कार्यरूप को सफल बनाने के उद्देश्य से किया था।

श्री प्रदीप कुमार बजाज--

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री जी को पता है कि स्थानीय निकाय द्वारा जो आदेश निर्गत हुआ था, वह सिर्फ प्रोत्साहन तथा हतोत्साहन से सम्बन्धित नहीं था बल्कि परिवार नियोजन में सख्ती बरतने का था और जो वित्त विभाग द्वारा निर्गत 2 जुलाई का आदेश था, वह उसी का हूबहू नकल था, इसको लागू करने में डायरेक्टर सक्षम भी नहीं थे, यह कार्य नगर पालिका विभाग का था।

श्री अध्यक्ष--

माननीय प्रदीप कुमार जी आप प्रश्न पूछें, यह तो आप पढ़ रहे हैं।

श्री प्रदीप कुमार बजाज--

मान्यवर, जब यह लागू कर दिया गया था 6 अगस्त को तो फिर यह दिनांक 24 जुलाई, 1976 को फिर क्यों किया ? यह प्रोत्साहन तथा हतोत्साहन का प्रपत्र नहीं था बल्कि परिवार नियोजन में कड़ाई बरतने का प्रपत्र था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैंने जो मूल उत्तर दिया है, इसका उत्तर तो उसी में निहित है। निदेशक स्थानीय निकाय जो पत्र जारी किए थे, किन-किन तारीख को जारी किए थे, इसका भी विस्तार से हवाला मैंने अपने मूल उत्तर में दे दिया था।

श्री प्रदीप कुमार बजाज--

मान्वर, यह किस आदेश के विरुद्ध था ?

श्री अध्यक्ष---

यह तो उत्तर दे चुके हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैंने मालूम किया, सारे स्थानीय निकाय के जितने कर्मचारी थे, उनमें से केवल 2 के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी थीं। यह कार्यवाही निदेशक महोदय ने नहीं किया था। इटावा के नरेश बाबू मीटर रीडर थे, जिनको कि परिवार नियोजन न अपनाये जाने के कारण सेवा से पृथक किया गया था और दिनांक 2 जुलाई, 1977 से उनको सेवा में पुन: ले लिया गया है। दिनांक 1 अक्तूबर, 1976 और 2 जुलाई, 1977 तक का अवकाश स्वीकार कर के उनके वेतन का भुगतान कर दिया गया है। दूसरा केस टाउन एरिया कमेटी, बाराबंकी का है। श्रीमती खातून, पत्नी नजीर, यह सफाई कर्मचारी हैं, इनके सम्बन्ध में परिवार नियोजन से सम्बन्धित कार्यवाही की गयी थी और 1 जनवरी, 1977 को इनको सेवा निवृत्त कर दिया गया था। लेकिन 15 जुलाई, 1977 को इनको पुन : सेवा में ले लिया गया है। इस प्रकार से निदेशक के कार्यालय से किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। जिन दो कर्मचारियों के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई स्थानीय नगरपालिका और टाउन एरिया ने की थी। जो भी कार्यवाही की गई थीं, उसको समाप्त कर इनको सेवा में ले लिया गया है और एक का भुगतान भी कर दिया गया है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

अध्यक्ष महोदय, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई वह निदेशक के पत्र के अनुसार ही की गई है। जो आदेश अगस्त में शासन द्वारा दिया गया है, उसको पहले से लागू करने का उनको अधिकार था या नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, जो कुछ कार्यवाही निदेशक ने किया है वह शासन के आदेश के अन्तर्गत किया। शासन ने जो कुछ आदेश जारी किए थे, उसको जानकारी सभी माननीय सदस्यों को है। तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने जो कुछ किया, उसमें जुल्म और तानाशाही का रुख अपनाया गया। आज के माननीय नेता विरोधी दल, उस समय के मुख्य मन्त्री के जो आदेश थे उसके अनुपालन में सरकारी कर्मचारियों ने कार्यवाही की थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, जिन आदेशों का उल्लेख माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने किया है और जिसका उल्लेख इस प्रश्न में है, उसको सिद्धान्त सन् 1967 में संयुक्त विधायक मन्त्रि-मण्डल ने स्वीकार किया था और 18 फरवरी, 1968 को संयुक्त विधायक मन्त्रि-मन्डल के जो

मुख्य मन्त्री थे उनके आदेश से सभी विभागों को एक परिपत्र गया था कि इस प्रकार नियमावली बनाई जाय कि जिनके 3 बच्चों से अधिक हैं, उनको तरक्की रोकी जाय ? क्या सन् 1968 में ऐसा निर्णय लिया गया था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जो कुछ निर्णय हुआ, पूर्व की सरकारों ने लिया, अपनी जगह पर सही है । लेकिन पूर्व की सरकारों ने कभी यह निर्णय नहीं लिया कि जबरदस्ती नसबन्दी करायी जाय। तानाशाही लगाकर आपातस्थिति लगाके,मौलिक अधिकारों का हनन करके, इस देश के प्रधान मन्त्री और आज के विरोधी दल के नेता ने जबरदस्ती नसबन्दी कराई। अब जो कुछ भी इन लोगों ने किया, उसका देश और प्रदेश की जनता ने वोट के जरिए जवाब देकर उत्तर दे दिया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या मैं माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी से यह आग्रह कर सकता हूं कि कृपया इस सदन के शान्त वातावरण, गम्भीर वातावरण को अधिक अशान्त करने वाले उत्तर देने की कोशिश न करें ?

श्री राजेन्द्र कुमार—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समय केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की नीति इस प्रकार की है कि परिवार नियोजन के काम में किसी भी प्रकार का जुल्म न किया जाय ? मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह अब इस नियमावली को निरस्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह प्रश्न तो विचाराधीन है। लेकिन निश्चित रूप से जो केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री श्री राजनारायण जी हैं, उन्होंने जो नीति निर्धारित किया है और जिसके सम्बन्ध में प्रादेशिक सरकार को कुछ आदेश प्राप्त हुए हैं और परसों लन्दन में जब वह थे, तो उन्होंने चर्चा किया है कि लोग संयम रखें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी जो केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के बारे में कह रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार की इस सम्बन्ध में क्या स्पष्ट नीति है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, स्पष्ट नीति यह है कि किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती इस सम्बन्ध में नही की जायेगी।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने सफाई मजदूर नसबन्दी से मर गए हैं। उनको मुआवजा क्या दिया गया है ? यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, मानीय मन्त्री जी ने जितनी राष्ट्रीय नीतियों का उल्लेख किया और केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री का जिक्र किया, तो क्या स्पष्ट नहीं है उन आदेशों के विपरीत यह परिपत्र जारी हुए थे ? और उनके निरस्त करने पर विचार करना है, जबकि राष्ट्रीय नीति के विपरीत उत्पी ;न के आदेश जारी किए गए थे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि शासन की स्पष्ट नीतियों के खिलाफ तनिक भी जोर जबरदस्ती की नीति नहीं अपनाई जाएगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री का आदेश है और शासनादेश पहले के हैं उनके अन्तर्गत किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। आपके अनुसार पहले के शासनादेशों को निरस्त किया जाय तो इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, क्या सरकार की यह नीति स्वायत्त शासन विभाग की है कि अब परिवार नियोजन के मामलों में कोई इन्सेन्टिव और डिसेन्टिव नहीं दिए जायेंगे ? क्या यह योजना समाप्त कर दी जाएगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैंने शु ु में ही कहा कि प्रेरणास्वरूप यह कहा जा रहा है कि लोग संयम अपनायें। लेकिन जो निरुत्साहित या हतोत्साहित करने के सम्बन्ध में कहा गया, तो इस सम्बन्ध में शासन आदेश नहीं जारी करेगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी प्रश्न यह है कि, यह बतलाया जावे कि परिवार नियोजन को कार्यान्वित करने के लिए सरकार की तरफ से इन्सेटिन्व या डिसेन्टिव दिए जायेंगे या नहीं ? संयम नहीं, वह कोई इसेन्टिव नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जो इन्सेन्टिव की बात की गयी है, तो यह सारे प्रश्न विचाराधीन हैं। जो कृष्णा राय जी ने शुरू में पूछा था, वह भी प्रश्न विचाराधीन है, लेकिन अन्त में जो मैनेजर सिंह ने सुझाव दिया उसको देखते हुए सरकार ने शीघ्र ही जो राजाज्ञा प्रसारित की थी, उसको निरस्त करने का निर्णय लिया जाएगा। जो श्री तिवारी जी का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में भी हम विचार करेंगे।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन का पुरानी सरकार का जबरन जोर दवाब से परिवार नियोजन किया और जनता ने इसलिए उस सरकार के टुक ड़े कर दिए। लेकिन मंत्री जी ने जो संयम की व्यवस्था के लिए कह रहे हैं, तो उसकी क्या मन्त्री जी सरकारी तौर पर कोई नीति बना रहे है, जिससे जबरदस्ती न हो ?

श्री अध्यक्ष---

इसका मन्त्री जी उत्तर दे चुके हैं कि कोई जबरदस्ती नही की जाएगी।

नैनीताल जिले में विद्युत् विहीन बिजली के खम्भे व तार

*5---श्री राम दत्त जोशी---

क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के रामनगर व कालाढूंगी तहसीलों में ऐसे कितने गांव हैं जहां आर्थिक वर्ष 1973-74 में लक ी के अस्थायी खम्भों पर बिजली के तार तो लगा दिए गए, लेकिन उनमें अभी तक विद्युत् धारा प्रवाहित नहीं होती ? यदि हां, तो क्या विद्युत् मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विद्यत् विहीन तारों से लैस खम्भे ख ; करने का क्या कारण था ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)---

नैनीताल जनपद की राम नगर तथा कालाढूंगी तहसीलों में ऐसे कोई ग्राम नहीं हैं जहां वर्ष 1973-74 में लाइन बनाई गई हो और अभी तक चालू न की गई हो।

श्री राम दत्त जोशी---

मान्यवर, मैं इस सदन को अपनी निजी जानकारी की सूचना, मन्त्री जी को देना चाहता हूं कि गांव में मेरे घर के सामने लाईन है, उस पर पिछले 3 सालों से कोई करेन्ट नहीं है। क्या मन्त्री जी को मालूम है कि वह तार जो टंगे हैं, वह महिलाओं को धुले हुए कपड़े सुखाने के काम में आते हैं ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

मान्यवर, एक जगह के एक तार की जानकारी माननीय सदस्य ने दी है। मैं उसके लिए बड़ा आभारी हूं और यदि माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से मुझे जानकारी दे द, तो अच्छा होगा। मान्यवर, जो प्राप्त सूचना मेरे पास है, उसमें कोई गांव ऐसा नहीं है। आप यदि चाहेंगे तो मैं गांव और तहसील भी दे दूंगा जहां बिजली गई है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 1973-74 में नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि 73-74 के अलावा भी क्या इन गांवों के अन्दर बिजली के तार या खम्बे लगाये गए ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

प्रश्न में केवल 1973-74 का प्रसंग था और उसी की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

वह तो आपने बतला दिया। मेरा प्रश्न है कि 1973-74 के अतिरिक्त क्या किसी अन्य वर्ष में इन गांवों के अन्दर बिजली के तार या खम्भे लगाए गए ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

रूरल इलेक्ट्री फिकेशन स्कीम में बहुत सारे खम्बे खड़े हैं। करोड़ों रुपया व्यय हुआ और काम पूरा नहीं हुआ ? मैंने इस बात के आदेश सारे प्रदेश के अन्दर दे दिए हैं कि इस तरह की बात जहां भी है कि पिछली सरकार ने काम पूरा नहीं किया, तो वह मार्च तक पूरा कर लिया जाय।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मन्त्री जी ने अभी यह सदन में कबूल किया कि पिछली सरकार ने काम पूरा नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि वह कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जो काम पूरा नहीं हुआ, तो उसके लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता। आप प्रश्न का दायरा बढ़ा रहे हैं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित यह जानना चाहता हूं कि जहां-जहां बिजली के खम्भे लगे हैं, उनमें कब तक बिजली देने की व्यवस्था करेंगे और जहां खम्भे नहीं लगे हैं और हरिजन बस्तियां में पोल पड़े हुए हैं, उसके लिए क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मैंने स्पष्ट कर दिया कि मार्च तक काम पूरा हो जायगा। जहां खम्भे गड़े हैं और तार नहीं खींचे और वह गांव रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम में थे तो वहां मार्च तक काम पूरा कर लिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय विद्युत् मन्त्री जी विभाग को और बोर्ड को स्पष्ट आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि चाहे किसी गांव से कनेक्शन लेने की दरख्वास्त आयी हो या न आयी हो फिर भी आर0 ई0 के अन्तर्गत 31 मार्च, तक बिजली का काम वहां पूरा करा दिया जायगा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम जहां के लिए बनती है तो उसके बारे में पहले से अनुमान बनाया जाता है कि इतना रूरल के लिए, इतना इन्डस्ट्रियल के लिए और इतना डोमेस्टिक कन्जम्पशन के लिए चाहिए। अगर कहीं बिना किसी प्रोपोजल के खम्भे पहुंच गए और वह अनइकोनोमिक हो रहा है, तो उस पर अलग से विचार होगा।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लेने पर)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए। आप समय नष्ट करते हैं ...

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[× × × ×]

नोट—[× × × ×] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार उक्त अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए। यह प्रोसीडिंग्स का भाग नहीं होगा।

*6--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित।]

आगरा की नगर महापालिका द्वारा रोड-रोलर की खरीद

*7--श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर महापालिका द्वारा एक लाख पैंतालीस हजार रुपए में एक नया रोड रोलर अभी हाल में खरीदा गया है जिसका इंजन तो नया है लेकिन उसकी बाडी मरम्मत की हुई है। यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच किसी विशेषज्ञ से कराकर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

एक रोड रोलर नगरमहापालिका, आगरा द्वारा जून, 1977 में रु0 1,37,676.00 में खरीदा गया है जिसका इंजन एवं बाडी दोनों नए हैं। अत: जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुलाब सेहरा--

मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में यह जो रिपोर्ट पढ़ी गयी है क्या यह किसी विशेषज्ञ द्वारा जांच करने के बाद, यह तय किया गया है या जैसा नगरपालिका ने लिख कर भेज दिया वैसा ही आप ने पढ़ दिया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

माननीय विधायक जी से जो प्रश्न प्राप्त हुआ था, उसके पश्चात् भी रिपोर्ट मंगायी गयी और नगरमहापालिका, आगरा के इंजीनियर श्री एन0 ए0 फरीदी ने जो हाल में वहां गए हैं, इस रोड रोलर का 1 सितम्बर, 1977 को निरीक्षण किया और स्पष्ट रिपोर्ट भेजी कि रोलर नया है और इसकी बाडी पुरानी नहीं है, तथा चालू हालत मे है।

श्री गुलाब सेहरा--

मैंने स्पष्ट रूप से प्रश्न किया था कि आटोमोबायल इंजीनियर के द्वारा इसकी जांच की जाय लेकिन मन्त्री जी ने स्थानीय अधिकारी द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गयी है, वह प्रस्तुत की ह। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका स्पेसिफिकेशन क्या था ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, खरीदारी के सम्बन्ध में नेशनल हेराल्ड, लखनऊ, दिल्ली द्वारा 31 जनवरी, 1977 एवं 23 फरवरी, 1977 को विज्ञापन निकाल कर टेन्डर आमन्त्रित किए गए। केवल चार फर्मों के टेन्डर प्राप्त हुए और रोड बिल्डिग मशीनरी कारपोरेशन, नई दिल्ली का टेन्डर जो 1,37,676 रुपए का था, स्वीकार किया गया।

श्री गुलाब सेहरा--

टेन्डर के बारे में मैंने प्रश्न नहीं किया। मेरा प्रश्न था कि खरीदते वक्त क्या स्पेसिफिकेशन था। मेरी जानकारी यह है कि स्पेसिफिकेशन पुराने रोड रोलर का पहिए का ढाई इंच मोटा था और इसका स्पेसिफिकेशन दो इंच का है। क्या मन्त्री जी बतलाने की

कृपा करेंगे कि किस स्पेसिफिकेशन के आधार पर यह खरीदा गया और प्राप्त होने के बाद उस स्पेसिफिकेशन की शर्तें पूरी कर दी थीं या नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, माननीय सदस्य के प्रश्न के बारे में इस वक्त मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन उन्होंने जो पूरक प्रश्न किया है, उस सम्बन्ध में टेन्डर इनवाइट किए गए और उसकी शर्त के अनुसार जो रोड रोलर खरीदा गया, वह बिल्कुल नया है। स्पेसिफिकेशन के सम्बन्ध में मुझे समय चाहिए, सूचना के लिए।

श्री रियासत हुसैन--

सारा डिसप्यूट स्पेसिफिकेशन के ऊपर आ गया--दो इंच, ढाई इंच। आधा इंच का अन्तर। इस बात को देखते हुए कोई पूर्ण-इन्सपेक्शन रिपोर्ट, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए था और किस स्पेसिफिकेशन का रोलर है, मंगा कर मन्त्री जी सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, चूंकि मूल प्रश्न नहीं था इसलिए सूचना इस वक्त उलब्ध नहीं है लेकिन इसकी जानकारी कर लेंगे।

श्री मैनेजर सिंह--

इस बात को देखते हुए कि पिछले वर्षों में रोड रोलरों की सप्लाई में, बड़े घोटाले हुए। मारूती कम्पनी ने पुराने रोड रोलर सप्लाई कर दिए। इस दृष्टि से क्या इस रोड रोलर के बारे में भी जांच करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इससे प्रश्न उठता नहीं है। मारुती ने सप्लाई नहीं किया है और माननीय मन्त्री जी आश्वस्त कर चुके हैं कि इस सम्बन्ध में वह फिर से रिपोर्ट मंगायेंगे।

श्री गुलाब सेहरा--

मेरा निवेदन यह था कि कोई अधिकारी वहां भेजा जाय और रिपोर्ट मंगा ली जाय .....

श्री अध्यक्ष--

यह तो हो चुका। आप तफसील में जा रहे हैं।

बांदा जिले की नगरपालिका करबी में अस्पताल भवन निर्माण

*8--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में चित्रकूट धाम नगरपालिका, करबी के अन्तर्गत सरकारी अस्पताल के भवन निर्माण हेतु सन् 1974 के विधान सभा के चुनावों के कुछ ही महीने पूर्व तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री ने शिलान्यास किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार चित्रकूट मेला के लाखों यात्रियों तथा क्षेत्रीय जनता के हितार्थ भवन का निर्माण शीघ्र ही कराने की कृपा करेंगे ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)—

जी हां, किन्तु निर्माण कार्यों के लिए सीमित धन उपलब्ध होने के कारण यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि उक्त भवन का निर्माण कब तक करवाना सम्भव हो सकेगा।

श्री राम सजीवन—

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि निर्माण स्थल पर निर्माण सम्बन्धी सामग्री पड़ी हुई है और अगर पड़ी हुई है, तो कितने हजार रुपए की है ?

श्री कल्याण सिंह—

उपलब्ध सूचना के अनुसार वहां कोई सामग्री नहीं है।

श्री राम सजीवन—

इस सूचना को सही मान कर कि वहां निर्माण सामग्री पड़ी हुई है क्या सरकार फिर से जांच करायेगी ? दूसरे सरकार ने तीन साल पहले इस अस्पताल के भवन निर्माण की आवश्यकता महसूस की थी और मन्त्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, तो तीन साल लगातार बीत जाने पर प्राथमिकता के आधार पर, उस अस्पताल के निर्माण की आवश्यकता क्या सरकार नहीं समझती ?

श्री कल्याण सिंह—

पत्रावली की सूचना के अनुसार वहां कोई सामग्री नहीं है। माननीय सदस्य कह रहे हैं तो मैं इसकी जांच करा लूंगा। जहां तक आवश्यकता का प्रश्न है तो आवश्यकता को नहीं नकारा गया लेकिन संसाधनों की सीमित होने के कारण इसके निर्माण हेतु रुपया स्वीकार नहीं किया जा सका।

श्री राम सजीवन—

प्राथमिकता के आधार पर, तीन साल के ऊपर भी जब वह अस्पताल नहीं बना, तो क्या उस अस्पताल का निर्माण सरकार कराएगी ?

श्री कल्याण सिंह—

जैसा मैंने कहा संसाधनों की सीमित होने के कारण धन उपलब्ध नहीं कराया जा सका। जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे, तो इस सम्बन्ध में सोचा जायगा।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

इस अस्पताल के लिए अब तक कितना धन उपलब्ध किया गया ?

श्री कल्याण सिंह—

दिनांक 5 नवम्बर, 1973 को 14 लाख के ऊपर धन स्वीकृत किया गया था लेकिन उसके पश्चात् मार्च, 1974 में नान फक्शनल बिल्डिग के निर्माण पर रोक लगा दी गयी थी, इसलिए कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

चुनाव के दौरान वोट के प्रलोभन में सूबे में इस तरह के शिलान्यास कराए गए हैं, तो क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे यह बतलाने के लिए कि कितने इस तरह के अस्पताल हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

14 लाख से ज्यादा का एस्टिमेट बनाया गया था, तो क्या कोई रिवाइज्ड एस्टिमेट फिर से सरकार ने इस सम्बन्ध में बनाया है ?

श्री कल्याण सिंह—

जी नहीं।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

माननीय सदस्य की सूचना को सही मान कर कि उस स्थान पर निर्माण सामग्री मौजूद है और माननीय मन्त्री जी को सूचना दी गयी है, वह गलत दी गयी है, तो क्या माननीय मन्त्री उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न नहीं उठता। मन्त्री जी कह चुके हैं कि माननीय सदस्य की सूचना को मान कर जांच करायेंगे।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

जब उस भवन का शिलान्यास 1974 में हुआ तो क्या 1974-75 में उसे वित्तीय स्वीकृति नहीं दी गयी थी और शिलान्यास हो गया ?

श्री कल्याण सिंह—

मैंने निवेदन किया कि शिलान्यास तो इसका किया गया था लेकिन उसके बाद मार्च, 1974 में नानफंक्शन बिल्डिंग के निर्माण पर रोक लगा दी गयी थी, इसलिए यह कार्य प्रारम्भ नही हो सका।

श्री अध्यक्ष —

बाद के बजट में इसका प्राविजन किया गया या नहीं ?

श्री कल्याण सिंह—

इसके लिए धन रिलीज नहीं किया गया।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—

14 लाख रुपया इसके लिए सेंक्शन हो गया था, लेकिन वास्तविक खर्चा कितना मौके पर हो चुका है ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार केवल शिलान्यास पर ढाई हजार रुपया खर्च किया गया है।

चिकित्सा, जन-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण एवं उनकी वरिष्ठता सूची

*9–10—श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चिकत्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग में बीस वर्ष या उसके अधिक समय से सेवा में कार्यरत कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जिनका स्थायीकरण अब तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में अधीनस्थ कार्यालय में लिपिकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है? क्या यह सही है कि कतिपय कर्मचारियों के प्रत्यावेदन के बावजूद भी वरिष्ठता सूची में उनका नाम नहीं रखा गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कल्याण सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

नोटीफाइड एरिया, मोदीनगर का नगरपालिका में परिवर्तन की घोषणा

*11—श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि 60,000 आबादी वाले मोदीनगर में अब तक नगरपालिका कायम न करने के क्या कारण हैं जबकि शासन ने 1968 में ही नगरपालिका कायम करने का निर्णय ले लिया है और इसका प्रकाशन भी गजट में वर्ष 1972 में कर दिया गया था?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

नोटीफाइड एरिया मोदीनगर को दिनांक 1 अगस्त, 1977 से द्वितीय श्रेणी की नगरपालिका घोषित कर दिया गया है।

(प्रश्न संख्या 9 पुकारे जाने पर तथा श्री शिव प्रसाद के अनुपस्थित होने पर)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[* * * *]

श्री अध्यक्ष—

सुन्दर लाल जी आप बैठिए। यह आपका तरीका गलत है प्रश्नों के समय में जो आप करते हैं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[* * * *]

नोट—[* * * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, सुन्दर लाल जी । यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं बनेगा। (व्यवधान) सुन्दर लाल जी मैं आपको पुन : चेतावनी देता हूं। प्रश्नों के समय आप सदन का समय नष्ट करते हैं। मैं अब की मर्तवा आखिरी चेतावनी देता हूं। (व्यवधान) आप शान्त रहें। आप इस तरह का व्यवहार करेंगे तो मैं आपको इंगित करूंगा (व्यवधान)। आप सदन छोड़ें या बैठें।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, वह भी चुने प्रतिनिधि हैं। बेचारे को कहते हैं कि बाहर चले जायं।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

मान्यवर, मोदीनगर को महापालिका घोषित करने का निर्णय 1968 में लिया गया था, तो फिर दुबारा 9 वर्ष बाद घोषित करने का क्या कारण है? मान्यवर, शासन ने 1968 में इसे नगरपालिका घोषित करने का निर्णय लिया था। इसे लागू करने में 9 वर्ष व्यतीत हो गए, उसका क्या कारण है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मोदीनगर को नगरपालिका घोषित करने का प्रश्न शासन के समक्ष 1969 से विचाराधीन था और इस सम्बन्ध में एक मर्तवा अधिसूचना भी जारी की गई थी लेकिन उस अधिसूचना को 10 जुलाई, 1974 में निरस्त कर दिया गया। जब वर्तमान सरकार ने पद ग्रहण किया, उसके बाद सारे मामले पर विचार करके और माननीय जन प्रतिनिधियों की भावनाओं का आदर करते हुए, यह घोषणा कर दी गई जैसा कि उत्तर में बताया गया है कि एक अगस्त, 1977 से द्वितीय श्रेणी की नगरपालिका घोषित कर दिया गया है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया। प्रश्न यह किया गया था कि 'क्या सरकार कृपया बताएगी कि 60 लाख आबादी वाले मोदीनगर में अब तक नगरपालिका कायम न करने के क्या कारण हैं जब कि शासन ने 1968 में ही नगरपालिका कायम करने का निर्णय ले लिया है।' उसका उत्तर मान्यवर, यह है कि 'नोटीफाइड एरिया मोदीनगर को दिनांक 1 अगस्त, 1977 से द्वितीय श्रेणी की नगरपालिका घोषित कर दिया गया है।' मान्यवर, यह मूल प्रश्न का उत्तर नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि मूल प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ताकि उस स्तर से हम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, उत्तर तो स्पष्ट है। जो प्रश्न किया गया है वह इस प्रकार है कि 'क्या सरकार बताएगी कि 60 हजार की आबादी वाले मोदीनगर में, अब तक नगरपालिका कायम न करने के क्या कारण हैं। उसका उत्तर दिया गया है कि 1 अगस्त, 1977 से द्वितीय श्रेणी की नगरपालिका घोषित कर दिया गया है।' प्रश्न देखने से पता चलता है कि उससे पूर्व का यह प्रश्न है क्योंकि इसमें कहा गया है कि अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। तो ऐसा लगता है कि श्री सोहन वीर सिंह तोमर जी का प्रश्न जो है वह 1 अगस्त, 1977 से पहले का प्रश्न है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मेरा कहना है कि माननीय मन्त्री जी का उत्तर जो उन्होंने दिया है, वह प्रश्न से सम्बन्धित होता तो हम उस पर अनुपूरक प्रश्न कर सकते हैं। सदन में सूचना देंगे तो हम तैयार नहीं होंगे। हमने नगरपालिका बनाने के बारे में प्रश्न पूछा था, हमने पूछा है कि 1968 में इस पर निर्णय लिया गया था और सन् 1972 में गजट हुआ था और अब तक न बनाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

इनका प्रश्न यह है कि सन् 1968 में निर्णय लेने के बाद इसको कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है ? यह बता दें, आप।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मोदीनगर को नगरपालिका घोषित करने के सम्बन्ध में जो अधिसूचना 10 जुलाई, 1974 को निरस्त कर दी गई है, उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि नोटीफाइड एरिया कमेटी, मोदीनगर को नगरपालिका घोषित कनने के लिए 63, 69, 70 व 72 में बराबर प्रयत्न किए गए थे और उसके बाद 1 दिमम्बर, 1972 को उसे नगरपालिका घोषित भी कर दिया गया था। लेकिन मोदी इडस्ट्रीज व अन्य ने शासन के इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में स्थगन याचिका दायर कर दी और स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया था। इसके बाद तत्कालीन मुख्य मन्त्री के आदेशानुसार नोटीफाइड एरिया, मोदीनगर को नगरपालिका घोषित करने के सम्बन्ध में जारी हुई अधिसूचना 10 जुलाई को निरस्त कर दी गई थी। दिनांक 18 अक्तूबर, 1976 को नोटीफाइड एरिया, मोदीनगर को पुन : नगरपालिका में परिवर्तित करने के लिए निर्णय लिया गया तथा दिनांक 24 नवम्बर, 1976 को म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 4(1) के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना जारी करके सुझाव एवं आपत्तियों को आमन्त्रित किया गया था। शासन ने सभी आपत्तियों एवं सुझावों के विचारोपरान्त निरस्त करते हुए दिनांक 1 अगस्त, 1977 से नोटीफाइड एरिया को द्वितीय श्रेणी की नगर-पालिका घोषित कर दिया है। तो जो विषय उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष सन् 1959 से विचाराधीन था, उस पर इस सरकार ने पद ग्रहण के डेढ़ महीने बाद ही पूर्ण निर्णय ले लिया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जब यह नोटीफाइड एरिया थी, इसके चुनाव के विशेष नियम थे, चेयरमैन वहां का कलेक्टर होता था और आधे सदस्य मोदी साहब के और आधे जिलाधीश द्वारा मनोनीत होते थे, तो अब इसके नगरपालिका बन जाने के पश्चात् इसके विधिवत् चुनाव होंगे या वैसी ही प्रक्रिया लागू होगी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

वर्तमान शासन की नीति यही है कि जन प्रतिनिधि, जनता द्वारा चुने हुए अपने स्थानों पर बैठेंगे। नामांकन की नीति इस सरकार को स्वीकार नहीं है।

श्री ऊदल—

मोदीनगर के लिए स्पेशल नियम पहले से बने हुए थे, तो क्या अब उसको निरस्त करने पर मन्त्री जी विचार करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इस सम्बन्ध में मैंने अभी स्पष्ट किया, पुन : निवेदन कर दूं, 1 अगस्त, 1977 के पश्चात् जब अधिसूचना जारी कर दी गयी उसे द्वितीय श्रेणी की नगरपालिका बनाने के लिए तो उक्त घोषणा के विरुद्ध मोदी इन्डस्ट्रीज ने पुन : माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी, किन्तु उक्त याचिका भी वहां से खारिज की जा चुकी है।

*12--श्री शम्भू नाथ चौधरी--

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित।]

संयुक्त निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*13--श्री राजेन्द्र कुमार--

क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मन्डल, लखनऊ के विरुद्ध जनवरी, 1977 से जुलाई, 1977 के बी० भ्रष्टाचार, आचरण दोष तथा अनियमितताएं करने से सम्बन्धित कितने शिकायती-पत्र मिले ? मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कल्याण सिंह--

इस अवधि में 6 शिकायती-पत्र प्राप्त हुए। मुख्य शिकायतें सरकारी वाहन का दुरुपयोग, दुश्चरित्रता एवं सरकारी कर्मचारियों को परेशान करने आदि के बारे में थीं। शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार--

जिस अवधि की हमने सूचना दी थी, उसके पहले से भी इनके खिलाफ अनेक शिकायती-पत्र आते रहे हैं। शिकायतें अति गम्भीर हैं, यहां तक कि इनकी अधीनस्थ महिला कर्मचारियों ने भी इन पर दुश्चरित्रता के आरोप लगाए हैं। किन्तु आज भी यह अपने पद पर बने रह कर जांच को प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या इन पदाधिकारयों को अपने पद से स्थानान्तरित करके या निलम्बित करके जांच करवाने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

इनके अलावा मुझे भी कई शिकायतें मिली हैं। चूंकि इसमें विलम्ब काफी हो चुका है, आज ही मैंने आदेश दिए हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि एक महीने के अन्दर-अन्दर जांच की कार्यवाही पूरी कर दी जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार--

मेरी सुनिश्चित जानकारी है, इनके अधीन की महिला कर्मचारियों ने इन पर निश्चित दुश्चरित्रता के आरोप लगाए हैं और प्राग्दर्शन में वे आरोप सिद्ध होते हैं। तो उनको निलम्बित करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री कल्याण सिंह--

यह उत्तर दिया जा चुका है कि जितनी शिकायतें हैं, एक महीने में उन पर निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद निलम्बन या जो भी कार्यवाही होगी, वह की जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार--

निलम्बन कोई पनिशमट नहीं है। दुश्चरित्रता का प्राइमाफेसी केस एस्टेब्लिश्ड है। वह अपने पद पर रह कर इनक्वायरी को प्रभावित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र कुमार, आप सूचना मांग सकते हैं। निलम्बन सजा है या नहीं, यह तो मत प्रश्न का है ।

श्री गुलाब सेहरा--

जैसा कि मन्त्री जी ने बताया कि एक महीने के अन्दर जांच पूरी कर ली जायगी क्या मन्त्री जी इस जांच के दौरान इस ज्वाइंट डाइरेक्टर को दूसरी जगह स्थानान्तरण करने पर विचार करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में जांच करायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

एक महीने की अवधि में जांच पूरी करा दी जायगी। वहां पर बने रह कर या हटाने पर जांच में व्यवधान नहीं करने दिया जायगा, निष्पक्ष जांच होगी। जो शिकायतकर्ता हैं, उनको भी सूचना दी जायगी और जांच के वक्त बुलाया जायगा।

श्री रामदत्त जोशी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताएंगे कि उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए किस श्रेणी का उच्चाधिकारी नियुक्त किया गया है और जांच कब से जारी है ?

श्री कल्याण सिंह--

इनकी जांच अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य कर रहे हैं। शिकायती-पत्र जो प्राप्त हुए हैं, उनमें अवधि दी है, जनवरी, 1977 और जुलाई, 1977 के बीच के हैं। इसमें विलम्ब हुआ है। मैंने सभी शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिए कल आदेश दे दिए हैं। छः शिकायतें यह हैं और मुझे भी एक प्राप्त हुई थी। उसके साथ में यह भी दे दी है। उन शिकायतों के ऊपर समाचार-पत्र में भी छपा है। एक महीने की अवधि जांच करने के लिए निश्चित कर दिया है।

श्री मैने जर सिंह--

माननीय मन्त्री जी शिकायतों की गम्भीरता को देखते हुए और संयुक्त निदेशक के ऊंचे पद को देखते हुए केवल अतिरिक्त निदेशक से जांच कराना क्या नामुनासिब नहीं समझेंगे, और क्या इसको सतर्कता विभाग के किसी उच्चाधिकारी को सौंप देंगे, क्योंकि संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक में ज्यादा अन्तर नहीं है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो एक मत का प्रश्न है।

श्री मैनजर सिंह--

मैंने प्रश्न किया है। मेरा निवेदन है कि संयुक्त निदेशक की जांच अतिरिक्त निदेशक करेगा, सतर्कता विभाग से जांच कराने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष--

स्वास्थ्य मन्त्री जी, प्रश्न यह है कि ज्वाइंट डाइरेक्टर की जांच, उनका कहना है; क्या एडीशनल डाइरेक्टर से कराना उचित होगा ? यह उनका प्रश्न है ?

श्री कल्याण सिंह--

एडीशनल डाइरेक्टर ज्वाइंट डाइरेक्टर से सुपीरियर आफिसर हैं। जांच के परिणाम को बिना देखे किसी के बारे में कह देना कि जांच निष्पक्ष नहीं होगी, दूसरे से जांच करायी जाय, यह उपयुक्त नहीं है।

पडरौना जिला देवरिया के राजकीय नेत्र एवं पुरुष चिकित्सालय के लिए सर्जन की मांग

*14—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के पडरौना राजकीय नेत्र एवं पुरुष चिकित्सालय में जो कि सदर चिकित्सालय के बाद जनपद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजकीय चिकित्सालय है, सर्जन (शल्य चिकित्सक) लम्बे अर्से से नहीं है तथा जीवन रक्षक दवाइयों का भी घोर अभाव है ? यदि हां, तो शल्य चिकित्सक तथा औषधि की व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ?

श्री कल्याण सिंह—

पडरौना स्थित राजकीय नेत्र एवं पुरुष चिकित्सालय के लिए केवल एक चिकित्सक का पद स्वीकृत है, जिस पर नेत्र विशेषज्ञ की ही तैनाती की जाती है। वर्तमान समय में उक्त पद पर एक नेत्र शल्यक कार्यरत है।

उपरोक्त चिकित्सालय में जीवन रक्षक औषधियों का अभाव नहीं है।

श्री रामनरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, कौशिक जी ने हमको अधिकृत किया है।

श्री अध्यक्ष—

वह बाद में होगा।

श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों के वेतनमान में वृद्धि की मांग

*15—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग में नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सकों को चिकित्सा विभाग (आयुर्वेद) में नियुक्त चिकित्सकों के समान वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भेद-भाव को दूर करने के लिए निकट भविष्य में कोई विचार करेगी ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

जी हां।

निकट भविष्य में इन चिकित्सकों के वेतनमान में समानता लाने पर विचार हो रहा है।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी इस सिलसिले में कोई निश्चित तारीख घोषित करेंगे कब तक इस मामले में विचार पूरा हो जायगा ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

निकट भविष्य में।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

आखिर इसका क्या मतलब समझूं, महीना, दो महीने, छः महीने, साल भर ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

माननीय सदस्य से मैं कह रहा हूं, निकट भविष्य में।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जब मान्यवर, सरकार सिद्धान्त : इस बात को स्वीकार कर चुकी है, तो तत्काल आदेश करने में कौन सी कठिनाई है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, पे-कमीशन के सामने इन चिकित्सकों का मामला गया नहीं था, यह भूल हो गयी थी। अब निकट भविष्य में ही विचार होगा।

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव'—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि निकट भविष्य का मतलब क्या है ? 4 साल से 2 महीने से एक महीने ? आप निकट भविष्य से क्या मतलब लगाते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह मामला 1 नवम्बर से विभेदित चल रहा है और माननीय मन्त्री जी उत्तर देते हैं कि निकट भविष्य में। मैं चाहूंगा कि एक निश्चित समय दे दिया जाए ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो माननीय मन्त्री जी कह चुके हैं कि निकट भविष्य में।

श्री देव कुमार—

फिर निकट भविष्य कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसमें बाध्य नहीं किया जा सकता है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

निकट भविष्य का मतलब बतला दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

सुन्दर लाल जी आप बैठिए।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी निकट भविष्य की परिभाषा करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह मामला नीति के प्रश्न का है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों के वेतन मानों में असंगतियों को दूर करने के लिए एक समिति बनी थी, तो क्या माननीय मन्त्री जी ऐसी कोई समिति गठित करने की कृपा करेंगे कि जो इन पर विचार करे ?

श्री अध्यक्ष—

आप इस प्रश्न की परिधि को बढ़ा रहे हैं, यह इसके बाहर है।

श्री राम दत्त जोशी—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस मामले को पे-कमीशन में भेजने में भूल हो गयी, तो यह भूल कांग्रेसी सरकार द्वारा हुई थी या जनता पार्टी की सरकार द्वारा हुई है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य जानते हैं कि हम लोग दो ही महीने से आए हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

पे-कमीशन के सामने यह मामला नहीं जा सका इसलिए इन कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ, तो कौन से अधिकारी जिम्मेदार थे, जिनके कारण यह मामला पे-कमीशन के सामने नहीं गया ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं। यह प्रश्न पे-कमीशन के सामने नहीं था और माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हम 2 महीने से ही आए हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं निवेदन कर रहा था कि कौन से अधिकारी की लापरवाही के कारण यह मामला पे-कमीशन के सामने नहीं जा सका ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

इसका पता लगा लिया जाएगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

एक तो मान्यवर, वेतन आयोग की रिपोर्ट थी और फिर अनामली कमेटी बनायी गयी थी और उनकी संस्तुतियों को शासन ने सिद्धान्तत : स्वीकार कर लिया था, तो क्या उन संस्तुतियों को इन चिकित्सकों पर भी लागू किया जाएगा ? यदि हां, तो क्या वे स्वीकृति देने का कष्ट करेंगे ? इसका उत्तर वित्त विभाग को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

यह मामला पे-कमीशन के सामने नहीं गया और न एनामली कमेटी के सामने गया। यह मान्यवर, पहले के प्रशासन की अक्षमता थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने यह कहा कि पिछले प्रशासन की अक्षमता का प्रश्न नहीं है, क्या एनामली कमेटी और पे-कमीशन की सिफारिश पर सरकार ने यह नीति मान ली थी कि वही चीज इन चिकित्सकों के लिए भी लागू कर दी जाएगी ? तो उसको लागू करने में क्या देरी है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

इसके पहले ही आई0 एल0 ओ0 नम्बर 100 पर हम स्वीकृति दे चुके हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। निकट भविष्य में हम करेंगे विकट भविष्य में नहीं।

नोट—तारांकित प्रश्न 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

नगरपालिका, शाहजहांपुर के भूतपूर्व सदस्य, श्री केसरदास द्वारा नगरपालिका की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

1—श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, शाहजहांपुर के किसी भूतपूर्व सदस्य (श्री केसरदास) के विरुद्ध श्री श्याम लाल बाल्मीकि तथा कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा इस आशय का शिकायती-पत्र शासन को मिला कि उन्होंने नाजायज रूप से नगरपालिका की भूमि के पट्टे अपने तथा अपने सम्बन्धियों के नाम फर्जी करा लिए हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जी हां। इस मामले में जांच कराई गई। श्री केसर दास को अनाधिकृत कब्जा हटाने के सम्बन्ध में नोटिस दिया गया जिस पर श्री केसर दास ने आपत्ति प्रस्तुत की। आपत्ति के सम्बन्ध में श्री केसर दास ने तीन बार अवसर प्रदान किए जाने पर भी कोई साक्ष्य अथवा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया, जिसके फलस्वरूप अनधिकृत कब्जा हटाने के सम्बन्ध में नगरपालिका द्वारा सक्षम न्यायालय में अभियोग दायर कर दिया गया है।

राज्य विद्युत् परिषद् के डिप्लोमाधारी कर्मचारियों का जूनियर इंजीनियर के पदों पर प्रोन्नति

2—श्री राजेन्द्र कुमार—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में जूनियर इंजीनियर से निम्न पदस्थ डिप्लोमाधारी कितने कर्मचारी हैं जिनकी सेवा अवधि 8 वर्ष से अधिक हो चुकी है परन्तु अभी तक जूनियर इंजीनियर के पद पर प्रतिस्थापित नहीं हो सके हैं?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् में ऐसे 74 कर्मचारी हैं।

विद्युत् परिषद् के पुनर्गठन पर विचार

3—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत् परिषद् के पुनर्गठन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

वर्तमान विद्युत् परिषद् का गठन 26 सितम्बर, 1976 में तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। फिर भी विद्युत् परिषद् के पुनर्गठन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है तथा आशा की जाती है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

बहराइच जिले के अस्पतालों में नसबन्दी कराने वालों को पेटीकोट व जांघिया का वितरण

4--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जनपद में स्थित अस्पतालों के लिए विगत दो वर्षों से नसबन्दी कराने वाली औरतों और मर्दों के लिए पेटीकोट व अन्डर-वीयर के लिए कितना धन दिया गया ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि किसी भी व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) को कोई वस्त्र वितरण जनपद के किसी भी अस्पतालों में नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करा कर पूर्ण स्थिति से सदन को अगवत करायेंगे ?

श्री कल्याण सिंह--

वर्ष 1975-76 में जांघिया व पेटीकोट के लिए धन दिए जाने का प्राविधान नहीं था। वर्ष 1976-77 में जांघिया व पेटीकोट के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच को रु0 13,628 की धनराशि आबंटित की गई थी।

जी नहीं, वर्ष 1976-77 में जनपद के विभिन्न अस्पतालों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 594 जांघिया वितरण किये गए। पेटीकोट वितरण नहीं किए गए क्योंकि प्रत्येक महिला को नसबन्दी के समय दिया जाने वाला पेटीकोट अस्पताल से छुट्टी देने के पूर्व उससे वापस ले लिए जाने और उसे धुलवाकर तथा स्टरलाइज्ड कराकर पुन : उपयोग में लाए जाने के शासनादेश थे।

पालिका के केन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

5--श्री प्रदीप कुमार बजाज--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा 13 मई, 1977 को इस आशय के आदेश जारी किए गये हैं कि आगामी विधान सभा चुनावों को सम्पन्न कराने हेतु कर्मचारियों के स्थानान्तरण न किए जायं ? यदि हां, तो इन आदेशों के जारी होने के पश्चात् तथा चुनाव सम्पन्न होने के पूर्व आयुक्त एवं निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा कितने व्यक्तियों का स्थानान्तरण किया गया और उसके क्या कारण थे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

जी हां, आयुक्त एवं निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा प्रश्नगत अवधि (13-5-77 से 20-6-77) में पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के केवल 37 कर्मचारियों के स्थानान्तरण किए गए। इसमें से 6 स्थानान्तरण भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री एवं भूतपूर्व राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन के आदेशों के अनुपालन में किए गए। शेष स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों एवं स्वयं कर्मचारियों की प्रार्थना पर किए गए।

6--श्री प्रदीप कुमार बजाज--

क्या यह सच है कि भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री एवं भूतपूर्व स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री द्वारा किए गए कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बधी आदेशों को आयुक्त एवं निदेशक, स्थानीय निकाय ने वर्ष 1977 के राष्ट्रपति शासन काल में कार्यान्वित किया। यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए शासन उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

जी हां, आयुक्त एवं निदेशक, स्थानीय निकाय ने वर्ष 1977 के राष्ट्रपति शासन काल (1-5-77 से 22-6-77 तक) की अवधि में भूतपूर्व स्वायत्त शासन मन्त्री/राज्य मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग के आदेशों के अनुपालन में पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के 16 कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया। चूंकि निदेशक, स्थानीय निकाय इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने में सक्षम थे। अतएव किसी अनियमितता के होने अथवा निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

7––श्री गोविन्द सिंह नेगी––

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित।]

लखनऊ नगर महापालिका के सेवा निवृत कर्मचारियों की पेंशन

8––श्री शिव नन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)––

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, लखनऊ के 1974, 1975, 1976 और 1977 (31 जुलाई) तक कितने कर्मचारी सेवा मुक्त हुए हैं और क्या उन सभी को पेन्शन स्वीकृत हो चुकी है? यदि हो चुकी है, तो अलग-अलग व्यक्ति को कब-कब स्वीकृत हुई है?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

नगर महापालिका, लखनऊ में वर्ष 1974, 1975, 1976 और 1977 (31 जुलाई) तक 82 कर्मचारी सेवा मुक्त हुए हैं। इनमें से 49 कर्मचारियों की पेन्शन स्वीकृत हो चुकी है। इन 49 कर्मचारियों के विवरण परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 795–796 पर।)

देहरादून नगर के लिये कथित मास्टर प्लान

9––श्री गोविन्द सिंह नेगी––

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून नगर में मास्टर प्लान लागू है या नहीं? यदि हां, तो उसका नोटीफिकेशन कब किया गया?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय––

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

10––श्री वीरेन्द्रपति यादव––

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित।]

करनैलगंज, गोण्डा राज्य विद्युत परिषद् के जूनियर इंजीनियर श्री पी० डी० एन० लाल के विरुद्ध जांच एवं निलम्बन

11––श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोन्डा)––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जे0 ई0, उत्तर प्रदेश रा0 वि0 प0 (श्री पी0 डी0 एन0 लाल) करनैलगंज, गोन्डा के भ्रष्टाचार के प्रति गठित सतर्कता आयोग

की जांच के दौरान (वर्ष 1975-76) क्या-क्या आरोप सत्यापित किए जा चुके हैं और उनके सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही––

श्री पी0 डी0 एन0 लाल के विरुद्ध राज्य बिद्युत् परिषद् की सतर्कता इकाई की जांच के उपरान्त निम्नलिखित आरोप सत्यापित किए गए हैं :––

(1) श्री लाल ने श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, एस0 एस0 ए0 को बिना कार्य किए 19 दिन का पैसा (रु0 123.50) का गलत भुगतान किया।

(2) श्री लाल ने अपने भाई श्री अशोक कुमार को मस्टर रोल पर दिखा कर उन्हें (रु0 139.50) का भुगतान किया, जबकि वह कन्हैया लाल इन्टर कालेज, करनैलगंज, गोन्डा के अंशकालिक छात्र थे।

(3) श्री लाल ने श्री सरजू प्रसाद जायसवाल करनैलगंज, गोन्डा को बिजली की लाइन के नीचे बनाई गई इमारत को हटाने हेतु 5 दिन की नोटिस दी थी, परन्तु उसके बाद इस विषय में उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

इन आरोपों के आधार पर श्री लाल को निलम्बित कर दिया गया है।

भूतपूर्व सदस्य श्री के०के० नायर तथा श्री प्रभु दयाल के निधन पर शोकोद्गार

*स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)––

मान्यवर, माननीय सदन को यह जानकारी देते हुए मुझे ब ा दुख हो रहा है कि सदन के दो भूतपूर्व सदस्य श्री के0के0 नायर और श्री प्रभु दयाल का लखनऊ में ही 7 सितम्बर, 1977 को निधन हो गया। मान्यवर, श्री नायर का जन्म केरल में हुआ था और उन्होंने केरल में ही प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की थी और उसके पश्चात् उच्च शिक्षा मद्रास एवं आगरा विश्वविद्यालय तथा लन्दन विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने तत्काल आई0सी0एस0 सेवा में स्थान ग्रहण किया और विभिन्न पदों पर कार्य करके देश की सेवा की। तत्पश्चात् 1952 में श्री नायर ने स्वयं स्वेच्छा से अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया और राजनीति में भाग लेने लगे।

श्री नायर सन् 1965 से 1967 तक इस माननीय विधान सभा के सदस्य थे और उसके बाद सन् 1967 में वह लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। श्री नायर आगरा विश्व-विद्यालय कोर्ट के सदस्य भी रहे और इसके साथ ही साथ विधान सभा और लोक सभा द्वारा गठित अनेक महत्वपूर्ण कमेटियों के सभापति के रूप में महत्वपूर्ण काम किया और उसके बाद उन्होंने अपना व्यवसाय वकालत को अपनाया तथा इलाहाबाद न्यायालय में वह सम्मानित एडवोकेट के रूप में कार्य करते रहे। उनकी खेल-कूद में विशेष रुचि थी और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में और सामाजिक कार्यों में रुचि लेते थे। परन्तु कुछ दिनों से वह बीमार थे। उनकी पत्नी श्रीमती शकुन्तला नायर इस माननीय सदन की सदस्या और राज्य मन्त्री भी हैं। मान्यवर, उनके निधन से इस प्रदेश और देश की जो क्षति हुई है वह आसानी से पूरी नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनवर्क्षिण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

की जा सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस माननीय सदन के जो शोकोद्गार हैं, वह उनके परिवार तक आपके द्वारा भेज दिए जायं।

श्री प्रभु दयाल जी इस माननीय सदन के सदस्य रह चुके हैं और उनका सम्बन्ध बराबर कांग्रेस पार्टी से रहा और वे सर्वप्रथम वर्ष 1952 में इस विधान सभा में निर्वाचित हो कर आए। सन् 1957 में भी वह इस माननीय सदन के सदस्य रहे और सन् 1967 में पुनः विधान सभा के सदस्य चुनकर आए।

उनका जन्म जिला बस्ती के जोगिया उदयपुर नामक स्थान में हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने विशारद की उपाधि प्राप्त की। लेखन कार्य में उनकी गहरी रुचि थी एवं "दीनबन्धु एन्ड्रयूज", "गांधी जी और गांव", "अमर शहीद", "सेवा ग्राम", "आधुनिक भारत के निर्माण", "बाबू के महादेव", "देव दूत गांधी" आदि ग्रंथों की रचनाएं भी कीं। साथ ही साथ उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बराबर समाज के दलित वर्ग की सेवा की। इतना ही नहीं राजनीति में भी उनका सक्रिय रूप से योगदान रहा है। मान्यवर, उनके निधन से इस प्रदेश और देश की जो गहरी क्षति हुई है, उसकी पूर्ति आसानी से नहीं की जा सकती है। मेरा निवेदन है कि आप इस माननीय सदन की भावनाओं को उनके शोक सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मैं भी माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने जो माननीय के0 के0 नायर और माननीय प्रभु दयाल जी के निधन के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। उनका एक विशेष व्यक्तित्व था। राजनीतिक विचारधारा में मत-भेद हो सकता है लेकिन लोगों के व्यक्तित्व का एक अपना महत्व होता है। नायर जी ने केरल में जन्म लिया था और वे आई0सी0एस0 वर्ग के थे और इस वर्ग में भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म-भूमि बनाया था और एक राष्ट्रीय समन्वय और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रदर्शित किया। इसे उनके व्यक्तित्व का एक विशेष अंग मान सकते हैं। वैसे वे केरल में भी अपनी कर्म-भूमि बना सकते थे लेकिन उन्होंने इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को ही छांटा था। उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी ने जो लगातार 1952 से कार्य किया है, वह सर्वविदित है। श्री नायर विधि वेत्ता भी थे और उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश विधान सभा और बार-एसोसिएशन आदि में प्रतिनिधित्व किया था चाहे वह अयोध्या पुल दुर्घटना के सम्बन्ध में हो या बांदा गोली काण्ड के बारे में हो। उन्होंने जनता का प्रतिनिधित्व किया, बार एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व किया और इस सदन का भी प्रतिनिधित्व किया। मैं सदन की माननीया सदस्या और राज्य मन्त्री श्रीमती शकुन्तला नायर जी के प्रति अपनी समवेदना प्रकट करना अपना कर्तव्य समझता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे समवेदना सन्देश को कृपया उन तक पहुंचाने की कृपा करें।

माननीय प्रभु दयाल जी के बारे में विश्वास नहीं होता था कि उनका निधन हो गया। अभी हाल ही में मेरी उनसे भेंट हुई और वे रचनात्मक कार्य में लगे हुए थे। जब सदन को

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके निधन की सूचना मिली जो लोग प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से उनकी शव यात्रा में भाग लेने के लिए गए तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे सर्वोदय विचारधारा के एक रचनात्मक वृत्ति के व्यक्ति थे। पूज्य बापू जी के सान्निध्य में उन्हें सेवाग्राम में भी रहने का अवसर मिला। 1952 से वे यहां पर कार्य करने में लग गए। उन्होंने 4 बार बस्ती जनपद की पूर्वांचल की ओर से सेवा की। इन्होंने हरिजन वर्ग की भी बहुत आवाज उठाई। ऐसे सर्वोदयी कार्यकर्ता और कर्मठ सेनानी के प्रति भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक सन्तप्त परिवार को हमारा शोक-सन्देश भिजवाने की कृपा करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

माननीय अध्यक्ष जी, श्री के0 के0 नायर और माननीय प्रभु दयाल जी के बारे में नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री नायर एक जाने-माने पार्लियामेंटेरियन रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज के पद से उन्होंने त्याग-पत्र दिया था, उसके बाद वे सार्वजनिक जीवन में आए। श्रीमती शकुन्तला नायर इस सदन की सदस्या हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी और हमारे दल की ओर से उनको हमारा शोक-सन्देश भिजवाने की कृपा करें। इसी प्रकार माननीय प्रभु दयाल जी स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी रहे हैं। लगातार सार्वजनिक जीवन में कार्य वह करते रहे हैं और इस प्रदेश के जाने-माने साहित्यकारों में से थे। उनके परिवार के प्रति भी हमारी समवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और उत्तरी क्षेत्र के दो विशिष्ट कार्यकर्ताओं के निधन से आज पूर्वांचल के जिलों की विशेष क्षति हुई है। श्री के0 के0 नायर एक सरकारी अधिकारी के रूप में और सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में पूर्वांचल में खास तौर से बहराइच जिले में विशेष कर मशहूर थे और उनकी सेवाएं इस क्षेत्र की जनता हमेशा याद करती रहेगी।

श्री प्रभु दयाल जी इस सदन के 1952 से सदस्य रहे। हमारी उनकी विशेष घनिष्टता रही। वह एक बहुत ही अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता और पार्लियामेंटेरियन थे। उनके निधन से एक ईमानदार और सच्चे कार्यकर्ता की मृत्यु से विशेष कर बस्ती जिले और आस-पास के जिलों को क्षति हुई है। हमारा आप से निवेदन है कि हमारे दल की ओर से उनके परिवार को हमारी समवेदनाएं भेज दी जायं।

श्री अध्यक्ष—

श्री के0 के0 नायर और श्री प्रभु दयाल जी के निधन पर जो समवेदना की भावनाएं स्वायत्त शासन मन्त्री, माननीय सत्य प्रकाश जी मालवीय, माननीय नेता विरोधी दल और श्री गोविन्द सिंह नेगी और जगन्नाथ प्रसाद जी ने प्रकट की हैं मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। श्री के0 के0 नायर सन् 1965 में विधान सभा के सदस्य चुनकर आए थे। तभी मेरा उनसे निकट सम्पर्क हुआ था और वैसे सर्वप्रथम जिस वक्त असहयोग आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर था, श्री नायर की सबसे पहले पोस्टिंग जिला बुलन्दशहर में हुई थी। और उस वक्त भी उनकी विचारधारा राष्ट्रीय थी और उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश सरकार

[श्री अध्यक्ष]

के अन्यायी आदेशों के पालन करने से इनकार कर दिया था। श्री नायर जज भी रहे और बड़ी निर्भीकता के साथ उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। 1967 में वह संसद के सदस्य निर्वाचित हुए। वे आई0 सी0 एस0 थे, सफल अफसर थे और भिन्न-भिन्न दायित्व के पदों पर उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन बड़ी कुशलता और बड़ी ही सफलता के साथ किया। सन् 1952 में एक विशेष प्रश्न को लेकर उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। उसके बाद वह सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दाखिल हुए। श्री नायर न केवल एक योग्य प्रशासक, एक योग्य राजनीतिज्ञ थे, बल्कि बड़े साहित्यिक थे और तामिल, मलयालम, संस्कृत, हिन्दी आदि पर उनका पूर्णतया अधिकार था। यह आशा नहीं थी कि फरवरी में वह बीमार हुए थे, इतनी जल्दी चले जायेंगे। कल अकस्मात् हृदय की गति रुक जाने से उनका शरीरान्त हो गया।

श्री प्रभु दयाल जी से मेरा निकट सम्पर्क 1952 में हुआ और बराबर वह विधान सभा में भाग लेते थे। महात्मा गांधी के साथ उनका निकट सम्पर्क रहा और बड़े ही सरल प्रकृति के व्यक्ति थे। जनपद बस्ती के उत्तरदायित्वपूर्ण संगठन के ऊपर वह आसीन रहे और जब कभी वे विधान सभा के सदस्य नहीं रहे, उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन रचनात्मक कार्यक्रमों द्वारा उत्पादन और समाज सेवा में लगाया।

इन दोनों महान विभूतियों के निधन से प्रदेश की बड़ी क्षति हुई है। मैं भी उनके प्रति अपनी समवेदना प्रकट करता हूं और सदन की भावनाएं उनके परिवारों तक पहुंचा दी जायंगी।

मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि दो मिनट उनके प्रति मौन श्रद्धांजलि भेंट करें।

(सभी सदस्य 2 मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

प्राइमरी पाठशाला, इसरौली, जिला बाराबंकी की छत गिर जाने से 8 बच्चों के घायल हो जाने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले हफ्ते प्राइमरी पाठशाला, इसरौली, जिला बाराबंकी में स्कूल की इमारत गिर जाने से आठ बच्चे बुरी तरह घायल हो गए और उनके गम्भीर चोटें आयीं। उनमें से कुछ बच्चों की हालत चिन्ताजनक है। यह घटना उस समय घटी जब प्रधानाचार्य अपने कमरे में बच्चों को पढ़ा रहे थे। इस घटना से उत्पन्न समस्या की ओर मैं माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

[X X X X]

नोट--[XXXX]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष——

आप अपना स्थान ग्रहण करें। प्रेस इसको नहीं नोट करेगा और न यह प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा।

(श्री सत्य पाल सिंह यादव बैठ गए।)

स्वदेशी मिल, कानपुर की तालाबन्दी से मजदूरों की बेकारी के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)——

श्रीमन्, कानपुर की स्वदेशी मिल ने तारीख 7 सितम्बर की रात से तालाबन्दी की घोषणा कर दी है। इससे लगभग 6,000 मिल मजदूर बेकार हो रहे हैं। यह मिल देश की एक बड़ी मिलों में से है। कुछ वर्षों से मिल ने घाटा दिखलाया है। सरकार ने कर्जे भी इस मिल को दिलवाए हैं पर फिर भी इस मिल ने मजदूरों की तनख्वाहें आदि पूरी अदा नहीं की हैं। लगभग 50 लाख केवल मजदूरों का रुपया बाकी है। मिल मालिकों का कहना है कि मिल बिजली व रुई तथा धन की कमी से बन्द की जा रही है। सरकार ने बैंक द्वारा डेढ़ करोड़ रुपया कर्ज गत वर्ष इस मिल को अपनी गारन्टी पर दिलाया था। बिजली कम्पनी ने कहा है कि बिजली की कमी मिल के पास कभी नहीं हुई। डेढ़ करोड़ रुपए ऋण लेने के बावजूद भी सभी के कर्जे नहीं दिए गए हैं।

केवल पिछले सप्ताह जिलाधीश, कानपुर के यहां मजदूरों ने प्रदर्शन किया। वे लोग ईद के पूर्व अपनी तनख्वाहें मांग रहे थे पर मिल को यकायक कल से बन्द कर दिया गया। इस सम्बन्ध में क्या किया गया है और क्या हो रहा है ? सरकार इस मिल को अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही है ? इन तमाम बातों पर कृपा कर माननीय मन्त्री महोदय से वक्तव्य दिलाया जाय।

कुत्ता काटने की दवाओं के अभाव में श्रीमती मन्जू की मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)——

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि फैजाबाद जिले में दिनांक 15 जुलाई, 1977 को एक पागल कुत्ते ने एक ही परिवार के 6 व्यक्तियों को काट लिया था और जब उन लोगों को फैजाबाद जिला चिकित्सालय में तथा बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में पूरी कोशिश करने के बावजूद भी ए0 आर0 बी0 इन्जेक्शंसन नहीं मिले थे तो दिनांक 20 जुलाई, 1977 को शून्य प्रहर में मैंने इसकी सूचना आपकी अनुमति से माननीय सदन को दी थी। मैंने यह भी बता दिया था कि डाक्टरों की स्पष्ट राय है कि यदि 21 जुलाई, 1977 तक मरीजों का उपचार प्रारम्भ न हो गया तो उनके जीवन को खतरा पैदा हो सकता है। इस सूचना पर आपने सरकार को निर्देश दिया था कि वह मरीजों को अविलम्ब ए0 आर0 बी0 इन्जेक्शन्स उपलब्ध करायें ताकि 6 बेशकीमती जानों को बचाया जा सके।

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी मरीजों को मेरी सूचना के मुताबिक 25 जुलाई, 1977 के पूर्व ए0आर0बी0 इन्जेक्शन्स उपलब्ध नहीं हुए। फलस्वरूप उनमें से एक मरीज श्रीमती मन्जू देवी का दिनांक 28 अगस्त, 1977 को जिला अस्पताल, फैजाबाद में निधन हो गया। मुझे उक्त घटना की सूचना दिनांक 31 अगस्त, 1977 को श्री सुन्दर लाल जायसवाल, चेयरमैन, टाउन एरिया कमेटी, गुसाईगंज के पत्र द्वारा मिली और उसके दूसरे दिन दिनांक 1 सितम्बर, 1977 को नियम 51 के तहत मैंने उक्त मामले को उठाना चाहा, उसमें सफलता न मिलने पर मैंने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न दिया जो श्रीमन् द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मुझे बताया गया है कि उक्त प्रश्न की सूचना मिलने पर जिला अस्पताल, फैजाबाद के डाक्टरों की एक बैठक हुई और श्रीमती मन्जू का इलाज चार्ट बदलने का निश्चय हुआ।

मान्यवर, 2 सितम्बर, 1977 को विधान सभा बन्द होने के बाद मैं स्वयं स्वर्गीय श्रीमती मन्जू के घर गया था और उनके पति तथा ससुर से मिला था, जिन्होंने मुझे बताया कि श्रीमती मन्जू पागल कुत्ते के काटने तथा समय पर दवा न मिलने के कारण मरीं। 24 अगस्त, 1977 को जब श्रीमती मन्जू बीमार पड़ीं तो उनके ससुर श्री अमरेज सिंह उन्हें गोसाईगंज बाजार में डाक्टर राम कृष्ण के पास ले गए, जो एम0बी0 बी0 एस0 डाक्टर हैं। डाक्टर राम कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि यह कुत्ते के काटने की प्रतिक्रिया है और आप इन्हें फैजाबाद ले जाइए। फलस्वरूप 24 अगस्त, 1977 को श्रीमती मन्जू अस्पताल में भरती हुयीं और 28 अगस्त, 1977 को प्रातः 8 बजकर 10 मिनट पर वहीं उनका स्वर्गवास हो गया। श्री अमरेज सिंह ने मुझे यह भी बताया कि श्रीमती मन्जू बीमारी के दौरान कुत्ते की तरह भूकती भी थीं।

मान्यवर, इस प्रकार से नौकरशाही की, लालफीताशाही की बलिवेदी पर एक निरीह महिला की आहुति दे दी गयी और उसके पांच (5) मासूम बच्चे अनाथ बना दिए गए। आपके माध्यम से इस दुखद घटना की सूचना सदन को देते हुए मेरा आप से भी विनम्र अनुरोध है कि अपने व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करके बाकी पांच मरीजों के जीवन बचाने की व्यवस्था करें, सरकार से पूरी घटना की जांच करा कर मृतक के परिवार को समुचित मुआविजा दिलाने, जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखन तथा दोषी लोगों को दंडित करने का निर्देश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी, 20 जुलाई को माननीय तिवारी जी ने इस प्रश्न को सदन के समक्ष रखा था और इस पर, इस पीठ से निर्देश दिया गया था कि वहां पर लोगों की जान बचाने के लिए तत्काल इन्जेक्शन्स की व्यवस्था की जाय। माननीय सदस्य का यह कथन कि असावधानी के कारण श्रीमती मन्जू देवी की मृत्यु हुई और एसी परिस्थिति पैदा हुई, यह अत्यन्त खेदजनक है। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री इसकी जांच करायें और चूंकि श्रीमती मन्जू की इस परिस्थिति में मृत्यु हुई है, वह उनके परिवार को उचित सहायता देने पर भी विचार करें और इन्जेक्शन क्यों देरी से भेजा गया, किसने असावधानी की, इसकी पूरी जांच कराकर सदन के पटल पर रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, इसको कौन नोट कर रहे हैं ? माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी तो हैं नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मालवीय जी, माननीय ओम प्रकाश जी हैं ।

न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मान्यवर, हम लोग मौजूद हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या माननीय मन्त्री जी बता सकते हैं जो माननीय अध्यक्ष जी ने रूलिंग दी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

इसकी जांच कराकर सूचित कर दिया जायगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, यह दूसरे मन्त्री का दायित्व नहीं है । जिस मन्त्री से सम्बन्धित विषय है, उस मन्त्री को सूचना भी नहीं । मान्यवर, जितना महत्व सम्बन्धित मन्त्री के रहने से होता है, उतना महत्व अन्य मन्त्री के रहने से नहीं रह जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

यह सब सम्बन्धित मंत्रियों को भेजे जा चुके हैं । इनको इस बात का निर्देश भी है कि 7 दिन में जो सूचनाएं हों, सम्बन्धित सदस्य को इसका उत्तर दिया जाय और यदि सूचना प्राप्त करना इतने समय में सम्भव न हो तो अन्तरिम उत्तर दे दें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, यदि माननीय मन्त्री जी न हों, तो कोई राज्य मन्त्री या उप मन्त्री को तो उपस्थित रहना ही चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

यदि ऐसी सूचना मंत्री कक्ष में प्राप्त होगी तो मैं मन्त्री जी के पास भेजूंगा कि वह आवश्यक कार्यवाही करें ।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के मुख्य प्रशिक्षण स्थल को बदलने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन एवं सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि फैजाबाद जिले के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य कुमारगंज में प्रारम्भ हो गया है । अब विश्व-विद्यालय परिसर को कुमारगंज से हटाकर शहर के निकट स्थानान्तरित किया जा रहा है । जबकि विश्वविद्यालय के तथा नरसरी आदि व्यवहारिक फार्म प्रशिक्षण के सभी स्थल कुमार गंज में ही विकसित किए जा रहे हैं और बहुत बड़ी भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है ।

[श्री मित्रसेन]

अब विश्वविद्यालय परिसर मुख्य प्रशिक्षण स्थल और फार्म से लगभग 35 कि0 मी0 दूर ले जाए जाने से, जहां विश्वविद्यालय के परीक्षण व शिक्षण कार्य में बाधा पहुंचेगी वहीं कुमारगंज जैसे जनपद के पिछड़े क्षेत्र में विकास की भी सम्भावनाएं उत्पन्न हुई थीं और जिसे विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्यों में से माना गया था उसे भी भारी आघात पहुंचेगा। व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस प्रस्तावित स्थानान्तरण के औचित्य का कोई आधार नहीं है। अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे विश्वविद्यालय के इस निर्णय को तत्काल रद्द करवाने के लिए अपने प्रभाव एवं शक्ति का पूरा प्रयोग करें। यह पिछड़े क्षेत्र में रोजगार विकास तथा कृषि विज्ञान के समुचित लाभ की दृष्टि से इस प्रश्न पर अविलम्ब विचार तथा कार्यवाही हजारों जनता तथा सम्पूर्ण जनपद के हित में आवश्यक है।

देवरिया में घाघरा नदी के कटाव से उत्पन्न स्थिति के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आप और इस सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के माननीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान घाघरा नदी में देवरिया जिले के ग्राम कूरह, गौरा और भागलपुर में हो रहे भीषण कटाव की तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। लम्बे समय से घाघरा नदी में राप्ती और घाघरा के संगम पर बसे कूरह गांव में कटाव चालू है जिससे इस गांव के ऊपर गम्भीर संकट पैदा हो गया है। इसके आगे गौरा गांव पर भी कटाव चालू है जिसकी प्राथमिक रोक-थाम के लिए शासन का ध्यान अनेक बार दिलाया गया है लेकिन विभागीय निष्क्रियता और साधन का बहाना बनाकर इस कटाव के बचाव में कोई कारगर काम नहीं हुआ जिससे देवरिया जिले के प्राचीनतम नगर बरहज का अस्तित्व संकट में है और उक्त सांस्कृतिक गतिविधियों एवं बाबा राघवदास का पुनीत नगर घाघरा की जलधारा में विलीन हो सकता है लगभग यही हालत भागलपुर कस्बे की है। जहां पूर्व शासन द्वारा बनाया गया रोक-थाम का स्थल नदी में गिर चुका है। यहां स्थित भगवान का मंदिर संकट में है। नदी की धारा सीधे वहीं जाकर टकरा रही है। उक्त मन्दिर कभी भी नदी में विलीन हो सकता है। विभागीय अधिकारी बार-बार ध्यान दिलाने पर फण्ड के अभाव में कुछ भी करने से इंकार कर रहे हैं विभागीय अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण करने के बाद मौखिक सहानुभूति व्यक्त की है। यदि शासन ने उक्त कटाव के रोक-थाम के लिए शीघ्र कारगर कदम नहीं उठाए तो घाघरा की धारा में हजारों घर विलीन हो जायेंगे।

अतः शासन से हमारी यह मांग है कि घाघरा और राप्ती के संगम पर कूरह गांव में एक ठोकर अतिशीघ्र लगे। गौरा गांव जहां घाघरा की धारा टक्कर ले रही है वहां भी ठोकर लगे साथ ही भागलपुर कस्बे के बचाव के लिए पुराने अध्वस्त ठोकर को शीघ्र पुनर्निर्मित कराया जाय।

श्री अध्यक्ष---

माननीय राजस्व मन्त्री जी, बहुत से माननीय सदस्यों ने आए रोज नियम 51 और शून्य प्रहर में बाढ़, सूखे और कटाव के सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता व्यक्त की है। सदस्यों ने इस प्रकार की सूचनाएं भी मुझको दी हैं। तो मैं राजस्व मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, बलिया विशेष रूप से और प्रदेश के अन्य जिलों में जहां पर बाढ़,

सूखा और कटाव से एक विपन्न स्थिति पैदा हो गयी है उसके सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट सदन के सामने रखने की कृपा करें ताकि सदन के सदस्य अवगत हो सकें और इस के लिए एक समय भी निश्चित किया जायगा जिसमें कि वह अपने विचार प्रकट कर सक। तो माननीय राजस्व मन्त्री जी, इस पर कब वक्तव्य दे सकेंगे ?

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, 3–4 दिन का समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष --

4 दिन तो सदन बन्द रहेगा और 13 तारीख को क्या आप वक्तव्य दे सकते हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि मथुरा, आगरा जो गोबरधन क्षेत्र है वहां ड्रेन न बनने से जो पानी आता है उस पर भी मैं विशेष रूप से चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

वह भी आ जायगा।

एक सदस्य--

मान्यवर, कटाव के साथ-साथ सूखे की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

मान्यवर, बस्ती में एक तरफ सूखा भी है और कटाव भी है इसके लिए कल लिखकर दिया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी कब तक व्यवस्था हो जायगी ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय राजस्व मन्त्री ने स्वीकार किया है। अब नहीं। आप लोग बैठें।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह सब प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जायगा। आप लोग बैठें।

श्री बांके लाल--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें। राजस्व मन्त्री अपना वक्तव्य 13 तारीख को देंगे।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

[× × ×]

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

[× × × × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह प्रोसीडिंग में नहीं लिखा जायगा। आप बैठें।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

[× × × × ×]

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

यदि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम सदन त्याग करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

शारदा प्रसाद सदन से चले जायं। आपका व्यवहार अत्यन्त अनुचित है। जब मैं खड़ा हूं तो आप खड़े हों, यह नियम विरुद्ध है। आप सदन का अपमान करते हैं और बिना इजाजत के आप लोग बोलते हैं। आप बैठें।

(श्री शारदा प्रसाद जायसवाल बैठ गए।)

मैं कहना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि नियम का पालन करना चाहिए और पीठ पर बैठे अध्यक्ष कोई बात कहना चाहते हैं, तो माननीय सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। जब एक प्रश्न पर सूखा, बाढ़ और कटाव के बारे में मैंने स्वयं निर्देश दिए कि माननीय राजस्व मन्त्री जी वक्तव्य दें और उन्होंने 13 तारीख को वक्तव्य देना स्वीकार किया, उसके बाद प्रत्येक सदस्य यदि हर जिले से खड़ा हो तो 425 सदस्य होंगे, तो इस प्रकार सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है। इसलिए सदन की कार्यवाही चलने का कोई नियम होना चाहिए। इस प्रकार व्यवधान डालना उचित नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रश्नों का समय महत्वपूर्ण होता है। माननीय सदस्यों ने बड़े परिश्रम करके प्रश्न दिए हैं और उनको स्वीकार किया गया है। लेकिन उस समय भी कुछ माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न करने के लिए बड़ा आग्रह करते हैं। जिन सदस्यों ने प्रश्न किए हैं प्रथम अधिकार उनका है। दूसरे सदस्य जिनकी अभिरुचि है वह एक-एक अनुपूरक प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन माननीय सदस्य बार-बार आग्रह करते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि पूरे प्रश्नों को लिया जाना सम्भव नहीं होता और उन सदस्यों के साथ जिन्होंने प्रश्न किए हैं अन्याय होता है। एक घण्टे में यथासम्भव सभी प्रश्नों के लिए जाने का प्रयास होना चाहिए और सभी माननीय सदस्यों को इसमें सहयोग करना चाहिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ..

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था नहीं है। आप बैठ जायं।

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित——

मान्यवर, मेरा निवेदन तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष——

आपसे बार-बार कहता हूं, आप अनुशासित रहकर सदन की कार्यवाही चलने दीजिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित——

मान्यवर, बारह हजार की जमीन. . .

श्री अध्यक्ष——

आप शान्त नहीं रहना चाहेंगे तो सदन छोड़ें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित——

मान्यवर, निवेदन है उसे सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष——

आप सदन छोड़िए।

(माननीय सदस्य के बैठ जाने पर)

आइन्दा ध्यान रखिए कि अगर आप खड़े हुए इस तरह, तो मैं इंगित कर दूंगा। मैं चेतावनी देता हूं कि अगर आप बिना आज्ञा के खड़े हुए तो मैं आपको इंगित कर दूंगा।

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष——

मैं माननीय सदन को सूचना देता हूं कि कार्य-मन्त्रणा समिति ने अपनी 7 सितम्बर, 1977 की बैठक में यह संस्तुति की है कि शुक्रवार 9 सितम्बर, 1977 को रमजान का अन्तिम शुक्रवार होने के कारण सदन का उपवेशन न हो और उस दिन लिया जाने वाला असरकारी कार्य सोमवार, 12 सितम्बर, 1977 को लिया जाय। शनिवार, 1 अक्तूबर, 1977 को सदन का उपवेशन हो और उस दिन वित्तीय वर्ष 1977–78 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान हो।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)——

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——

मुझे खेद और आश्चर्य है कि नेता सदन बैठे हैं और मन्त्रि मण्डल के अन्य बीसों सदस्य मन्त्री, राज्य मन्त्री और उप मन्त्री बैठे हैं। इस शासन ने उचित नहीं समझा कि कार्य-मन्त्रणा समिति का प्रस्ताव मन्त्रि मण्डल का कोई सदस्य रखता और यह प्रस्ताव एक सम्मानित सदस्य को रखना पड़ा। सन् 1952 से ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि कार्य-मन्त्रणा समिति के प्रस्ताव को शासन के सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य माननीय सदस्य ने रखा हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष——

आप लोग शान्त रहें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं कोई प्वाइंट स्कोर नहीं कर रहा हूं और न ही किसी पर आक्षेप कर रहा हूं। जो पुरानी परिपाटी है और जिसकी मर्यादा शासन को रखनी चाहिए उसी की ओर इंगित कर रहा हूं। यही शासन के हित में है। जब यहां नेता, सदन उपस्थित हैं और अन्य मन्त्री और राज्य मन्त्री भी उपस्थित हैं तो यह उचित होगा कि कोई शासन का सदस्य ही इस प्रस्ताव को रखे।

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय नेता विरोधी दल का ध्यान नियमावली के नियम 226 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। " सदन को सूचित किए जाने के बाद यथासम्भव शीघ्र अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट समिति के किसी भी सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकेगा कि यह सदन समिति द्वारा प्रस्थापित समय के बंटवारे को स्वीकार करता है।" तो यह नियम 226 के अनुसार है और चूंकि माननीय राजेन्द्र कुमार जी कार्य-मन्त्रणा समिति के सदस्य हैं और कार्य-मन्त्रणा समिति के किसी सदस्य को ही यह अधिकार है इसलिए इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। माननीय मालवीय जी या अन्य जो मन्त्री यहां पर उपस्थित हैं वे इसके सदस्य नहीं हैं। माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी यहां हमेशा उपस्थित रहे हैं। वह किसी कारणवश आज यहां मौजूद नहीं हैं। तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि उपेक्षा की जा रही है। यह तो नियम 226 के अनुसार है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं तो आपकी कृपा चाहता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि माननीय सदस्य राजेन्द्र कुमार, सीतापुर को यह अधिकार नहीं है। मैं जानता हूं कि वह सक्षम हैं। किसी मन्त्री से कम योग्य नहीं हैं। यह भी मैं स्वीकार करता हूं। मैं तो केवल जो परिपाटी रही है उसके बारे में कह रहा हूं। मैं समझता हूं हमारी कार्य-मन्त्रणा समिति के कई सदस्य शासन के सदस्य हैं इसलिए उन शासन के किसी सदस्य द्वारा ही यह रखा जाता।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)---

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से नेता विरोधी दल ने प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि जान-बूझ कर यह प्रश्न उठाया है। यह प्रश्न उठाया जाना नहीं चाहिए था। जो परिपाटी रही है वह विधान के अनुसार चलनी चाहिए और चलेगी। विधान में जब इस बात की अनुमति दे दी गयी है तो कार्य-मन्त्रणा समिति का कोई भी सदस्य इस बात को रख सकता है और यदि हमारे किसी सदस्य ने इसे रख दिया तो यह अनुचित नहीं है। इस आधार पर मैं कहूंगा कि तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है वह नहीं उठाना चाहिए था।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

जान-बूझ कर का सवाल नहीं है। मैं तो परिपाटी जो चली आ रही है उसकी बात कर रहा हूं। मैंने स्वयं कम से कम सात साल मोशन पेश किए हैं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता विरोधी दल जी, अब तक माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ही प्रस्ताव पेश करते रहे हैं, लेकिन एक विशेष कार्य की वजह से वह आज यहां सदन के अन्दर मौजूद नहीं हैं और दूसरे सदस्य मन्त्रियों में से जो इस समिति के सदस्य थे, इत्तफाक से वे भी नहीं

हैं। इसलिए जो आपका सुझाव है वह उचित है। जब यहां मन्त्री होंगे जिनकी संख्या तीन है वह इसे अवश्य रखेंगे। ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मन्त्री जी अपना काम न करें।

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश, जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष ने आज सदन को दी है, से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मन्त्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल-संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिए, भूतपूर्व विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल-संरक्षण अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, राज्य भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड में कार्य करने के लिए, भूतपूर्व विधान सभा के विघटन के कारण उक्त विधान सभा द्वारा निर्वाचित चार सदस्यों के रिक्त स्थान पर, उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल-संरक्षण अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के अनुसार, विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था प्रशासकीय बोर्ड में सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

हरिजन कल्याण उप मन्त्री (श्री चन्द्र शेषर सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अधीन गठित प्रशासकीय बोर्ड में, भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित तीन सदस्यों के कार्यकाल के समाप्त होने के कारण, उनके स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य भी होगी, का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अधीन गठित प्रशासकीय बोर्ड में, भूतपूर्व विधान सभा द्वारा निर्वाचित तीन सदस्यों के

[श्री अध्यक्ष]

कार्यकाल के समाप्त होने के कारण, उनके स्थान पर उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य भी होगी, का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

इन दोनों समितियों के चुनाव के लिए 21 सितम्बर, 1977 के चार बजे अपराह्न तथा 22 सितम्बर, 1977 को 3 बजे अपरान्ह (सचिव, विधान सभा के कक्ष में) क्रमशः नामांकन-पत्रों का दाखिला तथा उनकी जांच होगी। 4 अक्तूबर, 1977 को 4 बजे अपरान्ह तक वापसी की तारीख और यदि आवश्यकता हुई तो चुनाव के लिए 10 अक्तूबर, 1977 की तारीख और साढ़े दस बजे पूर्वान्ह से 5 बजे अपरान्ह तक का समय निश्चित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1977†

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

माननीय, मैं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुरःस्थापित करता हूं।

गाजियाबाद और मोदीनगर मेरठ के श्रमिक मजदूरों में अशान्ति तथा हरित इंडस्ट्रियल वर्क्स के मजदूरों के संघर्ष में चार व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत मुझे एक सूचना माननीय नेता विरोधी दल से प्राप्त हुई है "गाजियाबाद और मोदीनगर, मेरठ के श्रमिक मजदूरों में गत कई महीनों से अशान्ति और हरित इंडस्ट्रियल वर्क्स के मजदूरों के संघर्ष से चार व्यक्तियों की मृत्यु एवं अनेकों के घायल होने से उत्पन्न विषम परिस्थिति" के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में मुझे नियम 51 के अन्तर्गत कई सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और आज मैंने उनको स्वीकार कर लिया है। श्रम का बजट तथा सामान्य प्रशासन का बजट आयेगा, तो चूंकि यह परिपाटी रही है जिस समय बजट विचाराधीन होता है उस समय कार्य-स्थगन प्रस्ताव को नहीं लिया जाता है और जो माननीय नेता विरोधी दल की मंशा है वह नियम 51 के अन्तर्गत पूरी हो जायगी इसलिए मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है।

---

†दिनांक 8 सितम्बर, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मेरा निश्चित विषय है। गाजियाबाद क्षेत्र में इस समय मजदूर संगठित होकर आन्दोलन कर रहे हैं और जो वहां संघर्ष चल रहा है उससे अशान्ति और अव्यवस्था हो रही है उसमें 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और यह औद्योगिक अशान्ति बढ़ती चली जा रही है। मैं अवश्य चाहूंगा कि यह वक्तव्य आज ही आ जाय तो अच्छा होगा क्योंकि तीन दिन के लिए सदन उठ रहा है। गाजियाबाद में मेरी व्यक्तिगत जानकारी है औद्योगिक अशान्ति बढ़ रही है। इसलिए यह अत्यन्त महत्व का विषय है इस पर वक्तव्य आज ही दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी (श्रम मन्त्री जी से) इस सम्बन्ध में आप कुछ कहेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पुलिस मन्त्री जी कहें।

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मन्त्री जी इस वक्त नहीं हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

अत्यन्त महत्व का प्रश्न है इसलिए आज इस पर वक्तव्य दे दिया जाय।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, इसको नियम 51 में स्वीकार कर लिया है और निश्चित रूप से सूचना मंगानी पड़ेगी, वक्तव्य देने के लिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

वह तो आपका कार्य-स्थगन समाप्त हो गया नियम 56 में जो आपने दिया था उसे नियम 51 में स्वीकार कर लिया गया है। उस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी है।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा है, नियम 51 में वक्तव्य देंगे। आज नहीं तो किसी और दिन लेकिन नेता विरोधी दल का सुझाव यह है कि इस प्रश्न की गुरुता को देखते हुए क्या आज सम्भव होगा कि इस पर वक्तव्य दे दिया जाय, नियम 51 में ही।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, आज सम्भव नहीं हो पाएगा। जो अगला कार्य दिवस होगा उस दिन। अब तीन दिन की छुट्टी हो रही है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार की।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मुख्य मन्त्री जी के पास वायरलेस से कल ही सूचना आ गई होगी।

स्पीकर अध्यक्ष--

आप मुख्य मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में बात कर लें।

श्रम मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

मान्यवर, अन्तरिम वक्तव्य के रूप में मैं कुछ निवेदन कर दूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बतला दें ठीक है।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

जितनी सूचना आई है उसके आधार पर अन्तरिम वक्तव्य के रूप में मैं सूचना दे दूं। मान्यवर, हरित इंडिया लिमिटेड नाम का एक छोटा सा कारखाना है और 160 आदमी केवल उसमें कार्य करते हैं वहां पर एक दिन की केवल श्रमिकों की हड़ताल हुई उस पर मालिकों ने 8 दिन की तनखाह काट ली। जब वेतन देने का सवाल आया तो उनमें कुछ असन्तोष हुआ। जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने छर्रे वाली गोली चलाई उससे एक श्रमिक की शायद आंख खराब हो गयी। छर्रे 56 आदमियों के लगे हैं। इसके उपरान्त सिक्योरिटी गार्ड में से दो आदमी जिन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की उनको जो बाहर भीड़ इकट्ठा हो गयी थी उस भीड़ ने पकड़-पकड़ कर पीट-पीट कर मार डाला और फैक्ट्री में आग लगा दी। यह सब स्पान्टेनियसली हुआ। इसका श्रमिक असन्तोष से कोई तालुक नहीं है क्योंकि पूरे गाजियाबाद में इस वक्त केवल दो कारखानों में अर्थात् भारत इलेक्ट्रोनिक लि० में जहां 1,800 आदमी काम करते हैं और एक दूसरा छोटा सा कारखाना है जहां 160 आदमी काम करते हैं। वहां पर भी यह मामला नहीं है और जो श्रमिक अशान्ति मार्च से जुलाई तक 57 जगहों में हड़ताल से हुई थी वहां भी शान्ति हो गयी है। यह मामला जो हुआ वह स्पान्टेनियसली हुआ है। यह घटना उससे असम्बद्ध है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, विषय की गम्भीरता को देखते हुए क्योंकि आज बजट के ऊपर तो कोई डिसकशन है नहीं, आज तो विधेयकों पर विचार है और अगर उसको 56 में कार्य-स्थगन में ले लें तो अच्छा हो, क्योंकि 3 दिन के लिए हाउस बन्द हो रहा है। आज कोई बजट चर्चा है नहीं, विधेयक हैं, विधेयक से समय काटकर भी बहुत समय आज निकाला जा सकता है। यह इतना गम्भीर विषय है, यह पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि इसको 56 में कार्य-स्थगन की शक्ल में आप ले लें, समय की तो कोई दिक्कत है नहीं। बिल है, जैसा आप समझें वैसा हम समय कम करने को तैयार हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं माननीय श्रम मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने कम से कम इतना महत्व दिया इस विषय को कि अन्तरिम वक्तव्य दिया। चूंकि यह अन्तरिम है, पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके सामने भी कठिनाई अवश्य है। फिर भी जो समाचार-पत्रों से सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पर यह स्थिति है कि पुलिस ने भी वहां फायरिंग की है। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने छर्रे चलाए, जिसमें एक महिला घायल हुई और 56 लोग घायल हुए और इसके फलस्वरूप उत्तेजित मजदूरों ने दो सिक्योरिटी गार्ड्स

मार डाले। लेकिन पत्रों के अनुसार पुलिस की ओर से भी गोली चली। तो क्या इस सम्बन्ध में भी उनके पास कोई सूचना आई है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मैंने पहले ही निवेदन किया, जितनी भी सूचना आई है, उसी आधार पर अन्तरिम वक्तव्य के रूप में बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--

इसे कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार न करके, नियम 51 की सूचना को मैंने स्वीकार किया है। इस बीच में यदि सरकार को सूचना प्राप्त हो जाय, तो मैं मालवीय जी से कहूंगा कि वह साढ़े 4 बजे तक वक्तव्य दे दें। मैं उनसे कहूंगा कि वहीं से सम्पर्क स्थापित कर साढ़े 4 बजे तक सूचना दे दें, अन्यथा इसको 12 तारीख को ले लिया जायगा।

श्री रियासत हुसैन--

आप नियम 51 में भी ले लें, तो ले लें, लेकिन वायरलेस आदि सारी चीजें मौजूद हैं, नियम 51 में सदन उठने के पहले आज ही हो जाय।

श्री अध्यक्ष--

जैसा श्रम मन्त्री जी ने अन्तरिम वक्तव्य दिया है, यह पत्रों में निकल चुका है, सरकार स्वयं इस बात के लिए चिंतित है कि शीघ्र से शीघ्र वस्तुस्थिति पर प्रकाश डाले। इसलिए नियम 51 के अनुसार आज ही बयान देने के लिए मैं बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा है कि वह सूचना प्राप्त करने की कोशिश करें और प्राप्त हो जाय तो साढ़े 4 बजे सदन में सूचना दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

ठीक है, अध्यक्ष महोदय ने कह दिया है, सूचना प्राप्त हो जायगी तो साढ़े 4 बजे दे दी जायगी।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

आप नियम 51 में स्वीकार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जितनी इस गम्भीर विषय पर बहस होनी चाहिए वह 51 में आ नहीं पायेगी, इसलिए आप 56 में ले लें। आज विधेयक ही हैं, आप जितना समय काटना चाहें, हम तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं। इस पर नियम 52 में भी बहस हो सकती है, लेकिन इसके लिए आवश्यक होगा कि सरकार पूर्णतया सूचना प्राप्त करे, तभी इस पर चर्चा हो।

श्री देव कुमार--

नियम 52 में ले लें लेकिन आज ही करा दें।

श्री अध्यक्ष--

52 में भी जब तक वह वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

आपने नियम 51 के लिए आदेश दिया, तो गाजियाबाद और लखनऊ के बीच डायरेक्ट टेलीफोन है सारी सूचना आ गई होगी। तीन रोज की बात है। जो भाई रियासत ने दरख्वास्त की, मैं भी दरख्वास्त करता हूं। सरकार आज ही इस पर वक्तव्य दे दे इसकी गम्भीरता को देखते हुए, चार आदमी मरने की बात छपी है, अखबार में, दूसरे लोग जो वहां से आए हैं, उन्होंने ज्यादा बताया है जो पुलिस की गोली और दूसरी तरह से मरे हैं। क्या दिक्कत है। सरकार को सारी सूचना आ गई होगी। डाइरेक्ट टेलीफोन है। गाजियाबाद और मेरठ का डाइरेक्ट है। शाम को क्यों नहीं वक्तव्य दे दें? इस पर ही निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष—

इसमें नियम के अनुसार मैं सरकार को आज ही वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता मैं पहले निर्देश दे चुका हूं कि यथासम्भव प्रयास किया जाय कि सूचना प्राप्त हो। माननीय मन्त्री जी ने यह आश्वस्त किया है कि यदि सूचना प्राप्त हो गई तो साढ़े चार बजे वक्तव्य दे देंगे। अब यह खत्म होता है।

एक सदस्य—

इंडस्ट्रियल सिटी है, पीस डिस्टर्ब हो जायगी। इसलिए जितनी जल्दी की जाय उतना अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

सभी लोग मजदूरों के हितैषी बैठे हुए हैं। फायरिंग हुई। गोली चली है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए सुन्दर लाल जी। हो चुका। आप दोहरा रहे हैं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें।

जिला कानपुर नगर एवं कानपुर देहात के एकीकरण से उत्पन्न स्थिति के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन की जानकारी में लाना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' का प्रश्न ले रहा हूं।

*डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने नियम 301 के अन्तर्गत जिला कानपुर देहात और शहर के एकीकरण से उत्पन्न भावात्मक संकट के सम्बन्ध में मुझे अवसर दिया कि वस्तु

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थिति का पर्यालोकन कर सकूं। मैंने इसके पहले भी माननीय मुख्य मन्त्री को दो बार इस सम्बन्ध में सूचना दी और सदन में भी कई बार प्रश्न आया। 27 जुलाई और 9 अगस्त को माननीय मुख्य मन्त्री जी को दो पत्र लिखकर विभिन्न विवरणों सहित जानकारी दी। जो स्थिति है इस समय उसके अन्तर्गत, किसी प्रकार न मितव्ययिता की दृष्टि से न प्रशासनिक दृष्टि से, बल्कि सचिव तन्त्रीय दृष्टियों से दोनों को अलग रखा जाता है। कानपुर देहात को विशेष पिछड़ा क्षेत्र तथा कानपुर शहर को मैट्रोपोलिटन सिटी घोषित करने से न प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न होती है और न रेवेन्यू इनवाल्व होती है। इन दोनों पत्रों का जवाब नहीं मिला। जो सूचना मैंने दी थी वह इस प्रकार है —

दिनांक 27 जुलाई, 1977 तथा 9 अगस्त, 1977 को पत्र लिख कर माननीय मुख्य मन्त्री जी उत्तर प्रदेश से मैंने प्रार्थना की कि उक्त समस्या का समाधान करें। इसके पूर्व दिनांक 9, 14 और 23 जुलाई को व्यक्तिगत रूप में मुख्य मन्त्री जी से मिल कर इस समस्या की चर्चा की। दिनांक 24 जुलाई, 1977 को पुखरायां (कानपुर) की सार्वजनिक सभा में संसद सदस्यों एव विधायकों की ओर से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया।

31 जुलाई, 1977 को राजपुर (कानपुर) के सिंचाई सम्मेलन में तदर्थ प्रस्ताव पारित हुआ। 6 अगस्त, 1977 को जिला परिषद्, कानपुर द्वारा कानपुर देहात को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की सर्वसम्मति अनुशन्सा की गयी। दिनांक 30 अगस्त, 1977 को सायं 9 बजे, कानपुर जनपद के समस्त संसद सदस्यों, विधायकों एवं विधान परिषद् सदस्यों की बैठक में यह सर्वसम्मत तय किया गया कि सरकार तत्काल कानपुर शहर को मैट्रोपोलिटन सिटी और कानपुर देहात को विशेष पिछड़ा क्षेत्र घोषित करे। किन्तु अब तक समुचित निर्णय और उसकी घोषणा नहीं की जा सकी जिससे सम्पूर्ण जनपद में विस्फोटक असन्तोष व्याप्त है। अतएव यह आवश्यक है कि सदन उक्त समस्या पर विचार विनिमय करे।

माननीय राजस्व मन्त्री जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि 8 जुलाई, 1977 को इस तरह का निर्णय हुआ। यह एक अप्रत्याशित निर्णय था। सभी संसद सदस्य और विधायक चाहते हैं कि कानपुर देहात को जिला रखा जाय नहीं तो इसे विशेष पिछड़ा जिला घोषित किया जाय। माननीय श्रम मन्त्री जी कानपुर के हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस मामले को कैबिनेट में रखेंगे। अगर आप हमें इजाजत दें तो जिन पत्रों को मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को प्रेषित किया था और जिनका उत्तर मुझे नहीं मिला। सम्भव है कि विधान सभा में अनशन भी करना पड़े। मैंने उन पत्रों में लिखा है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को मैट्रोपोलिटन सिटी घोषित किया जाय और. . .

श्री अध्यक्ष—

कृपया संक्षेप में कहें। प्रश्न उठाने की अनुमति मैंने दे दी है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

श्रीमन्, मैं तो आप से ही प्रार्थना कर रहा हूं। कानपुर देहात को विशेष पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय और कानपुर शहर को मैट्रोपोलिटन सिटी घोषित किया जाये।

[डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश']

यह सुलझे और उलझे दोनों मामले हैं। इसको दलीय स्थिति से परे देखना चाहिए। मैं कानपुर देहात के पिछड़ेपन की कहानी नहीं यहां पर कहना चाहता हूं। यहां पर 80 प्रतिशत जनता गरीबी के घेरे में रहती है। पूरे क्षेत्र में एक डिग्री कालेज और बाकी इण्टर कालेज ही हैं। यह कितना उत्तम होगा कि इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाय। उद्योग मन्त्री जी कानपुर गए थे उन्होंने भी कहा था हम इसकी अनुशन्सा राज्य सरकार और प्लानिंग कमीशन दोनों को करेंगे। यह मन्त्रि परिषद् में लाया जा सकता है और कानपुर देहात को विशेष पिछड़ा जिला घोषित किया जाय, और कानपुर शहर को मैट्रोपोलिटन सिटी घोषित किया जाय। इसमें शासन को कोई दिक्कत नहीं है। मैं सरकार को ज्यादा उलझन में नहीं डालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कानपुर शहर को मैट्रोपोलिटन सिटी बनाया जाय और कानपुर देहात को विशेष पिछड़ा जिला घोषित किया जाय। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं 7 दिन के लिए प्रतीक अनशन करूंगा और गांधी जयन्ती के उपरान्त सदन में ही प्रतीक अनशन करूंगा। मेरा विश्वास है कि मेरी इस मांग को शीघ्र ही पूरा किया जायेगा। आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—

आप जानते हैं कि नियम 301 के अनुसार तो केवल किसी माननीय सदस्य को अनुज्ञा दी जा सकती है, लेकिन इस पर कोई विवाद होता नहीं। नियम 301 में मैंने अनुज्ञा दी है और उसका उत्तर राजस्व मन्त्री दे दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि नियम 301 के अन्तर्गत आपने इसकी अनुज्ञा दी, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और माननीय सदस्य को बधाई देता हूं। माननीय सदस्य कानपुर ने एक प्रश्न उठाया। मैं आपसे आग्रह करूंगा आप नियम 301 को देखें जिसमें यह लिखा हुआ है कि ऐसे सवाल जो औचित्य के प्रश्न न हों, के लिए तिथि दी जाएगी। तो श्रीमन्, इस पर वाद विवाद के लिए कोई समय निश्चित कर दें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने अर्ज किया कि इसमें वाद-विवाद न हो। नियम 301 में अभी आप पहले की परिपाटी देखें। वह इस प्रकार है कि जैसा कि शून्य प्रहर में प्रश्न उठा था कि एक या उससे अधिक सवाल हों जिसमें जो माननीय सदस्य प्रश्न करें, उनका उत्तर तुरन्त ही माननीय मन्त्री जी दे दें, तो इसके लिये जो आगे की कार्यवाही निश्चित की गईहै, उसमें मैंने वाद-विवाद के लिए समय नहीं रखा है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

एक बात मैं कहना चाहता हूं श्रीमन्, नियम 301 को जरा देखें जिसमें आपने आज्ञा दी है इस विषय को उठाने की जो औचित्य का न हो। आपने आज्ञा दी है कि जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहें, जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप में सूचना देंगे, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेंगे जिसे वह सदन में उठाना चाहते हों तथा साथ में कारण भी बतायेंगे कि वे उसे क्यों उठाना चाहते हैं? अब यह विषय सदन में उठाया गया है।

दूसरी बात श्रीमन्, आप यह देखें कि आपने साधारणतया इस धारा में बहुत ही कम, कम से कम 2 माह में एक बार भी आज्ञा नहीं दी है। विशेष परिस्थिति में आपने आज्ञा दी है वह विषय जब सदन के सामने है तो केवल इसलिए नहीं है प्रश्न वह उठा दें और मन्त्री जी उसका जवाब दे दें और उसके बाद कोई प्रश्न उठाना चाहे तो उठा ही नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नारायण दत्त जी, आप तो इस सदन के अपने मुख्य मन्त्रित्व काल में नेता भी रहे हैं। क्या आप मुझे पहले की कोई परम्परा बतायेंगे जिसमें इस प्रकार के वाद-विवाद की आज्ञा दी गई हो और तिथि तथा समय जो आप के लिए निश्चित किया गया है उसके अनुसार माननीय प्रश्न कर्ता और माननीय मन्त्री जी को अवसर मिल सकेगा अन्यथा जो आज का कार्य है, उसमें बाधा पड़ेगी। यदि माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी लेते तो कारणों सहित लिखकर दे देते। इसलिए मैंने आज वाद-विवाद का समय नहीं रखा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, आपने जो मेरे प्रति प्रशंसापूर्ण शब्द कहे उनके प्रति मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। श्रीमन्, प्रश्न नियम 301 का है इसके पहले नियम 300 है इसमें यह है कि ऐसे विषय दो प्रकार से उठाए जायेंगे एक तो औचित्य प्रश्न प्वाइंट आफ आर्डर के रूप में उठाया जा सकता है। यह एक ऐसा विषय है जो प्वाइंट आफ आर्डर के रूप में नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि यह प्वाइंट आफ आर्डर का नहीं है। अब अगर प्वाइंट आफ आर्डर का प्रश्न उठाते तो उस पर पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखते। तो आप उस पर अपना निर्णय देते कि औचित्य प्रश्न बनता है या नहीं बनता है। तो यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिस पर एक माननीय सदस्य ने बात कही है। दूसरी ओर से बात नहीं कही गई है और अन्य माननीय सदस्यों को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह नियम 301 के अन्तर्गत अपनी बात कहें। लेकिन श्रीमन्, अगर आपने नियम 301 के अन्तर्गत इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाने की आज्ञा दे दें और एक सदस्य बोल कर रह जाए तो यह अच्छा नहीं होगा। जो आपने नई परिपाटी कायम की है सदन में पहले भी नियम 301 का प्रश्न सदन में उठाया गया है।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी, मैं आप से जानना चाहूंगा कि आप पहले की कोई ऐसी परम्परा बतायें जिसमें प्रश्नकर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य ने भाग लिया हो।

श्री नारयण दत्त तिवारी--

जहां तक श्रीमन्, मुझे याद है कोई ऐसी मनाही भी नहीं रही है। मैं कल को इसका आपको सन्दर्भ दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

इसको कोई प्रिसीडेन्ट नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें पहले से ही समय निश्चित है विधेयकों का और पूरी तरह से आपको निर्णय करना था। कार्य-मन्त्रणा समिति ने तय किया था। तो उसके अतिरिक्त यद्यपि इस प्रश्न पर बहस चाहते थे तो बताना चाहिए था। मैंने कहा कि इस पर समय निश्चित है। नियम 51 में प्रक्रिया निश्चित है, नियम 52 में और नियम 56 में भी प्रक्रिया निश्चित है। जैसे नियम 52 में ढाई घंटे की बहस हो सकती है और नियम 51 में वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण म गा जा सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, नियम 300 के उप नियम 4 को देख लें। इसमें दिया हुआ है कि "किसी औचित्य के प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष, यदि वे ठीक समझें, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बात सुन सकेंगे।" तो बात तो आप सुन सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें स्पष्ट लिखा है कि औचित्य के प्रश्न पर कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता है। यदि किसी ने औचित्य का प्रश्न रखा, अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था दी तो वह समाप्त हो गया। यह इससे बिल्कुल अलग है। 301 में औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

तो जानकारी तो प्राप्त कर लें क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

यदि इस पर वाद-विवाद की कोई परिपाटी होगी तो अवश्य हम विचार कर लेंगे।

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश", सदस्य, विधान सभा ने यह प्रश्न उठाया है कि कानपुर नगर व कानपुर देहात जिलों को एक कर दिए जाने से ग्रामीण एवं नगर विकास में अप्रत्याशित गतिरोध उत्पन्न हो गया है जिससे ग्रामीण एवं शहरी जनता में असन्तोष व्याप्त है।अत : सरकार कानपुर शहर को मैट्रोपोलिटन सिटी और कानपुर देहात को विशेष पिछड़ा क्षेत्र घोषित करें।

कानपुर जनपद का दो जिलों में विभाजन पिछली सरकार द्वारा बड़ी जल्दी में किया गया था। इस सम्बन्ध में न कहीं से कोई प्रस्ताव आया था और न ही आवश्यक आंकड़े एवं आधार प्रस्तुत करते हुए कोई रिपोर्ट ही किसी स्तर से मांगी गई थी। 20 मई, 1976 को भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने यह आदेश दिए थे कि कानपुर जनपद को दो जिलों में विभाजित कर दिया जाय और 7 जून, 1976 तक दूसरे कलेक्टर की नियुक्ति कर दी जाय।

उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में दिनांक 7-8 जून, 1976 की मध्य रात्रि से पुराना जिला कानपुर समाप्त करके कानपुर देहात तथा कानपुर नगर नामक दो नए जिले सृजित करते हुए यू0 पी0 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा 11 के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी कर दी गयी। जिला कानपुर के देहात के मुख्यालय का निर्णय नहीं हो सका था। वस्तुत : कानपुर देहात के क्षेत्र में कोई ऐसा नगर या कस्बा नहीं था जो जिला का मुख्यालय बनाने योग्य होता। अत: कानपुर देहात जनपद का जिला मुख्यालय कानपुर नगर में ही रखा गया।

प्रदेश के बड़े जिलों के विभाजन पर विचार करने के लिए राज्य सरकार ने एक समिति अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में गठित की थी इसमें कहा गया था कि जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास का परीक्षण करते हुए प्रभावी प्रशासन हेतु जिलों के विभाजन पर विचार कर लें। यह समिति 18 जून, 1976 को बनायी गयी थी लेकिन कानपुर जिले का विभाजन इसके पहले ही कर दिया गया और जो

दृष्टिकोण समिति के लिए रखा गया उसमें से कोई भी कानपुर के विभाजन के बारे में नहीं रखा गया। कानपुर जिले की पूरी आर्थिक व्यवस्था कानपुर शहर से सम्बद्ध रही है। दो भागों में बांट देने से कानपुर के नगर और देहाती दोनों ही क्षेत्रों के विकास पर कुप्रभाव पड़ना अवश्यमभावी था। कानपुर के देहाती क्षेत्र को अलग जिला बना देने से इस नए जिले में यूनिवर्सिटी, मेडिकल कालेज, इन्जीनियरिंग कालेज आदि की सुविधायें देहाती क्षेत्र वाले जनपद के निवासियों को बरसों तक उपलब्ध नहीं करायी जा सकती थी।

राष्ट्रपति शासन में श्री राज्यपाल ने 24 मई, 1977 को आदेश दिया कि नई सरकार कानपुर को दो भागों में बांटने की स्थिति में पुन : विचार करे। जब इस पर विचार किया गया तब उपरोक्त आधारों पर यह प्रतीत हुआ कि कानपुर जनपद को दो भागों में बांटने का कोई औचित्य नहीं था। कानपुर में दूसरा जिला बनाए जाने पर जो 10 करोड़ रुपया खर्च होगा वह अलाभकारी होगा। प्रदेश की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसमें इस प्रकार का अनुत्पादक व्यय किया जा सके। इसी कारण वर्ष 1976 में गठित जिला पुनर्गठन समिति द्वारा संस्तुत कुछ अन्य जिलों को प्रस्ताव वित्तीय साधनों के सीमित होने के कारण फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। यहां पर यह भी उल्लेख योग्य है कि ललितपुर जिला पहले बनाया जा चुका है तथा गाजियाबाद जिला उपरोक्त समिति की संस्तुति पर 12 नवम्बर, 1976 के बनाया गया है। इन्हीं पर कार्यालय स्थापन आदि सम्बन्धित व्यय पर लगभग 20 करोड़ का व्यय भार शासन पर है। परन्तु इनके औचित्य को देखते हुए शासन द्वारा इन्हें बनाए रखा गया है।

जहां तक कानपुर जनपद के एकीकरण के बाद कानपुर नगर को मैट्रोपोलिटन एरिया घोषित करने का प्रश्न है। भूतपूर्व जिला कानपुर नगर का सारा क्षेत्र (जिसमें केवल कानपुर तहसील सम्मिलित थी) 11 अक्तूबर, 1976 से मैट्रोपोलिटन एरिया घोषित किया गया था। एकीकरण के पश्चात् भी गृह पुलिस विभाग की विज्ञप्ति संख्या 3874/8-9-20(7)(3)-76 दिनांक 12 जुलाई, 1977 द्वारा भूतपूर्व जिला कानपुर नगर का सारा क्षेत्र (जिसमें कानपुर शहर सम्मिलित है) मैट्रोपोलिटन एरिया घोषित किया जा चुका है तथा जनपद की शेष 5 तहसीलों का क्षेत्र गैर मैट्रोपीलिटन एरिया घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार उक्त मैट्रोपोलिटन एरिया के अन्तर्गत पूरी कानपुर तहसील का क्षेत्र, जिसमें कानपुर सिटी शामिल है, आ जाता है। अत : कानपुर सिटी को अलग से मैट्रोपोलिटन एरिया घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक कानपुर जनपद के देहाती क्षेत्र को पिछड़ा घोषित करने का प्रश्न है यह उल्लेखनीय है कि योजना आयोग द्वारा कानपुर देहात जिले को पिछड़ा हुआ घोषित किया गया था। एकीकरण के पश्चात् कानपुर जनपद के देहाती क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र स्वीकार करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जा सकता है। बुलन्दशहर जनपद में दादरी क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है। गाजियाबाद जिले में इस दादरी क्षेत्र के स्थानान्तरित हो जाने के बाद भी दादरी क्षेत्र को योजना आयोग ने पिछड़ा क्षेत्र माने जाने की स्वीकृति दे दी है। इस उदाहरण के आधार पर कि जिले का एक अंग भी पिछड़ा घोषित हो सकता है, कानपुर जनपद के देहाती क्षेत्र को पिछड़ा घोषित कराने हेतु भारत सरकार से प्रस्ताव की संस्तुति कर दी जावेगी।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

जैसा मैंने कहा कि 301 में क्योंकि कोई प्रक्रिया नहीं है इसलिए जो अवशेष अधिकार हैं 313 के अनुसार वह मैंने आज इतना इस पर अवसर दिया। अन्तिम रूप से 301 में आगे क्या प्रक्रिया होगी, मैं इस पर कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो अविशष्ट शक्तियां हैं नियम 313 के अनुसार इसमें मैंने पहले ही निश्चित किया कि केवल प्रश्नकर्ता और माननीय मन्त्री जी को अवसर दिया जायगा, अन्यथा इसमें अधिक समय तो इस पर प्रश्नों के लिए मैंने दे ही रखा था, मेरी दृष्टि में यही था, इसलिए इस पर वाद-विवाद आज उचित नहीं होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, माननीय राजस्व मन्त्री ने जो वक्तव्य दिया है इससे स्थिति और बिगड़ गयी। अच्छा होता कि कोई वक्तव्य न देते ....

श्री अध्यक्ष--

अब तो इस पर विवाद ....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरा नाम लिया गया कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने बहुत जल्दी में कर दिया।

श्री अध्यक्ष--

आप फिर परसनल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आपका जो नाम लिया, इस पर विवाद नहीं होगा।.... (व्यवधान) राकेश जी, इस पर कोई विवाद नहीं होगा। आप स्थान ग्रहण करें।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'--

नियम 279 देखिए। उसके अन्तर्गत मैं ऐसा महसूस करता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री जी का उत्तर किंचित वंचनात्मक है। मैं 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं।

(डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' सदन के बाहर चले गए।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, माननीय राजस्व मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें यह उल्लेख किया कि भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने बहुत जल्दी में यह निर्णय ले लिया और आदेश दे दिए। मैं समझता हूं कि और कोई जिला नया बनाने का औचित्य किसी भी जिले को हो सकता था सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश में तो वह कानपुर देहाती जिला का था। क्योंकि कानपुर शहर मैट्रोपोलिटन एरिया घोषित होने के बाद कानपुर देहात का क्या होगा? माननीय राजस्व मन्त्री ने स्वयं कह दिया कि मैट्रोपोलिटन सिटी हम कानपुर को बना रहे हैं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय तिवारी जी मुख्य मन्त्री भी रहे हैं और नेता विरोधी दल भी हैं। और मान्यवर, द्वारा स्पष्ट रूप से रूलिंग दे दी गयी है कि इसके सम्बन्ध में अब कोई भी विवाद नहीं होगा। माननीय नेता विरोधी दल एक नयी परम्परा कायम कर रहे हैं। जब विषय अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया गया तो फिर इस पर विवाद कैसे हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—

मैं इस पर व्यवस्था दे चुका हूं। माननीय तोमर जी का यह प्रश्न सही है कि अब इस प्रश्न पर कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता। मैंने आपको केवल इतनी अनुमति दी है कि जहां आपका नाम आया है उसका आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं। लेकिन आपका व्यक्तिगत रूप से तो नाम आया नहीं है, मुख्य मन्त्री की हैसियत से आया है। मैं माननीय नेता विरोधी दल का अत्यन्त सम्मान करता हूं, मैं इस पर व्यवस्था दे चुका हूं, उचित होगा कि इस पर अब बहस न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बहस नहीं, उन्होंने भूतपूर्व मुख्य मन्त्री कहा। आपने मुझे स्पष्टीकरण देने की इजाजत दी है। वह भूतपूर्व सरकार भी कह सकते थे लेकिन उन्होंने भूतपूर्व मुख्य मन्त्री कहा। मैं स्पष्टीकरण दे दूं। सोहन वीर सिंह जी तोमर, माननीय सदस्य मोदीनगर मान जायेंगे।

कानपुर मैट्रोपोलिटन शहर बनाने का औचित्य मन्त्री जी ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद 16 लाख जनता जो बाहर देहात में रहती है उसको मेट्रोपोलिटन शासन के अन्तर्गत लाना किसी भी प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है। दिल्ली का उदाहरण सामने है, लेकिन वहां का एक अलग प्रशासन है, वहां मैट्रोपोलिटन कौंसिल बनी हुई है जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव कौंसिलर है। देश में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां मैट्रोपोलिटन सिटी में देहात एरिया मिला दिया गया हो।

श्री अध्यक्ष—

मैट्रोपोलिटन तो और भी हमारे देश में बनाने का प्रस्ताव है। जैसे, लखनऊ हो सकता है या इलाहाबाद हो सकता है। तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि लखनऊ नगर अलग होगा और देहात अलग होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप शासन की मदद क्यों कर रहे हैं? उत्तर तो मन्त्री जी देंगे। आपको तो मैं अलग आपके कक्ष में सन्तुष्ट कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

यह तो अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह सभा की कार्यवाही में मदद करे। और पहले तो इंगलैन्ड की परम्परा यह थी कि स्पीकर नाम ही इसलिए पड़ा कि दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अन्त में वह उसकी बिल्कुल सिन्थेसिस कर दे। तो यह तो अध्यक्ष का कर्तव्य है कि उसमें वह सहायता करे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रश्न पर फिर विचार करने दिया जाय। जो यह कहा गया है कि यह निर्णय जल्दबाजी में किया गया, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। यह निर्णय पूर्ण विचार करके लिया गया था।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक-व्यवस्था) विधेयक, 1977†

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह विधेयक जिस पर आज विचार प्रारम्भ हो रहा है अत्यन्त ही निर्दोष विधेयक है और इसलिए मैं माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को पारित करने की कृपा करें। विधेयक के उद्देश्य और कारण में स्पष्ट कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 175 नगरपालिकायें, 47 नोटीफाइड एरिया तथा 338 टाउन एरिया हैं। विगत 10 अगस्त से पूर्व स्थिति यह थी कि इनमें से 75 नगरपालिकाएं अतिक्रमित थीं तथा 107 टाउन एरिया जिला मैजिस्ट्रेटों के प्रशासन में थीं। शेष में निर्वाचित बोर्ड तथा समितियां कार्य कर रही थीं इन समस्त स्वायत्त सेवी संस्थाओं का निर्वाचन पिछली बार 1971 में केवल 5 वर्ष के लिए हुआ था और इस प्रकार से उनका कार्यकाल यदि पिछली सरकार न बढ़ाती तो 1976 में स्वमेव समाप्त हो जाता।

(इस समय 1 बज कर 30 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही पिछली सरकार ने इन समस्त स्वायत्त सेवी संस्थाओं के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया और जब यह बढ़ा हुआ समय समाप्त हो रहा था, तो ठीक उसके पूर्व पुन : स्वायत्त सेवी संस्थाओं का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया और वह समय 30 नवम्बर, 1977 को समाप्त होने को था। इन स्वायत्त सेवी संस्थाओं में से कितनी ही नगरपालिकायें ऐसी थीं, जो अतिक्रमित थीं, इसके अतिरिक्त आम जनता ने केवल इनको 5 वर्ष के लिए चुना था, अगर इनका कार्यकाल बढ़ाया न गया होता तो समाप्त हो गया होता, जनतन्त्र प्रणाली में मतदान होता है, तो वह एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत होता है, निश्चित सीमा के अन्तर्गत होता है! पिछली सरकार का यह कर्तव्य था कि नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया का विधिवत् चुनाव कराती।

शासन ने यह निश्चय किया और साथ ही साथ यह घोषणा भी किया कि हम अतिक्रमण तो कर रहे हैं लेकिन अतिक्रमण के साथ-साथ चुनाव करा देंगे और इसके लिए 30 नवम्बर,, निश्चित किया गया है। इसमें जो उपबन्ध है, उसके खण्ड 4 में एक नया उपबन्ध 1 जोड़ा गया है, जिसके अनुसार उपबन्ध यह है कि प्रस्तावित अधिनियम के उपबन्ध उस स्थानीय निकायों पर भी लागू होंगे, जिनका विघटन या अतिक्रमण 10 अगस्त, 1977 के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो। मान्यवर, यह इसलिए किया गया कि जिससे एकरूपता रहे, क्योंकि जैसा बताया गया है कि जितनी स्वायत्त सेवी संस्थायें 10 अगस्त, 1977 को कार्य कर रही थीं, जहां पर जनता द्वारा चुने हुए सदस्य थे, जो पहले से ही अतिक्रिमत थीं, उप धारा 2 में इस बात का भी प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा किसी कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जो उसे पूर्ववर्ती और सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। जो विधेयक

---

†दिनांक 1 सितम्बर, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

आज प्रस्तुत है अगर वह पारित हो जाता है और उसके बाद उसमें कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शासन की ओर से आदेश और अधिसूचना जारी की जायगी। ऐसी अधिसूचना जो जारी की जायगी, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से इस माननीय सदन को जो अवधि इसमें दी गयी है उसके अन्दर ही सूचना दे दी जायगी और उस सचना को माननीय सदन के पटल पर रखा जायगा। शासन ने इस बात की भी सूचना दी है कि चुनाव कब होंगे, इसके सम्बन्ध में शासन ने कोई निश्चित रूप से निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जो सम्भावित तारीख है उसके सम्बन्ध में मैं इस माननीय सदन को और उसके जरिए सारे प्रदेश को बता देना चाहता हूं कि जितनी भी नगरपालिकायें, महापालिकायें, नोटीफाइड एरिया,टाउन एरिया के सदस्य व अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में जो चुनाव कराने के लिए सूचना जारी होगी उसका सम्भावित कार्य-क्रम है 26 अक्तूबर, 1977 को अधिसूचना जारी की जाय। नामांकन 31 अक्तूबर, 1977 रखा गया है। जो नामांकन पत्र दाखिल कर दिया जायगा, जांच के लिए 2 नवम्बर, 1977 है और जितने भी नामांकन पत्र प्राप्त हो जायेंगे, अस्वीकृत नहीं किए जायेंगे। उनकी वापसी की सम्भावित अन्तिम तारीख 5 नवम्बर, 1977 रखी गयी है। और इस प्रकार सम्भावित मतदान की तिथि 20 नवम्बर, 1977 (रविवार) को रखी गई है। इन सम्भावित तारीखों का मैंने निवेदन केवल इसलिए किया कि शासन लोकतन्त्र के प्रति जागरूक है और आम चुनाव के सम्बन्ध में माननीय सदन के सदस्यों से उनकी राय लेकर, उनकी सलाह लेकर चुनाव का सारा कार्यक्रम बनाया जायगा। अभी मैंने केवल सम्भावित तिथियां बताई हैं। यदि इसमें परिवर्तन कराने के सम्बन्ध में कोई सदस्य सुझाव देंगे तो उस पर शासन विचार करेगा। क्योंकि 2-3 माननीय सदस्यों से मेरी बातचीत हुई, तो कुछ ने सुझाव दिया कि मुरादाबाद की तरफ गढ़मुक्तेश्वर का मेला होता है तो तारीखों को 4-6 दिन आगे पीछे कर दिया जाय। तो मैंने यह सम्भावित तिथियां बता दी हैं, जो माननीय सदस्य सुझाव देंगे शासन उन सुझाओं के ऊपर निश्चित रूप से विचार करेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि केन्द्र सरकार ने निर्देश दिया है कि 30 नवम्बर, 1977 से पूर्व जितनी भी स्वायत्त सेवी संस्थायें हैं उनके चुनाव करा लेने चाहिए।

जनता पार्टी के महामन्त्री श्री राम कृष्ण हेगड़े ने एक परि-पत्र जनता पार्टी की सरकारों के नाम जारी किया है, जिसमें सरकारों से निवेदन किया गया है कि 30 नवम्बर, 1977 के पूर्व ही आम चुनाव करा दिए जायं। जैसा मैंने कहा कि जो स्वायत्त सेवी संस्थायें कार्य कर रहीं थीं, जहां पर निर्वाचित जनता के प्रतिनिधि थे, यदि उनको अतिक्रमित न किया गया होता तो भी उनका कार्यकाल 30 नवम्बर, 1977 तक ही था। तो शासन घोषणा कर चुका है और मन्त्रि-परिषद् ने भी निर्णय लिए हैं कि 30 नवम्वर, 1977 के अन्दर चुनाव करा लेने चाहिए। माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे उनका मैं स्वागत करूंगा लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा कि इस प्रकार का सुझाव दें कि यदि 30 नवम्बर, 1977 के अन्दर हम चुनाव करा सकें तो बहुत अच्छा होगा। हमें तिथि बढ़ानी पड़ी तो निश्चित रूप में इसकी आलोचना होगी। शासन के निर्णय के अनुरूप हम चुनाव करायें तो अच्छा हो। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर विचार विमर्श होगा, जो कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव आयेंगे उन पर भी मैं ध्यानपूर्वक विचार करूंगा। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि इस निर्दोष विधेयक को आप सभी लोग सर्वसम्मति से पारित करने की कृपा करें।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने का उद्देश्य इस विधेयक के साथ ही लिखा और उन्होंने सदन में जो वक्तव्य दिया उससे यह जाहिर हुआ कि चूंकि इन संस्थाओं का कार्यकाल समाप्त हो गया था इसलिए अध्यादेश जारी करके इनको समाप्त किया गया और आज विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। मान्यवर, यह बात सही है कि इन संस्थाओं की अवधि समाप्त हो रही थी और पिछले शासन ने उनके कार्यकाल की अवधि बढ़ाकर उनको जीवित रखा था। इसमें हमको कोई शिकायत नहीं होती, माननीय मन्त्री जी जो मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब आप इधर बैठते थे तो आये दिन, अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने की परम्परा का विरोध किया था। लेकिन मालवीय जी जैसे समाजवादी और जनतन्त्र के हामी व्यक्ति के मन्त्री हो जाने के बाद जिन परम्पराओं का वह विरोध करते रहे हैं, उन्हीं परम्पराओं को फिर से दोहरायें तो इस पर आश्चर्य होता है और ऐसा लगता है कि उन्हीं परिपाटियों को जिनकी इस पक्ष और कांग्रेस की निन्दा करते हैं, आप चलाना चाहते हैं।

मान्यवर, इन अध्यादेशों को जारी करने के लिए जबकि बजट अधिवेशन शुरू हो चुका है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद बजट सेशन का सत्रावसान किया गया और 10 अगस्त को यह अध्यादेश जारी किए गए। हमारी समझ में नहीं आता कि 26 अगस्त से सदन को चलाने जा रहे थे फिर से तो क्या ऐसी जल्दी थी कि आप अध्यादेश जारी करके उन्हीं परम्पराओं को जारी रखें जिनके आप विरोधी रहे हैं। मान्यवर, इसलिए मैंने यह संशोधन पेश किया है कि केवल इन संस्थाओं को भंग कर देने से म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरियाज की जो समस्यायें हैं वह हल नहीं होती हैं। आपकी सरकार ने चुनाव के पहले घोषणा-पत्र में यह घोषित किया था कि जनता के बीच में आप सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करना चाहते हैं और अब शासन में आने के बाद इस पर अमल करेंगे। लेकिन मान्यवर, जो संशोधन मन्त्री जी ला रहे हैं वह बिल्कुल अपूर्ण है। आपकी क्या मंशा है? आप इन संस्थाओं को कोई सत्ता देना चाहते हैं कि नहीं आप इन संस्थाओं को जीवन देना चाहते हैं कि नहीं? इस संशोधन के जरिए कुछ मालूम नहीं पड़ता। इसलिए जानबूझकर मैं सदन के सामने यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि इस विधेयक को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और उसकी रिपोर्ट के बाद इस संशोधन की परिधि को और विस्तृत करना बहुत आवश्यक है। मान्यवर, माननीय मन्त्री जी इन संस्थाओं के अधिकारों पर विचार करें तो इसमें रह ही क्या जाता है? इन संस्थाओं को पहले शिक्षा संस्थायें चलाने का हक था, स्वायत्त शासन का हक था, पानी के व्यवस्था का हक था और भी व्यवस्थायें करने का हक था। लेकिन वह सारे अधिकार उनसे हटा लिए गए हैं और केवल एक अधिकार झाड़ू लगाने का बचता है। इसलिए जो पूरे प्रदेश की स्थिति है उसके लिए कोई कमीशन बिठाकर जांच सरकार करायें तो मान्यवर, किस तरह गन्दगी इन नगरपालिकाओं, कस्बों आदि में मौजूद हैं जिसको देख कर बड़ी तकलीफ होती है। इसलिये आज बदलती हुई दशा में उस बीमारी को जो शहरों में पैदा हो रही है उसको कैसे रोकेंगे इसकी व्यवस्था होना आवश्यक है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, टाउन एरियाज और म्युनिसिपैलिटीज में आप देखते हैं कि किस तरह गांव के लोग, जिनकी माली हालत ठीक है, नगर में रहने चले आते हैं। यह परम्परा चालू हो गयी है। इससे आबादी शहरों की बढ़ रही है। इस आबादी के बढ़ने के साथ-साथ वहां की समस्यायें बढ़ती हैं और नागरिक उपयोग की आवश्यकतायें बढ़ती हैं तथा गन्दगी बढ़ती है। लेकिन इस अधिनियम के जरिए उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे उसका प्राविधान इसमें कोई नहीं किया गया है। मान्यवर, शहरों में भीषण गन्दगी और बीमारी पैदा हो रही है। यदि सर्वेक्षण करायें तो जितने टी0 बी0 के मरीज और हैजे जैसे संक्रामक बीमारी इस प्रदेश में पायी गयी है। लेकिन उस गन्दगी को दूर करने की व्यवस्था सरकार ने कोई नहीं की है। मान्यवर, मन्त्री जी ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि इलाहाबाद शहर में और प्रदेश के तमाम नगरों में सफाई का अभियान चलायेंगे। हमको आशा थी कि मालवीय जी शासन सम्भालने के बाद इस प्रदेश की जनता को यदि सस्ता अनाज नहीं दे सकते हैं, सस्ता कपड़ा नहीं दे सकते, अन्य जीवनोपयोगी वस्तुयें सस्ती नहीं दे सकते तो स्वच्छ नागरिक जीवन देंगे, गन्दगी को दूर कर स्वच्छ हवा देंगे लेकिन यह घोषणा भी पूरी नहीं हो रही है। इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि यह गन्दगी दूर हो सके।

मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है बहुत कम म्युनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जहां सीवर सिस्टम की व्यवस्था है। इस माननीय सदन में एक बिल पास हुआ था जिसके जरिए यह प्रतिबन्धित कर दिया गया था कि कोई भी मेहतर भाई सिर पर मैला नहीं उठायेगा। अब गांधी जयन्ती आने वाली है और यदि इसका सर्वेक्षण कराया जाय तो आप पायेंगे कि इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। जो स्थिति पहले थी वह आज भी है। जब तक कोई नियम बनाकर उसको पालन कराने की उचित व्यवस्था न हो तब तक सदन के अन्दर विधेयक पास कर देना या कोई अच्छा संकल्प लेना ही काफी नहीं है। म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर सीवर सिस्टम की व्यवस्था होना आवयश्क है। अगर आप निरीक्षण करके देखें तो पानी के बहाव के साधन ही नहीं हैं। मैं अपने जिला बांदा की बात बताना चाहता हूं। हमारे यहा गन्दा पानी घरों में घुसना शुरू हो गया तो हमने स्वयं सफाई की। तत्कालीन मुख्य मन्त्री को नागरिकों ने पर्चा छपवा कर दिया कि हमें नर्क से मुक्त किया जाय। एक समिति भी बनी लेकिन वह सफाई अभियान कुछ ही दिन तक चला। जितना भी काम सड़क आदि का नगरपालिकाओं द्वारा होता है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव आफिसर या मेम्बर्स, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, ठेकेदारों से जो भी हिस्सा मिलता है उसको अधिक से अधिक खाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश का नागरिक जीवन निखरे तो आप हमारी दो मांगें स्वीकार कर लें। पहली तो यह कि उनको कुछ अधिकार दिए जायं। दूसरी यह कि जो धन उनके पास है उसका सही उपयोग कैसे करा सकें। इसलिए मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी इसको जल्दी में पास न करा कर प्रवर समिति को भेज दें जहां पर गहन विचार हो और जो आपकी व प्रदेश की जनता की मंशा है, वह पूरी हो सके।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक

[श्री रियासत हुसैन]

व्यवस्था) विधेयक, 1977 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। श्रीमन्, इस विधेयक पर अब तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। देव कुमार जी ने काफी विस्तार के साथ कह दिया। मैं दो बातों का आश्वासन माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा क्योंकि उद्देश्य और कारणों से उसका स्पष्टीकरण नहीं होता।

आज पूरे प्रदेश के अन्दर इन इलेक्शनों की तरफ सबकी निगाह है। दो चीजों की शंका चल रही है। एक तो इस बात की शंका चल रही है कि क्या ये इलेक्शन डाइरेक्ट होंगे या इनडाइरेक्ट होंगे। हालांकि यह स्पष्ट है कि इन संस्थाओं के अध्यक्षों के चुनाव डाइरेक्ट होंगे लेकिन पूरे प्रदेश में मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से यह शंका चल रही है कि इस में परिवर्तन करके इन अध्यक्षों का चुनाव इनडाइरेक्ट होने वाला है। दूसरी चीज यह है श्रीमन्, कि मुरादाबाद, अलीगढ़ दो चार म्युनिसिपल बोर्ड ऐसे हैं जहां बीस साल से चुनाव नहीं हुआ। बड़े दिनों के बाद यह खबर अखबारों में आई। हमने प्रोग्राम पढ़ा और हमें यह उम्मीद है कि चुनाव होंगे लेकिन इसके बावजूद भी मुरादाबाद और आस-पास यह खबर गरम है कि मुरादाबाद, मेरठ, बरेली और अलीगढ़ के चुनाव नहीं होंगे। आज भी यह खबर है। परसों ही मैंने जब इलेक्शन दफ्तर में इस बात की सूचना मांगी कि आपके पास इलेक्शन के सिलसिले में कोई सूचना है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास किसी किस्म की कोई सूचना इलेक्शन से सम्बन्धित नहीं है जब कि दूसरे ही दिन अखबारों में सारा प्रोग्राम आपका छप गया। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इन दो चीजों की बड़े स्पष्ट तरीके से घोषणा कर दें कि समस्त प्रदेश के अन्दर चुनाव होंगे किसी भी हालत में टालें नहीं जायेंगे और इनके जो अध्यक्षों का चुनाव होगा वह डाइरेक्ट होगा किसी भी हालत में उसे इनडाइरेक्ट की तरफ नहीं ले जायेंगे और डाइरेक्ट इलेक्शन किया जायगा। इन दो चीजों को मैं आशा करता हूं माननीय मन्त्री जी स्पष्ट कर देंगे और मैं अपना यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय रियासत जी और माननीय देव कुमार जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं। अभी तक तो मैं इस सदन में माननीय रियासत जी के प्रस्ताव सुना करता था लेकिन बीमारी देव कुमार जी को भी लग गयी है। मैं तो समझता हूं कि किसी भी विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने का कुछ बुनियादी कारण होना चाहिए। तीन लाइन का मान्यवर यह विधेयक है। इसमें एक व्यवस्था है कि चुनाव होने तक नगरपालिकाओं जो भंग की गयी हैं, उन में प्रशासक कार्य करेंगे। मान्यवर, मेरे समझ में आज तक यह बात नहीं आई कि विरोधी दल को बोलने का अधिकार है और वह विधेयक का भी विरोध कर सकते हैं। प्रवर समिति को सुपुर्द करने का कारण क्या है क्योंकि कोई भी तो संशोधन रियासत जी नहीं प्रस्तुत करते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि प्रवर समति को सुपुर्द कर दिया जाय। प्रवर समिति इसमें क्या करेगी? इसकी परिधि भी नहीं बढ़ाई जा सकती जिसको पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि अल्पकालिक व्यवस्था है। इसके अन्दर इमबिगुएटी कोई नहीं है। तो मैं रियासत जी से कहूंगा कि वे इस बात को मान लें। देव कुमार जी से निवेदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करूंगा कि वे कुछ निश्चित संशोधन पेश करें। हो सकता है सरकार इसे माने, हो सकता है मन्त्री जी मान लें। तो रियासत जी से मैं निवेदन करूंगा कि सही बात मान लें और इसे वापस ले लें।

वैसे जो विचार माननीय देव कुमार जी और रियासत जी ने प्रकट किए हैं मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं अपने साथी श्री मालवीय जी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर विचार करेंगे। एक परिपाटी हमारे देश में जड़ पकड़ती जा रही है कि जब चुने हुए व्यक्तियों के खिलाफ कोई शिकायत हो तो उनको हटा दिया जाय और उनकी जगह पर नौकरशाही से निकाल कर कोई प्रशासक नियुक्त कर दिया जाय, इससे यह आम प्रभाव डाला जा रहा है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ठीक ढंग से शासन का काम नहीं चला सकते, इसलिए उनकी जगह पर प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। यह परिपाटी किसी भी जनतन्त्र के लिए बड़ी घातक सिद्ध होगी। इस परिपाटी को हमारे सामने के लोगों ने प्रारम्भ किया इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन अब इस तरह के लोगों को इस परिपाटी को तोड़ना होगा। आपातकालीन स्थिति में लोगों को कष्ट थे, वेदनायें थीं, लेकिन सामने बैठे हुए लोग जो इधर से उधर गए केवल इस कारण नहीं गए बल्कि इस कारण गए कि आपातकाल में जो एक आध अच्छी बातें भी थीं उनको लागू करने के अधिकार जिसे नौकरीशाही को दिए गए उसने उनको इस विकृत तरीके से कार्यान्वित किया जिससे जनता को बड़ा कष्ट झेलना पड़ा। मैं निवेदन करूंगा कि इधर के बैठने वाले साथी जरा इससे प्रेरणा लें? मुजफ्फरनगर में फायरिंग हो यह सरकार की नीति नहीं थी, सुल्तानपुर जिले में जो हुआ उसके लिए सरकार की वह नीति नहीं थी और उन उसके लिए इन्दिरा गांधी स्वयं आई लेकिन नौकरशाही के जिस रथ पर वह बैठी थीं वह उनकी सारी शक्ति लेकर उनको डुबोता चला गया। मुझे कोई परेशानी नहीं है और कुछ समय तक कांग्रेसी अध्यक्ष बने रहते। कोई आकाश जमीन पर नहीं आ जाता अगर वह अध्यक्ष रहते। तीन दिन के अन्दर चुनाव कराए जा सकते थे। हिन्दुस्तान के चुनाव तथा असेम्बली के चुनाव जब तीन दिन में हो गए तो नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि बने रहते और मालवीय जी उनके चुनाव करा देते।

यह परिपाटी मुझे पसन्द नहीं आई कि जहां भी जनप्रतिनिधि पसन्द न आयें वहां नौकरशाही के अफसर बिठा दिए जायं। आप यह साबित कर दें कि कोई प्रतिष्टान उत्तर प्रदेश में ऐसा है जहां जनप्रतिनिधि को हटाया गया हो और प्रशासक को बिठाने से उसकी दशा सुधरी हो। आप बता दें किस फैक्टरी में सरकारी अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने से फैक्टरी में रिकवरी अथवा प्रोडक्शन बढ़ा हो, दक्षता बढ़ी हो। क्या ऐसी कोई नगरपालिका है जिसके भंग करने के बाद प्रशासन नियुक्त करने से नगरपालिका के टैक्सेज की आमदनी बढ़ी हो। दुख के साथ कहना पड़ता है कोई भी प्रतिष्टान अथवा नगरपालिका ऐसी नहीं मिलेगी। मेरठ नगरपालिका की बावत मैं बतलाना चाहूंगा कि 8 साल पहले जन प्रतिनिधियों को हटाकर प्रशासक नियुक्त किया गया। जिस समय नगरपालिका टेकओवर की गयी सरकारी कर्मचारी द्वारा उस समय नगरपालिका के कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर मिलती थी, उसकी आर्थिक स्थिति बुरी नहीं थी लेकिन 8 साल बाद प्रशासक के अन्तर्गत नगरपालिका आने पर मेरठ की जनता के कष्ट बढ़े। आज वहां के कर्मचारियों की तन्ख्वाह समय पर नहीं मिलती। चुंगियों से पैसा वसूल होता है तब तनख्वाह बंटती है। 6 महीने

[श्री सोहनवीर सिंह तोमर]

का हाउस टैक्स अग्रिम वसूल होता है, इस प्रकार अग्रिम टैक्स वसूल करके तनख्वाह दी जाती है। जनता पार्टी के साथ तो मालवीय जी को एक नई मान्यता स्थापित करनी चाहिए, इस परिपाटी को समाप्त करना चाहिए। जब यह मुल्क गुलाम था और कलकत्ता कारपोरेशन में सुभाष चन्द्र बोस चीफ इक्जीक्यूटिव आफिसर थे। चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर होते हुए वह सेवा दल के अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने उन्हें बरदास्त किया और बरख्वास्त नहीं किया। हम से असहमत रहने वाले लोग भी वहां रहे लेकिन इस व्यवस्था का अन्त होना चाहिए कि एक सरकारी कर्मचारी को रख दें। मन्त्रियों को हम उनके घर में जाकर पकड़ सकते हैं, जनप्रतिनिधि को पकड़ सकते हैं लेकिन प्रशासक और अधिकारी तक कौन गरीब आदमी पहुंचेगा, कौन उनसे अपनी बात को कह सकेगा ? इसलिए मैं माननीय मालवीय जी से निवेदन करूंगा कि यह निर्णय सरकार का अन्तिम होना चाहिए कि जब जनता के प्रतिनिधियों का स्थान सरकारी कर्मचारी ले। वह शीघ्रता से चुनाव करायें माननीय रियासत हुसैन चले गए हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वह प्रवर समिति वाले प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं यह बड़ा स्वागतार्ह्य विषय है क्योंकि थोड़े समय में ही जब से नगरपालिकायें भंग हुई हैं या जहां पहले से जनप्रतिनिधियों द्वारा कार्य-संचालन नहीं हो रहा था चुनाव कराये जायें। मान्यवर, इन नगरपालिकाओं की स्थिति बड़ी भयावह है इसके लिए यह विधेयक प्रस्तुत करके इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को सही स्वरूप दिया जाएगा और जनतांत्रिक रूप से यह अपना कार्य संपादित कर सकेंगी।

मैं एक बात कहना चाहता हूं, श्रीमन् कि यह जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, यह जो नगरपालिकायें उनका स्वरूप बड़ा विभत्स, बड़ा विकृत और बड़ा दूषित है। मैं एक मार्च, 1977 की घटना का जिक्र करना चाहता हूं। गोरखपुर नगरपालिका नौकरशाही के फौलादी चंगुल में फंसी हुई है। वहां पर दूषित जल को निकालने के लिए ड्रेनेज व्यवस्था हो रही थी, एक बड़ा नाला बन रहा था। मान्यवर, उसमें 11 मजदूर दब कर मर गए और उन लोगों ने उनकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की। यह नगरपालिकायें नरक पालिकाओं का स्वरूप ग्रहण कर चुकी हैं। सीवर व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण है जहां पर सीवर की प्रणाली है वहां पर जल आपूर्ति अधिक से अधिक होनी चाहिए लेकिन मैं ऐसी अनेक नगरपालिकाओं को जानता हूं जहां सीवर व्यवस्था है, बहुतों में तो सीवर व्यवस्था है ही नहीं, जहां है वहां जल आपूर्ति न होने से सारी व्यवस्था जाम हो गई है। इस तरह से जन-जीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा है।

एक चीज मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से स्वायत्त शासन मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में अनेक पुण्यसलिला नदियां नगर पालिकाओं और महा-पालिकाओं से होकर बहती हैं। दिन-प्रति-दिन उनका जल दूषित किया जा रहा है। योजनायें अनेक बनती हैं। इस देश के महान विचारक डा0 राममनोहर लोहिया ने अनेक बार ध्यान आकर्षित किया कि यहां की पुण्यसलिला नदी का गंगा का जमुना का और सरयू का जल दिन पर दिन दूषित होता जा रहा है जिसकी रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया जो योजना बनी थी वह भी अमल में नहीं लाई जा रही है। बनारस में गंगा

जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए एक 48 लाख की योजना बनी, इसी तरह से इलाहाबाद में भी जल प्रदूषण रोकने के लिए बड़ी योजना बनी है मेरे पास शासन के उच्च अधिकारियों के लिखित आश्वासन हैं लेकिन कहीं भी उनको मूर्त रूप नहीं दिया गया।

श्रीमन्, मैं एक घटना बतलाता हूं हमारी पडरौना नगरपालिका एक महत्वपूर्ण नगरपालिका है वहां पर सीवर की व्यवस्था लागू है जब कि गोरखपुर में बाद में लागू हुई। उसकी स्थिति यह है कि आज ही मुझे सूचना मिली है दो घंटे पूर्व वहां से लोग आए हैं। वहां पर 25 वर्षों से जन्माष्टमी का जलूस निकलता है। ग्रामीण अंचल से लाखों की तादाद में लोग इक्ट्ठा होते हैं। दो लाख लोग पडरौना में उपस्थित थे। 25 वर्ष का इतिहास है वहां बराबर जल आपूर्ति होती रही है, लेकिन इस बार रात्रि 9 बजे के बाद पानी बन्द कर दिया गया था, जबकि 7 बजे प्रातः तक जल व्यवस्था बनी रहनी चाहिए थी। इससे अनेकों स्त्रियां प्यासी रह गई और दुधमुंहे बच्चे प्यासे तड़पते रहे, अनेक लोग मूर्छित हो गए। यह है नौकर-शाही का नंगा रूप। केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि कांग्रेस ने यह किया वह किया, हमें अपने भी गिराबान में झांककर देखना होगा। वहां का ई0 डी0 ओ0 (अधिशासी अधिकारी) एक भ्रष्ट, अयोग्य और लापरवाह अधिकारी है उसने जाने कितना वहां भ्रष्टाचार और मनमाना काम किया है उसके खिलाफ अनेकों शिकायतें हैं, किन्तु पता नहीं इतना होते हुए भी उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? दो लाख नरनारी पानी के बिना दिन-रात तड़फते रहे। इसकी तत्काल जांच होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ यह जो विधेयक है कि शीघ्र से शीघ्र स्वायत्त शासी संस्थाएं जनप्रतिनिधियों के हाथों में आ जाएं, मैं इसका स्वागत करते हुए निवेदन करूंगा कि यह जो पुण्यसलिला नदियों का जल दूषित हो रहा है, उसको रोका जाए। जितनी शुगर फैक्टरियों का गन्दा पानी बह रहा है उनसे नगरपालिकाएं आंख मूंदे हुए हैं। कप्तानगंज जो टाउन एरिया है, वहां की शुगर मिल का शीरे और गन्दगी युक्त पानी छोटी गन्डक में डाल दिया जाता है। उसका परिणाम यह है कि 50 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरा पानी दूषित हो जाता है और हजारों मछुवे जो उस पानी में मछली पालन करके अपनी रोजी कमाते थे, उनका जीवन दूभर हो गया है। अनेक फैक्टरियों में चिमनियों के धूल-धुवां से प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसे भी तत्काल रोकना चाहिए। इस पर भी रोकथाम होनी चाहिए। मैं यहां पडरौना नगरपालिका की एक बात और कहूं वहां शुगर फैक्टरी के दक्षिण तरफ पानी बहता है और वह गन्दा पानी नगरपालिका के क्षेत्र में आता है, इससे वहां के रहने वाले जिनकी संख्या 4 हजार है, वे रौरव और कुंभीपाक के किनारे अपना जीवन बिता रहे हैं। इस कारण से उनका जीवन नरक हो गया है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। मैं अपील करता हूं कि इसकी तत्काल व्यवस्था हो। इन शब्दों के साथ में स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह जो माननीय मन्त्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है—अध्यादेश के स्थान पर विधेयक, उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मालवीय जी हमेशा इस बात के विरोधी रहे हैं और उनका विचार रहा है कि अध्यादेश जब अति आवश्यक हो, तभी जारी किया जाए। असेम्बली कार्यरत थी और इन दोनों के बीच में समय भी बहुत कम था और असेम्बली की बैठक भी होने वाली थी, 26 अगस्त से असेम्बली की बैठक हो भी गयी, तो

[श्री ऊदल]

मैं समझता हूं कि जिन चीजों का मालवीय जी और दूसरे सदस्य विरोध किया करते थे, अध्यादेश जारी करने का यह काम करके, प्रजातान्त्रिक जो मूल्य है, उनके खिलाफ यह काम किया गया है। दूसरा श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि क्या इन्हें भंग किए बिना .....

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' (जिला झांसी)—

एक माननीय मन्त्री जी सो रहे हैं, महोदय आप उनको जगवा दीजिए, जिससे वह समय पर ठीक से जवाब दे सकें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप सब लोग बैठिए।

श्री ऊदल—

तो मैं कह रहा था कि इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को भंग किए बिना चुनाव हो सकते थे या नहीं ? यह बहुत गम्भीर प्रश्न है जिसके ऊपर सबसे तो नहीं लेकिन मालवीय जी से कहूंगा कि गम्भीरतापूर्वक विचार करें। जो अल्पकालिक व्यवस्था कर रहे हैं उसके बिना क्या चुनाव करा सकते थे या नहीं ? मेरी राय में चुनाव हो सकता था। अगर आपको भंग ही करना था जैसा माननीय तोमर जी कह रहे थे, मेरा दूसरा निवेदन है, माना आपने भंग कर दिया, लेकिन भंग करने का मकसद, अल्पकालिक व्यवस्था करके, सिर्फ चुनाव कराना ही नहीं होना चाहिए। स्वायत्त शासी संस्थाओं को चलाने के लिए, उनके कार्यक्रम को विकसित करने के लिए, लोगों को ज्यादा सुखसुविधा देने के लिए, अगर इसको ले कर आते और कहते कि भंग कर रहे हैं। कोई नयी दिशा देने के लिए, तो मैं समझता हूं कि इनको भंग करना भी जरूरी था इसलिए कि आप इसमें कोई व्यापक सुधार करना चाहते हैं। ऐसी बात इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ मंशा यह है कि इनका चुनाव बहुत दिनों से नहीं हुआ। अब आप चाहते हैं कि इनका चुनाव हो जाय। इसलिए इस अध्यादेश को जारी किया गया जो आज विधेयक का रूप लेने जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं, हालांकि इसके प्रवर समिति में जाने से व्यापक नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। इसकी परिधि में कुछ गुंजायश रहे तो परिधि बढ़ सकती है। मैं चाहता हूं कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी विचार करें। हम वापस लेने के भी पक्ष में नहीं हैं। लेकिन इसमें कुछ है नहीं जिसकी परिधि बढ़ा सकें। इसलिए व्यापक सुधार करने की या परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

स्वायत्तशासी संस्थाओं का जो कार्यकलाप था वह धीरे-धीरे खत्म कर दिया। आप दोनों का सम्बन्ध तो शहर से है, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा सम्बन्ध शहर से है। पानी का प्रबन्ध जल निगम को चला गया। चाहे वह शहर वालों को पानी के बिला मार दे या जिला दे। अभी बनारस में आपने सुना होगा कि तीन-चार दिन पानी बन्द रहा और बड़े हिस्से को प्रभावित किया। माननीय मालवीय जी दौरे पर गए हुए थे। उनके सामने भी वे समस्याएं आयीं। यह समस्या सब जगह है जहां जल निगम द्वारा जल की व्यवस्था की गयी है।

शिक्षा का काम बेसिक शिक्षा परिषद् को चला गया। सड़कों का काम थोड़ा सा है। थोड़ा सा चुंगी वसूली और झाड़ लगाने का काम था। सड़कें बेहद खराब हैं।

म्युनिसिपल ऐक्ट पुराना है। उसमें काफी सुधार की गुंजायश है। अगर इसका सुधार आप करते, यह सिर्फ कहने से कि इनका कार्यकाल 1974 में खत्म हो गया था, मेरठ को महापालिका बनाने के लिए मेरठ की म्युनिसिपैलिटी को भंग किया गया, गोरखपुर को भी महापालिका बनाने के लिए पिछली बार चुनाव नहीं किया गया और प्रशासक को सुपुर्द कर दिया गया था। आप तसलीम करते हैं कि बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज को पहले से अधिग्रहण कर लिया गया है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि सरकार की नियत पर शुभा होती है। बिना भंग किए हुए क्या चुनाव नहीं कराये जा सकते ? यही काम जिला परिषदों में कर दिया। 3 वर्ष बाकी थे, 2 वर्ष बीते थे।

हम अध्यादेश के विरोधी हैं जब कि असेम्बली बैठने वाली हो, तो अध्यादेश जारी नहीं होना चाहिए। स्वायत्तशासी संस्थाओं को भंग करके नौकरशाही को दे दिया, इसके आप भी कभी विरोधी थे और मैं भी था। माननीय मालवीय जी को 2-3 आश्वासन देने चाहिए। एक तो यह कि जैसा कि माननीय रियासत हुसैन जी ने कहा कि इनके अध्यक्षों का चुनाव डाइरेक्ट होगा या इनडाइरेक्ट होगा। दूसरा यह कि अगर आप सुधार चाहते हैं और स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा उनके नागरिकों को कुछ अधिकार देना चाहते हैं कि उनको सुख-सुविधा मिले तो जो म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट है उसमें संशोधन करें। इसमें और भी कुछ समस्यायें हैं--एक तो मकान की समस्या है। आप जानते हैं कि आज बहुत सी गृह निर्माण सहकारी समितियां--आपका विकास प्राधिकरण और क्या-क्या तमाम जाल बट्टा बना हुआ है। इसीलिए मैं संशोधन चाहता हूं कि जो मूल अधिनियम है उसमें संशोधन करने की जरूरत है, मकानों की समस्या बहुत जटिल है। आप देखेंगे कि जमीन बढ़ने वाली नहीं है। मकान अब चाहे सरकारी बने और चाहे किसी विभाग के द्वारा बने या विकास प्राधिकरण के द्वारा बने वह एक मंजिल दो मंजिल न बने। शहरों की सीमा बढ़ रही है। इस पर भी सरकार को गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है। मैंने कानपुर में देखा जूही की ओर कुछ मकान एक मंजिले और दो मंजिले बने हुए हैं। यह सब व्यापक और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई व्यापक सुधार इन स्वायत्त-शासी संस्थाओं में आगे चल कर आप करेंगे। ताकि वहां का जन-जीवन जो है उसको अधिक से अधिक सुविधा पहुंचाई जा सके। अगर इससे भी मामला बन जाए तो माननीय देव कुमार जी ने जो प्रस्ताव किया है उसको मानना चाहिए।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, स्वायत्त शासन विभाग ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, यह असल में शहरी जिन्दगी पर एक बड़ा जबर्दस्त आघात है। कहते हैं कि यह शहरी जीवन के उत्थान के करने के लिए हैं। यह भी कहा जाता है जिन प्रतिनिधियों द्वारा जो म्युनिसिपैलिटीज थीं वह उन्होंने समाप्त कर दीं और समाप्त करने का रीजन यह था कि समय उनका समाप्त हो गया था। मान्यवर, जहां-जहां जिन-जिन शहरों में म्युनिसिपैलटीज के एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए थे उनके काल तक का जिक्र नहीं है। 1, 2 या सात साल है, के लिए बनता है, यह भी कोई नहीं बता सकता है और वह उसमें कितना सुधार कर सकता है। किसी म्युनिसिपैलिटी में अगर 4 लाख

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

का घाटा हो जाए और उसे प्रशासक बना दिया जाए तथा वह प्रशासक 40 लाख रुपए का घाटा कर दे तो उस पर यह विभाग आज तक निर्णय नहीं कर सका कि उसका काल समाप्त कर दिया जाए या नहीं। जब इन जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया तो उन व्यक्तियों के लिये नायब तहसीलदार और तहसीलदार जो उस एरिया के प्रशासक बना दिए गए, उनके दफ्तरों में उनके पास वक्त ही नहीं है कि शहरी सफाई पर ध्यान दे सकें। इस समस्या से शहरी जन जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। मैं यह बात कह सकता हूं कि इस वक्त प्रत्येक 4 व्यक्ति पर एक व्यक्ति बीमार है। शहरी जीवन में जो सफाई का नक्शा है वह अस्त-व्यस्त हो रहा है और अब तो प्रशासक महोदय के पास समय ही नहीं है काम करने का। जन प्रतिनिधियों को हटा करके जो यह विधेयक लाया गया है, इसने हमारे सारे उस शहरी जीवन को तहस-नहस कर दिया है .... (व्यवधान) आज 6 महीने या 10 महीने के अन्दर शासन ..

(व्यवधान)

मैं तो यह समझता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है उसमें कोई ऐसा प्राविजन नहीं रखा गया कि उसके साथ कोई ऐडवाइजरी कमेटी बनाई जाए जो उसकी देखरेख कर सके। मैं यह समझता हूं कि यह जो प्रशासक बनाए गए हैं इनको पता नहीं कितने साल तक रखा जाएगा। चुनाव होगा भी यह नहीं उस सूरत में मैं इसका विरोध करता हूं। अत : शहरी जीवन को दुरुस्त करने के लिए यह विधेयक काफी है, इसको वापस होना चाहिए।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज यह संशोधन पेश किया है। यह बहुत आवश्यक था। लेकिन आज नई कांग्रेस के माननीय सदस्य..... (व्यवधान)

एक सदस्य--

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य माइक की तरफ मुख कर के बोलें।

(व्यवधान)

श्री हरी सिंह--

मेरी आवाज कमजोर नहीं है। मैं लाउड स्पीकर पर बोल रहा हूं। हमने अपने घोषणा-पत्र में हरिजनों को आश्वयक सुविधाएं और संरक्षण देने का ऐलान किया है और कर भी रहे हैं। आपने इतने वर्ष तक क्या किया ? बाल्मीकि लोग जो म्युनिसिपैलिटीज और जिला परिषदों में काम करते हैं, जो शहरों को स्वच्छ रखते हैं अधिष्ठाता महोदय, स्वयं गन्दगी में रहते हैं, उनका रिजर्व कोटा आज तक नहीं पूरा किया गया। मान्यवर, इन नई कांग्रेस वालों की शक्लों को देखिए। ये वे लोग हैं जिन्होंने यहां की गरीब जनता को तबाह किया है।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया संशोधन विधेयक पर ही बोलें जो इस समय सदन में पेश है ?

श्री हरी सिंह--

मान्यवर, मैं वहीं के उदाहरण दे रहा हूं। म्युनिसिपैलिटीज में गरीबों के कई-कई महीनों के पानी के बिल जाते हैं जो अदा नहीं कर पाते हैं। इन सब करतूतों के ये कांग्रेस वाले ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने अपने सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग किया है।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रस्तुत विधेयक पर ही बोलें।

श्री हरी सिंह--

मैं माननीय सेठी साहब से पूछना चाहता हूं कि आज मेरठ म्युनिसिपल बोर्ड की क्या हालत हो रही है। तुम चाहते हो कि जनता पार्टी 4 दिन में वह काम करके दिखाए जो तुमने 10 वर्ष में नहीं किए हैं। तुमने सारे देश को पामाल कर डाला है। जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनमें किसी में भी हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है। पहले भी यह नई कांग्रेस हरिजनों के नाम पर जिन्दा रही है और आज फिर उनका नाम लेने लगी है और जनता पार्टी को बदनाम कर रही है कि इनके जमाने में हरिजनों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है जबकि जनता पार्टी हरिजनों के लिए सबसे ज्यादा काम कर रही है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया आप बैठें।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, अभी तक जो व्यवस्था नगरपालिकाओं में चली थी उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि सम्बन्धित व्यक्ति नागरिकों की सुख-सुविधाओं का ध्यान न देते हुए अपने परिवार के और व्यक्तिगत जीवन में ही संलग्न रहा करते थे। इन कमियों को देखकर माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने अपनी नजर को तीव्र किया और नागरिकों को अधिक सुख-सुविधा मिल सके इसलिए उन्होंने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, ग्रामीण अन्चलों में इसकी विशेष कमी है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस समय जो नए टाउन एरिया घोषित हुए हैं, उनमें भी चुनाव कराने के लिए इसी सत्र में शीघ्र आदेश दें। वैसे गांवों के अन्दर अभी तक शासन की ओर से सफाई, शुद्ध पेय-जल अथवा दवाइयों की कोई भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम नई सरकार से यही आशा करते हैं कि ग्रामवासियों को भी नागरिकों से जोड़ते हुए उनके समकक्ष लाने, उनकी सफाई का प्रबन्ध करने और उनको शुद्ध पेय-जल उपलब्ध कराने की तथा उनके लिए दवाइयों का प्रबन्ध करने के लिए सरकार व्यवस्था करेगी। आज ग्रामीण-वासी बहुत ही विकट विपत्तियों में फंसे हुए हैं। ऐसा मालूम होता है कि शासन द्वारा इन ग्रामवासियों की सतत उपेक्षा होती रही है। अब हम नए शासन से आशा करते हैं कि जिसे शासन को ग्रामवासियों के वोट और नोट से चलाने में शक्ति मिलती है उसकी उपेक्षा न की जाय। मुझे पूर्ण आशा है कि जनता पार्टी की सरकार ग्राम-वासियों की ओर अधिक से अधिक ध्यान देने की व्यवस्था करेगी।

[श्री नाथू राम शिक्षक]

मान्यवर, आज जो टाउन एरिया घोषित हुए हैं उनका चुनाव इसी सत्र में हो जायगा, मैं पुनः इन शब्दों को दोहराते हुए आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं और अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री रणजीत सिंह 'जुदेव'--

अधिष्ठाता महोदय, जैसा आज लोग आरोप लगाते हैं, हर विधायक का यही काम है, उसी के अनुसार बोलते हैं। परन्तु आज खास तौर से मैं मन्त्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि यह जो विधेयक लाए हैं मैं इसके पक्ष में हूं। कायदे से इस विधेयक का लाना जरूरी था। म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया का समय 5 साल पूर्व हो चुका था और उचित था कि इन कमेटियों को भंग किया जाय, लेकिन जहां पर इतनी सुन्दरता से विधेयक लाया गया, इस बात का दुख भी है कि यह 10 अगस्त को लाया गया जबकि सदन हमारा सत्र में नहीं था। मालवीय जी से बहुत उम्मीद थी। वह अच्छा बोलते हैं.....

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

आप उम्मीद रखिए इसमें भी।

श्री रणजीत सिंह "जुदेव"--

पहले भी वह 1974-75 में विपक्ष में बैठते थे तो कहते थे कि हर बिल जो आए सदन में पेश किया जाय, लेकिन जिस जल्दी से इसे पेश किया जबकि सदन सत्र में नहीं था इस बात का थोड़ा मुझे दुख है, क्योंकि इसमें जल्दी की कोई बात नहीं थी जबकि मन्त्री जी ने तारीख निश्चित कर दी थी चुनाव की। तो 10 तारीख को न पेश करते, अक्तूबर या सितम्बर में पेश कर देते और नवम्बर में ही चुनाव करा देते। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि वे उन मन्त्रियों में हैं जिन्होंने तारीख भी निश्चित कर दी, वैसा जिला परिषद् जैसा गोलमाल, घुटाला नहीं रखा कि भंग तो कर दी जिला परिषद् लेकिन चुनाव की तारीख नहीं दी कि कब होगा। अगर वे भी ऐसा ही कर देते तो दुख होता। मैं मानता हूं कि शायद उन्होंने इस वजह से किया हो भंग कि कई नगरपालिकाओं पर, टाउन एरियाओं और म्युनिसिपैलिटीज पर कांग्रेस अध्यक्षों का कब्जा था, परन्तु ऐसा इनको भय नहीं होना चाहिए था। हमारी विधान सभा भी पहली अप्रैल को भंग हो गयी थी, एक महीने का समय आपने हम लोगों को दिया, हम लोग चुनाव लड़े और जो सफल होकर आ सके वह आ गए। अब इसमें ऐसा समझा गया कि आने वालों का, कांग्रेस का शासन बना रहता, हम लोगों का कब्जा बना रहता तो मालूम होता कि आपको कुछ भय था, परन्तु हमारा समय हो चुका था, आपने समय पर भंग किया, इसके आभारी हैं। इसमें जो कुछ कहना था वह कह चुका हूं और मैं आपके विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ताकि इस बिल के जरिए निकट भविष्य में नगरमहापालिकाओं, नगरपालिकाओं और टाउन एरियाओं का कार्यभार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में चला जाय। जब ये स्वायत्त संस्थाएं जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं रहती हैं तो केन्द्रीय सरकार या सूबे की सरकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति मनमाने ढंग पर इन संस्थाओं से कराया करती है और इसके साथ ही साथ

अधिकारीगण भी जनता की भावनाओं की उपेक्षा करके, जन-भावनाओं का अनादर करके; मनमाने ढंग से काम किया करते हैं।

आपातस्थिति पर अगर हम नजर डालें तो हमें पता लगेगा कि तथाकथित सुन्दरीकरण के नाम पर इमरजेंसी के दौरान लाखों रुपए की क्षति की गयी और केवल लाखों रुपया बरबाद ही नहीं किया गया, बल्कि नगरों में पटरियों के किनारे-किनारे रहने वाले दूकानदार, छोटे-छोटे घरों वाले लोग उजाड़े गए हैं। मैं तो माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि एक जांच होनी चाहिए पूरे प्रदेश के अन्दर और 19 महीने में जो इमरजेंसी रही है उसके दौरान बड़े-बड़े नगरों में जो सुन्दरीकरण की प्रक्रिया चलाई गयी उसके दौरान कितना रुपया बरबाद किया गया और कितने लोगों को उजाड़ा गया। लखनऊ के ही अन्दर मर्करी ट्यूब लाइट्स और बल्ब के नाम पर लाखों रुपए सुन्दरीकरण के नाम पर बरबाद कर दिए गए। इसी तरह बनारस में भी सुन्दरीकरण के नाम पर जहां एक ओर लाखों रुपए बहाए गए वहां दूसरी ओर हजारों लोगों को उजाड़ करके बेघर-बार कर दिया गया। तो मैं यह समझता हूं कि इस बिल के जरिए निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही ये स्वायत्त संस्थाएं जन-प्रतिनिधियों के हाथ में आ जायेंगी।

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान बनारस की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। काशी एक सांस्कृतिक नगर है और देश का एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। बनारस में गंगा नदी एक ऐतिहासिक मान्यता रखती है। लेकिन इस समय गंगा नदी में बनारस का तमाम गन्दा पानी नालों के जरिए बहाया जा रहा है। बनारस शहर गंगा के किनारे बसता है और शहर की सारी गन्दगी नालों के जरिए गंगा नदी में बहाई जा रही है. . .

श्री अधिष्ठाता—

बनारस तो नगर महापालिका है और नगर महापालिकाओं पर आगे विचार किया जायगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं सबको एक में रख कर चल रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप इसी सन्दर्भ में कहें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं इसलिए उसका उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि वहां की हालत बहुत खराब हो गई है।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा ठीक है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, गंगा नदी में जो गन्दा पानी आ रहा है उसकी वजह से जो प्रक्षेपण है वह नालों के किनारे-किनारे चल रहा है और गंगा अपना किनारा छोड़ती जा रही हैं। एक ऐसा समय आ सकता है जबकि बनारस गंगा नदी के किनारे बसा होने के कारण जो ऐतिहासिक मान्यता रखता है वह समाप्त हो जाय और सारे बनारस को गन्दगी में ढकेल दे।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश]

तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी विषम परिस्थिति में सरकार जरूर कोई कदम उठाए ताकि गंगा का पानी जो दूषित हो रहा है वह दूषित होने से बच जाय। इसके साथ ही साथ बनारस में पेय-जल की स्थिति बहुत खराब है। वहां के वाटर-वर्क्स के जितने पम्पिग स्टेशन्स हैं उनके पम्पिग सेट्स खराब हो चुके हैं और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और जो पानी मिल भी रहा है वह इतना खराब है कि उसमें गन्दगी साफ नजर आ रही है। तो बनारस का पानी जो दूषित है उसको बचायें। दूसरे, जो गंगा में प्रदूषण हो रहा है जिसके कारण गंगा की पवित्रता नष्ट हो रही है वह बचाइए। तीसरे, बनारस में गंगा अगर अपने किनारे से हट जायगी तो बनारस की जो सांस्कृतिक महत्ता है वह समाप्त हो जायगी। इन बातों की ओर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय देव बहादुर सिंह। बस यही एक अन्तिम भाषण है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं आपका कि यह जो अल्पकालिक व्यवस्था का विधेयक माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर आपने दिया। यह अल्पकालिक व्यवस्था का अध्यादेश जो निकाला गया था उसको विधेयक का रूप देने के लिए माननीय मन्त्री जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। हम सब जानते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया का कार्यकाल बहुत पहले समाप्त हो गया था। अब कहा यह जा रहा है कि चुनाव कराने के लिए इन सारी संस्थाओं को भंग कर दिया गया है। आवश्यकता इस बात की नहीं थी। आवश्यकता तो इस बात की थी कि जितनी संस्थाएं थीं वह चलती रहतीं और जब नए चुनाव हो जाते तो स्वत: नए टाउन एरिया आदि बन जाते और पिछले बोर्ड अपने आप समाप्त हो जाते। लेकिन हमने देखा है कि जनता पार्टी की हुकूमत जब से इस देश और प्रदेश में आई है विकेन्द्रीकरण के नाम पर जिला परिषदों को भंग किया गया। लोक सभा के चुनावों के तुरन्त ही बाद विधान सभाओं को भंग किया गया और राष्ट्रपति शासन हुआ। मैं तो समझता हूं कि जनता पार्टी की हुकूमत भी राष्ट्रपति शासन से अच्छी है। उसी तरह से यह जो कर्मचारियों के हाथ में म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया को दे दिया आपको यह नहीं करना चाहिए था। कैसा भी जनता का प्रतिनिधि होगा, वह निश्चित रूप से किसी अधिकारी और कर्मचारी से जनता के लिए ज्यादा उपयोगी होगा। यह जो परम्परा डाल रहे हैं, जिला परिषद् और स्थानीय निकायों को भंग करके, यह देश के हित में अच्छा नहीं है। जितनी भी खामियां हैं, चाहे टाउन एरिया में हों या नोटीफाइड एरिया में हों, उसे दूर करने की आवश्यकता है। कितनी ही बार आपने कहा कि इसको दूर करने की आवश्यकता है। हम तो यह समझते थे कि जो अल्पकालिक व्यवस्था ला रहे हैं, उसमें इसकी भी व्यवस्था करेंगे।

आप टोल टैक्स कैसे समाप्त करेंगे ? और जो स्थानीय निकाएं हैं उनकी आय बढ़ाने के लिए कौन सा आप नया सुझाव देंगे ? और जो भी आय हो, उसका उपयोग जो

शहर में बसने वाले नागरिक हैं, उनके लिए कैसे हो ? जो चुंगी लगती है उसका कितना प्रतिशत वहां के नागरिकों के हित में व्यय होता है। 90 प्रतिशत उसका भ्रष्टाचार में चला जाता है। अभी पिछले दिनों की बात हुई थी, एक विधेयक आप लाए थे, हम लोगों ने सुझाव दिया था कि पानी, बिजली, स्कूल के ऊपर कोई व्यवस्था आप सोच कर, एक अच्छा सा रूप जो म्युनिसिपल ऐक्ट है, इसको एक नये सिरे से आप विवेचन करा कर सदन के सामने प्रस्तुत करें, तो मैं समझता हूं यह बड़ा उपयोगी होगा। जैसे टाउन एरिया आपने बना दिया है। जैसे कोई गांव होता है, तो उसको टाउन एरिया का रूप जब दे दिया जाता है उसके बाद उस पर हाउस टैक्स लगता है। होना यह चाहिए कि जिस मकान से कुछ उपार्जन हो, जैसे किराए पर दिया जाता हो या कुछ दूकान हो या जिससे आय होती हो, उस पर टैक्स लगे तो बात समझ में आती है। आज गांव सभा है, कल टाउन एरिया बन गयी, तो उस पर भी टैक्स लग गया। आप आए हैं, आप उसको सुधारिए। जो होता रहा है, अगर उसी नक्शे पर चलना है तो यहां आकर बैठिए, क्या आवश्यकता है वहां पर बैठने की ? इसमें तो जब परिवर्तनशील युग है, तो नई-नई आकांक्षाएं लोगों की हैं। जितनी खामियां मैंने आप में देखा है, उसे दूर करें। इसलिए मैं चाहता था कि जो आय के स्रोत हों, उसे बदलने की बात है।

आप डायरेक्ट चुनाव करायेंगे अध्यक्ष का कि इनडायरेक्ट ? पिछली बार सेलेक्ट कमेटी का एक विधेयक पास हुआ, जिसमें डायरेक्ट चुनाव होने की बात थी, मैं नहीं था, इसलिए मैं जानता नहीं, जो फिर अविश्वास का प्रस्ताव 2 साल, 3 साल के बाद आयगा, जो विधेयक पहले पास हो चुका है, वह अब भी रखा जायगा। तो मैं चाहता हूं कि टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड की आय का स्रोत बढ़े, जिससे कि किसी को कष्ट न हो और उसका उपयोग नागरिकों की अच्छाइयों में, कल्याण में हो। इस तरह का कोई विधेयक आप लायें, तो मैं उसका स्वागत करूंगा। जो यह स्थानीय निकायों को आपने भंग किया है और अपने वसूलों के अनुसार नीचे के स्तर पर समग्र क्रान्ति के आधार पर विकेन्द्रीकरण करेंगे, यह जो आपकी नीति है, यह केवल दिखाने के लिए है। आपकी कथनी और करनी एक हो। जो चुनाव घोषणा-पत्र में आपने कहा है, उसी का पालन करें। जनता पार्टी का कोई व्यक्ति किसी प्रशासन या किसी संस्था में बैठे, तब तो आप उसे विकेन्द्रित मानते हैं। दूसरे पक्ष के लोग बैठें तो विकेन्द्रीकरण नहीं माना जायगा। विकेन्द्रीकरण का अर्थ यह नहीं हुआ। जनता जिनको चुनकर भेजती है उसको वहां बैठना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि अगली बार कोई एक समन्वित प्रयास करेंगे जिससे इनमें व्यवस्था अच्छी तरह से की जा सके।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, इस विधेयक पर 11 माननीय सदस्यों ने, इस पक्ष के और विरोधी पक्ष के, भाग लिया। दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने बड़े मूल्यवान सुझाव दिए। सबसे पहले मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं कि सरकार की नीति निश्चित रूप में विकेन्द्रीयकरण की है। केन्द्रीयकरण की नहीं है। यह तो बिल्कुल तय है कि जितनी भी स्वायत्त सेवी संस्थाएं थीं उनके जन-प्रतिनिधियों का जो चरित्र था वह समाप्त हो चुका था। मैंने पूर्व

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

के भाषण में कहा था कि जनता ने जन-प्रतिनिधियों को केवल 5 वर्ष के लिए निर्वाचित किया था। पिछली कांग्रेस सरकार ने 5 साल के अन्दर चुनाव नहीं कराए। सरकार की जिम्मेदारी थी, 5 वर्ष खत्म होने के बाद चुनाव कराए जाते। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करके, मैं तो कहूंगा कि सत्ता के मद में, कांग्रेस पार्टी की सरकार को आभास नहीं था कि देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता से हट जायगी और जनता पार्टी की सरकार बनेगी। केवल इन्हीं कारणों से चुनाव नहीं कराए गए। यदि चुनाव सन् 1976 में करा दिए गए होते तो वह चुनाव लगभग 1981 तक चलता और आज यह आवश्यकता न पड़ती।

एक बात यहां पर अध्यादेश के सम्बन्ध में कही गयी है और माननीय ऊदल जी ने बहुत ही सारगर्भित भाषण में कहा कि अध्यादेश तभी प्रभावी किया जाना चाहिए जब अति-आवश्यक हो। तो जो अध्यादेश प्रभावी किया गया इसकी अति-आवश्यकता थी। यह बात मैं बता दूं कि विधान सभा का सत्र तब तक नहीं बुलाया गया था। क्योंकि 10 अगस्त को अध्यादेश प्रभावी किया गया, तब तक विधान सभा बुलाने की अधिसूचना नहीं हुई थी, इसके कई दिन बाद प्रसारित की गयी थी। अध्यादेश के सम्बन्ध में मैं निश्चित रूप से इस राय का हूं और माननीय ऊदल जी की राय से सहमत हूं कि जब बहुत आवश्यकता हो तभी अध्यादेश को प्रभावी किया जाना चाहिए। लेकिन यह अध्यादेश इसी कोटि में आता है। माननीय रियासत हुसैन जी ने मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, बरेली की स्वायत्त सेवी संस्थाओं का जिक्र किया और शंकाएं व्यक्त कीं। मैं कहना चाहता हूं कि अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, बरेली की जो स्वायत्त सेवी संस्थाएं हैं और नगरपालिकायें हैं, 4 नगर पालिकायें हैं, उनका भी चुनाव होने जा रहा है, इन्हीं के साथ होगा। दूसरी ओर आशंकाएं व्यक्त की गयीं कि अध्यक्ष का चुनाव और मेयर का चुनाव कैसे होगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और एक जानकारी देना चाहता हूं कि पिछली विधान सभा ने नगर महापालिका और नगर पालिका अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी बनाई थी। उस सेलेक्ट कमेटी का मैं भी सदस्य था। हालांकि आपात्कालीन स्थिति लग जाने के कारण, उस दिन सेलेक्ट कमेटी की बैठक हो रही थी, कुछ दिनों बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सेलेक्ट कमेटी ने जो भी संशोधन किया, उसमें दोनों पक्ष के सदस्य थे, उनके हिसाब से जो संशोधन किया गया उसके अनुसार अध्यक्ष और मेयर दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। तो चुनाव होने जा रहा है उसमें जितने भी मतदाता हैं, सबको वोट देने का अधिकार होगा।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले दिनों में सारी म्युनिसिपैलिटीज में वार्ड बनाए गए थे। वहां शिकायत है कि चूंकि उस समय कांग्रेस सरकार थी और चेयरमैन उनके थे। उन्होंने मनमाने वार्ड बना लिए। लिहाजा उन वार्डों में तब्दीली होनी चाहिए जो इल्लीगल बने हैं। मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि इस पर वह ध्यान दें और इलेक्शन होने से पहले उनमें तब्दीली की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, इस सदन के अधिकतर जो सदस्यों की राय है उससे मैं सहमत हूं कि जो स्वायत्त सेवी संस्थाएं हैं उनको जिन कानूनों के अन्तर्गत काम करना पड़ता है, पिछले जमाने में उनके अधिकारों में काफी मात्रा में कटौती की गयी है । आवास के विषय में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद् को दे दिया गया है। पानी को जल निगम को दे दिया गया है। शिक्षा को 1972-73 में बेसिक शिक्षा अधिनियम बनाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी को दे दिया गया है। इस प्रकार यह अधिकार इन संस्थाओं के हाथों से छीन लिए गए हैं और मैं सदस्यों की राय से सहमत हूं। चुनाव होने के बाद निश्चित रूप से मैं माननीय सदस्यों की राय से इस सम्बन्ध में एक व्यापक संशोधन लाऊंगा।

मान्यवर, माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने ध्यान आकर्षित किया कि सुन्दरीकरण के नाम पर या अन्य योजना के नाम पर जो भी अत्याचार पिछले शासन के द्वारा हुए हैं उनके सम्बन्ध में जांच होनी चाहिए। तो इस सम्बन्ध में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो शाह आयोग है उसने स्वयं शासन के पास एक पत्र भेजकर शासन से अनुरोध किया है कि स्वायत्त सेवी संस्थाओं के अन्तर्गत आपात्काल में जो भी जुल्म सुन्दरीकरण या अन्य योजना के नाम पर हुए हैं उसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं एक आयोग बिठा कर जांच कराए। इस सम्बन्ध में शासन ने निर्णय ले लिया है कि स्वायत्त सेवी संस्थाओं में जहां भी आपात्काल में जुर्म और अत्याचार हुए हैं उनकी जांच अपने ही स्तर पर सरकार करे। और किस प्रकार का आयोग होगा उसके सम्बन्ध में हम सरकारी अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर रहे हैं और निश्चित रूप से न्यायिक जांच बिठाई जायगी ।

मान्यवर, देव बहादुर सिंह जी ने चुंगी के सम्बन्ध में चर्चा किया। तो यह सर्वविदित है कि चुंगी इन संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है और विशेषकर चुंगी में भ्रष्टाचार भी व्याप्त है। इसलिए आय का बहुत बड़ा भाग इन संस्थाओं को नहीं मिलता है और निहित स्वार्थों के हाथ में चला जाता है। इसलिए शासन ने दो चीजों को स्वीकार कर लिया है कि एक तो वर्तमान जो चुंगी है उसको समाप्त किया जायगा। लेकिन उसका क्या विकल्प होगा इसके सम्बन्ध में विचार चल रहा है और जो पिछले जमाने की रिपोर्ट है उसका अवलोकन किया जा रहा है। शीघ्र ही इस सम्बन्ध में घोषणा की जायगी। दूसरे जो बैरियर इस सम्बन्ध में हैं जिससे आवागमन अवरुद्ध होता है तो बैरियर सिस्टम को भी समाप्त करने का शासन ने निर्णय ले लिया है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में घोषणा की जाएगी।

मान्यवर, पेयजल के सम्बन्ध में भी यहां चर्चा की गयी है। तो मैं केवल इस सम्बन्ध में एक जानकारी देना चाहता हूं कि इसी सत्र में एक संशोधन प्रस्तुत करने का शासन ने निर्णय ले लिया है कि ऐसे गरीब लोग जिनके मकानों में नल नहीं हैं और फिर भी जल-कर लगता है तो ऐसे मकानों पर से भी जल-कर वसूल नहीं किया जाएगा।

(तालियों की गड़गड़ाहट)

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

इस सम्बन्ध में अगले सप्ताह में ही जिस दिन मैं अनुदान की मांग पेश करूंगा माननीय सदन में कुछ बातों से अवगत कराऊंगा। माननीय देव कुमार जी ने गन्दगी, सफाई और शुद्ध पेयजल के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। यह न केवल बांदा जिले की बल्कि सारे प्रदेश की समस्या है। मैं इस समस्या के प्रति सजग हूं और निश्चित रूप से सुधार लाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या हो सकेगा यह तो भविष्य ही बतायेगा। उन्होंने एक बात और कही, सिर पर मैला ढोने की। पिछली सरकार ने एक आदेश जारी किया था और मैंने उस आदेश को निकलवा कर पुनः जारी किया है। आज तो सभी जगह प्रभारी अधिकारी बैठे हुए हैं। मैंने कहा है कि पिछली सरकार ने इस कुप्रथा को बन्द करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए थे। लेकिन अगर कहीं वह कुप्रथा चल रही है तो उसको निश्चित रूप से समाप्त होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अगर कहीं यह कुप्रथा चल रही है तो मुझे जानकारी दें। 24 घंटे के अन्दर यह कुप्रथा वहां बन्द हो जायगी अगर कहीं चलती होगी। वैसे मुझे शासन के माध्यम से जहां तक जानकारी है यह कुप्रथा कहीं चल नहीं रही है। मैं सबसे अधिक बधाई अपने नौजवान साथी रणजीत सिंह जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने विरोध पक्ष में रहते हुए भी इस विधेयक का स्वागत किया। मैं चाहूंगा कि उस पक्ष के अन्य माननीय सदस्य भी उनके आदर्शों का पालन करें।

अन्त में, माननीय रियासत हुसैन, देव कुमार, राम आसरे वर्मा और गोविन्द सिंह नेगी, जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है, निवेदन करूंगा कि अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें। उधर से भी माननीय सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि चुनाव होने चाहिए और निश्चित समय के अन्दर होने चाहिए। जो यह विधेयक है इसमें भी यह कहा गया है कि इन सभी संस्थाओं में पिछले सामान्य निर्वाचन वर्ष 1971 में हुए थे तथा इनका कार्यकाल 1976 में समाप्त हो गया था। इस प्रकार नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया तथा टाउन एरिया में जो बोर्ड तथा समितियां कार्यरत हैं वे काफी समय पूर्व निर्धारित कार्य-काल समाप्त कर चुकी हैं तथा अब वे वास्तव में जन-भावनाओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया कि उक्त सभी स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन कराए जायं। यदि प्रवर समिति को भेजेंगे तो उसमें देर लगेगी और हम निश्चित समय के अन्दर चुनाव नहीं करा पायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि माननीय प्रस्तावक इस संशोधन को वापस ले लें। एक साल तक के लिए यह विधेयक है। यदि शासन को अनुमति देना चाहते हैं कि एक साल तक चुनाव न कराए जायं तो ठीक है, हम एक व्यापक संशोधन विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत कर देंगे। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माननीय बर्क साहब ने परिसीमन के सम्बन्ध में प्रश्न किया था। उस सम्बन्ध में कठिनाई है। उसकी एक प्रक्रिया होती है। यदि परिसीमन में क्लैरिकल गलती नहीं है और नए सिरे से उसको करना है तो उसमें काफी समय लगेगा और हम निश्चित समय के अन्दर चुनाव नहीं करा पायेंगे।

डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह विधेयक आया है उस पर जो मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला, महा नगरपालिकाओं में जो जमीन है उनको देने की

कोई व्यवस्था आप कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि देहात में गरीबों पर पेय-जल के लिए जो टैक्स लगता है क्या उसके बारे में भी आप कुछ सोच रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, देहात में पानी के सिलसिले में कर लगता है या ऐसे मकान जिनमें नल नहीं है, जल की व्यवस्था नहीं है, कर लगता है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन जहां तक इसका सम्बन्ध है इस विधेयक से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके लिए हम विधायक जी से जानकारी ले लेंगे और आवश्यक कार्यवाही की जायगी। जहां तक गरीबों से जमीन लेने की बात है निश्चित रूप से मुख्य मन्त्री जी घोषणा कर चुके हैं कि मंगलदेव विशारद कमेटी की जो संस्तुतियां हैं सब को कार्यान्वित किया जायगा।

डाक्टर जवाहर लाल--

एक स्पष्टीकरण और चाहता हूं। शहरों में म्युनिसिपैलिटी की नालियों में, मन्त्री जी ने खुद देखा होगा आते-जाते, जो टोकरा ला कर के बहाया जाता है उसके लिए भी कोई शिकायत हुई, कोई इन्सपेक्टर इसके लिए नियुक्त किया है, आज तक कितने केसेज पकड़े गए हैं, क्या वह सदन के अन्दर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

बैठिए, इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इमरजेंसी के दौरान नगरपालिकाओं, टाउन एरिया के जो सफाई मजदूर नसबन्दी के आधार पर निकाले गए थे उन्हें पुनः आप ड्यूटी देंगे वेतन के साथ ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

माननीय भगवती प्रसाद सिंह यहां पर उपस्थित नहीं थे जिस वक्त माननीय प्रदीप कुमार बजाज के प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने जानकारी दी थी। सारे प्रदेश में आपातकाल में नसबन्दी के नाम को लेकर के केवल एक सफाई कर्मचारी को निकाला गया था और उसके लिए भी 15 जुलाई को आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा भी कोई केस हो तो उसकी जानकारी दे दें उस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे संशोधन पर विचार व्यक्त किए--दोनों पक्षों की ओर से--उनका बहुत अनुगृहीत हूं और जो माननीय मन्त्री जी ने कुछ घोषणाएं कीं उनके लिए भी मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैंने सुझाव रखे थे और आपके नोटिस में लाया था गन्दगी का, सुन्दरीकरण के दौरान कुछ ज्यादतियों का और उस पर आपने एक आयोग गठन करने की घोषणा की। इसके लिए मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं। और इस सिलसिले में बांदा नगरपालिका में इमरजेंसी के दौरान वहां के तत्कालीन जिलाधिकारी और नगरपालिका के अध्यक्ष ने एक लाख की सम्पत्ति.....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप भाषण न करें। आप अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं या नहीं ?

श्री देव कुमार—

इसकी जांच की जाय। मान्यवर, इस विधेयक से नगरपालिकाओं और टाउन एरिया के स्वरूप में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं होता है इसलिए मैं महसूस करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस विधेयक को वापस ले लें और यह सदन इस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार कर के इसमें कोई संशोधन विधेयक लाने के लिए रखे जिससे प्रदेश का विकास हो। इसलिए मैं इस संशोधन को वापस लेने में असमर्थ हूं।

श्री रियासत हुसैन—

मैं आभारी हू माननीय सदस्यों का जिन्होंने मेरे संशोधन पर चर्चा में भाग लिया। मैंने जो आशंकाएं व्यक्त की थीं माननीय मन्त्री जी ने उनका स्पष्टीकरण दे दिया है और मुझे आशा है कि मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़ और बरेली में सभी अन्य म्युनिसिपैलिटीज के साथ चुनाव होंगे और दूसरे अध्यक्षों के चुनाव डायरेक्ट होंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मन्त्री जी इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत जमुना पार के सैकड़ों गांव मास्टर प्लान से प्रभावित होने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था कानून में कर दें जिससे वे सैकड़ों गांव प्रभावित न हों।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि श्री रियासत हुसैन को अपना संशोधन वापस लेने की अनुज्ञा दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रियासत हुसैन—

गड़बड़ हो गयी है ।

श्री अधिष्ठाता—

कोई गड़बड़ नहीं हुई है । मैं नियमों को अच्छी तरह से समझता हूं ।

श्री ऊदल—

व्यवस्था का प्रश्न है । नियम यह है कि विचार करने के बाद मन्त्री जी की तरफ से उसको कहा जायेगा और तब आप रखेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

ऊदल जी, आप बैठिए ।

खण्ड 2, 3, 4, 5 और खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977

राज्य की म्युनिसिपैलिटियों, नोटीफाइड एरियाओं और टाउन एरियाओं के प्रशासन के लिए कतिपय अस्थायी प्रबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 कहा जायगा ।

म्युनिसिपैलिटीज और नोटीफाइड एरियाओं के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

उ0प्र0 अधिनियम स0 2, 1916

2—(1) दिनांक 10 अगस्त, 1977 से यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के (जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है) उपबन्ध एक वर्ष की अवधि या जब तक उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नगरपालिका बोर्डों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, तक के लिए, प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, म्युनिसिपल बोर्ड के समस्त सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं, अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे;

(ख) म्युनिसिपल बोर्ड, उसके अध्यक्ष और समितियों की सभी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसका प्रयोग, पालन और निर्वहन किया जायगा, और जिला मजिस्ट्रेट [जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्ति प्रतिनिहित करे], जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, म्युनिसिपल बोर्ड, उसका अध्यक्ष या सम्बद्ध समिति समझा जायगा ।

(2) दिनांक 10 अगस्त, 1977 से उक्त अधिनियम के उपबन्ध एक वर्ष की अवधि या जब तक कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नोटीफाइड एरिया कमेटियों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, तक के लिए प्रत्येक नोटीफाइड एरिया के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नोटीफाइड एरिया कमेटी के अध्यक्ष (चेयरमैन) और सभी सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे;

(ख) नोटीफाइड एरिया कमेटी, और उसके अध्यक्ष की सभी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, पालन और निर्वहन किया जायगा, और जिला मजिस्ट्रेट [जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट धारा 4 के की उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्ति प्रतिनिहित करे], जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, नोटीफाइड एरिया कमेटी या उसका अध्यक्ष समझा जायगा ।

टाउन एरियाओं के प्रशासन के सम्बन्ध में अस्थायी उपबन्ध

3—दिनांक 10 अगस्त, 1977 से संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 के, जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है, उपबन्ध एक वर्ष की अवधि या जब तक कि उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन टाउन एरिया कमेटियों का पुनः संघटन न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, तक के लिए प्रत्येक टाउन एरिया के सम्बन्ध में, निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

उ0प्र0 1914 के सं0 2, 1914

(क) उक्त अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष और सभी सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे ;

(ख) टाउन एरिया कमेटी की सभी शक्ति, कृत्य और कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट में निहित हो जायेंगे और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उसका प्रयोग, पालन और निर्वहन किया जायगा, और जिला मजिस्ट्रेट [जिसमें ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी भी सम्मिलित है जिसे जिला मजिस्ट्रेट धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन अपनी शक्ति प्रतिनिहित करे], जैसा अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, टाउन एरिया कमेटी या उसका अध्यक्ष समझा जायगा ।

अतिरिक्त उपबन्ध

4—(1) जहां किसी संगत अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी म्युनिसिपल बोर्ड, नोटिफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी का पहले ही विघटन या अतिक्रमण कर दिया गया हो और ऐसा विघटन या अतिक्रमण 10 अगस्त, 1977 के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो, वहां भी इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होंगे ।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, जिला मजिस्ट्रेट धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या उपधारा

(2) के खण्ड (ख), या धारा 3 के खण्ड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट किसी एक या अधिक व्यक्ति या प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है ।

(3) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा किसी कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक आदेश दे सकती है जो उसे पूर्ववर्ती और सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर कम से कम तीस दिन की अवधि के लिए जो उसके एक सत्र में या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखी जायगी, और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में अपने प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हो जायं, किन्तु इस प्रकार का कोई ऐसा परिष्कार या अभिशून्यन तद्-धीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

निरसन और अपवाद

5--(1) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उ0 प्र0 अध्यादेश सं0 16, 1977

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समयों पर प्रवृद्ध था ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

मेरा मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने खंडवाईज नहीं लिया ।

श्री अधिष्ठाता--

हम ले रहे हैं आप सुन कहां रहे हैं ?

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5 और खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 पारित किया जाय ।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

मान्यवर, मैं आपको बतलाना चाहता हूं थर्ड रीडिंग पर हमें बोलने का मौका देंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

अब यह थर्ड रीडिंग चल रही है और मन्त्री जी ने प्रस्ताव रख दिया है मैं उसे लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री गनेशी लाल चौधरी—

हमें कुछ कहना है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिए, जरा साधारण नियम को समझिए।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गनेशी लाल चौधरी—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, इसे सुन तो लीजिए, तब तो आप फैसला देंगे। मैं तीसरे वाचन पर बार-बार बोलने के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बोलने का अवसर दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। बोलने का समय देना और न देना मेरे अधिकार में है। जितना समय है, उसमें यह सम्भव नहीं है। अब दूसरा कार्यक्रम लिया जायगा। आप बैठें।

उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 †

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय। श्रीमन्, यह विधेयक केवल उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम जो है, उससे सम्बन्धित है। इस प्रकार इसके सम्बन्ध में केवल 5 महापालिकाएं हैं—इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, लखनऊ व कानपुर। पिछली बार जब सन् 1959 में नगर महापालिका अधिनियम बना, तो कानपुर में सभासदों की संख्या 72, आगरा में 54, इलाहाबाद व वाराणसी में 54 तथा लखनऊ में 64 थी। लेकिन तत्पश्चात् पिछली सरकार ने इसमें कुछ संशोधन किए और जो दो संसदीय कक्ष थे, उनको एक संसदीय कक्ष बना दिया। इसके फलस्वरूप कानपुर नगर महापालिका के सदस्यों की संख्या 72 से घटकर 50, आगरा में 54 से घटकर 40, इलाहाबाद और वाराणसी में 54 से घटकर 40 तथा लखनऊ में 64 से घटकर 40 कर दी गयी। लेकिन इस बीच जनसंख्या बराबर बढ़ती गयी और सरकार के पास मांग आती रही कि जो पहले संख्या थी, उसमें वृद्धि की जानी चाहिए थी, किन्तु घटाने का कोई औचित्य नहीं है। तो सरकार ने इन शिकायतों के आधार पर और आबादी के बढ़ने के आधार पर निश्चय किया कि निश्चित रूप से सभासदों की संख्या में

---

† दिनांक 2 सितम्बर, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

वृद्धि की जानी चाहिए। अतः इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया कि परिसीमन में यह विषय चला जायगा तो निश्चित घोषणा के अनुसार चुनाव नहीं कराए जा सकेंगे अतः एक कक्ष को दो कक्षीय कर दिया जाय और कानपुर में 50 सीटों को बढ़ाकर 100 कर दिया जाय तथा इलाहाबाद, वाराणसी व आगरा में 80-80 सीटें कर दी जायं। लेकिन इसमें एक कठिनाई पड़ती थी, पूर्व अधिनियम के अनुसार किसी भी नगर महापालिका के सभासदों की संख्या अधिक से अधिक 90 होगी। किन्तु अब कानपुर में 100 करना पड़ रहा है। इसलिए इसमें इस बात की प्रस्तावना है कि सभासदों की संख्या 90 से बढ़ाकर 100 की जा सके।

तीसरा संशोधन जो प्रस्तावित है वह केवल इस बात पर है कि पिछली नगर महापालिका में जो विशिष्ट सभासद भी हुआ करते थे। यह ऐसे सदस्य होते हैं, जिन्हें, जो सभासद चुनकर पहुंचते हैं, वे चुना करते थे। इस तरह से यह अप्रत्यक्ष रूप से महापालिका के सदस्य हो जाया करते थे। किन्तु अब इसके द्वारा यह किया गया है कि विशिष्ट सभासदों का पद समाप्त कर दिया जाय। एक इसमें इस बात की भी व्यवस्था की गयी है कि इस माननीय सदन के जो सदस्य हैं—विधान परिषद् के जो सदस्य हैं, राज्य सभा और लोक सभा के जो सदस्य हैं, यदि उनके क्षेत्र में कोई स्वायत्तशासी संस्था पड़ती है, तो वह उनके पदेन सदस्य स्वयंमेव हो जायेंगे। इसलिए दूसरा संशोधन प्रस्तावित है। मेरा पुनः निवेदन है कि इस सम्बन्ध में माननीय देव कुमार, माननीय रियासत हुसैन तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित से, कि अपना संशोधन वापस ले लें। बहुत ज्यादा विवाद की गुन्जायश नहीं है।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत करे।

मान्यवर, बहुत कुछ चीजें माननीय मन्त्री जी के पूर्व विधेयक के सम्बन्ध में कही जा चुकी हैं। उनको दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन कुछ महापालिकाओं की समस्याओं के सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए इस प्रदेश की महापालिकाएं यदि यह कहा जाय कि इस प्रदेश की जनता का दिल हैं, लखनऊ जैसा नगर, जिसकी संस्कृति सारे देश में महत्व रखती है और अन्य शहरों के प्रति जो आकर्षण है, सारे देश और प्रदेश के और दुनिया के नागरिक आते हैं, उनको देखने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए जो स्थिति इन महापालिकाओं की है, उसके सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं, अब आमूल परिवर्तन होना चाहिए।

नागरिक जीवन के तीन आवश्यक अंग हैं, बिजली, पानी और सफाई। अगर माननीय मन्त्री जी कोई कमीशन बैठाएं तो एक भी महापालिका ऐसी नहीं पायेंगे जहां दावे के साथ कहा जा सके कि यह सुविधाएं उपलब्ध हैं। रोटी की बात तो बार-बार कही जाती है। लेकिन रोटी तो दूर है। यह चीजें भी आप नहीं दे सकते, जो आकर्षण की चीजें हैं जिनकी वजह से लोग शहर में रहना चाहते हैं। रोटी की समस्या जैसी है आप जानते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव कुमार]

मान्यवर, लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों को मैं जानता हूं। दो-तीन बार मैंने माननीय मन्त्री जी और सदन का ध्यान दिलाया। यहां कुछ कहने का अर्थ होता है। लेकिन पुराने महानगर में एक मोहल्ला घोसियाना है। मैंने बार-बार मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, जहां पर जानवर पालते हैं, दूध के लिए, सड़कों पर इतना गोबर, गन्दगी, तमाम चीजें इकट्ठा हैं जहां पर लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। कुछ लोगों ने झुग्गी बना कर अधिकार कर लिया है। लेकिन ताज्जुब है कि उस मोहल्ले की तरफ ध्यान नहीं गया। यही स्थिति प्रदेश की सारी महापालिकाओं की है। इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे नागरिक जीवन में कुछ सुख-सुविधा बढ़े।

मैं आवास के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जिस तरह से नगरों की आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से हर महापालिका के अन्दर हर बड़े नगर के अन्दर रहने की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय देव कुमार जी, आप इस बिल के उपबन्धों पर विचार करने के लिए सुझाव दें। सामान्य बहस का औचित्य नहीं है।

श्री देव कुमार—

यह स्थिति है। साधारण नगरों की बात छोड़िए। गजटेड अफसर और सरकार के कर्मचारियों की दुर्दशा है। मकान मिलते नहीं। कमरा के लिए डेढ़ दो सौ रुपए देना पड़ता है। इसलिए नगर महापालिकाओं के जरिए से कोई आवास सम्बन्धी ऐसी नीति अपनाई जानी चाहिए जो युद्ध-स्तर पर व्यवस्था करे। जो व्यक्ति यहां रहते हैं कम से कम उनका सर छिपाने के लिए कोई झोपड़ी, मकान की व्यवस्था होनी चाहिए। अन्यथा मान्यवर, आपने देखा होगा कि कानपुर में हजारों आदमी फुटपाथ पर पड़े रहते हैं और यह समस्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती ही जा रही है। इसलिए शासन को योजना बनाकर इसकी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि नगर पालिकाओं की आमदनी बढ़ सकती है, अगर नगरपालिकाएं बाजारों की व्यवस्था करें, अगर नगर महापालिकाएं उपभोक्ता भण्डारों को खोलें तो उनकी आमदनी बढ़ सकती है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन चीजों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इसी तरह से उद्योगों की स्थिति है। यहां पर नगरपालिकाएं अपने यहां के निवासियों के लिए किसी उद्योग-धन्धे की व्यवस्था नहीं करती हैं। इस ओर उनका ध्यान जाना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार भी मिल सके और नगरपालिकाओं का विकास हो और सत्ता का विकेन्द्रीकरण का अधिकार दिया जाय जिससे वे अपने क्षेत्र के अन्दर जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी मेरे इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि .....

श्री अधिष्ठाता—

प्रस्ताव रख दिया गया है। आप बोलें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी का ध्यान लखनऊ नगर के चारों ओर के 40 गांवों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनको नगरपालिका लेने वाली है और जो अवैध करार कर खाली किए जाने वाले हैं, उनकी ओर आकर्षित करता हूं। मान्यवर, इन गांवों में अधिकतर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। उनको बसने के लिए जमीन नहीं दी गयी तो उनको दिक्कत हो जावेगी। सलेज फार्म की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान जाना चाहिए। इस इलाके में लोग आलू की काश्त करते हैं। जुगौली गांव है वहां पर लोग आलू की काश्त करते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आपकी आज्ञा से, उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

विषयान्तर हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य विषय पर बोलें।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

पहले जो ऐक्ट था उसमें अनुमोदित सदस्यों की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मन्त्री जी ने यह कहा है कि पदेन सदस्य होगा, इसका मतलब तो मैं नामिनेटेड मेम्बर समझता हूं। इसको माननीय मन्त्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

इसमें मान्यवर, केवल इसी सत्र में ही विधेयक पारित किया गया था जिसमें केवल इस बात का प्राविधान था कि यदि कोई सफाई कर्मचारी वर्ग का कोई व्यक्ति मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ता है और उस वर्ग का व्यक्ति निर्वाचित होकर नहीं आता है तो उस सूरत में किसी सफाई वर्ग के आदमी को नामिनेट करने का अधिकार राज्य सरकार को होगा। दूसरा संशोधन पहले ही पारित किया जा चुका है इसी प्रकार कोई महिला वर्ग से कोई महिला नगरपालिका या नगर महापालिका में निर्वाचित होकर नहीं पहुंच पाती तो उस वर्ग की किसी महिला का नामिनेशन करने का अधिकार राज्य सरकार को है।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री देव कुमार से)

क्या आप अपना संशोधन वापस लेते हैं ?

श्री देव कुमार--

मन्त्री जी ने जो बातें कहीं हैं उससे मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि श्री देव कुमार को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 33 तक तथा खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जायगा।

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2, 1959 की धारा 2 का संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (38) में शब्द "कोई विशिष्ट सदस्य या सभासद" के स्थान पर शब्द "कोई सभासद या कोई पदेन सदस्य या कोई नाम निर्दिष्ट सदस्य" रख दिए जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन।

3—मूल अधिनियम की धारा 6 में—

(क) उपधारा (1) में, —

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(क) सभासदों जिनकी संख्या उतनी होगी जितनी राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, परन्तु जो एक सौ से अधिक न होगी और जो संख्या उपधारा (3) और (4) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त होगी,";

(दो) खण्ड (ख) निकाल दिया जायगा।

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(2) सभासद कक्ष निर्वाचनों में चुने जायेंगे।";

(ग) उपधारा (3) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे;

(घ) उपधारा (4) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे।

धारा 9 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 9 में, शब्द "विशिष्ट सदस्यों" निकाल दिए जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 11 में, उपधारा (1) में—

(क) खण्ड (ग) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य या" निकाल दिए जायेंगे।

धारा 11-क का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 11-क में, उपधारा (4) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" जहां वे पहली बार आए हैं, निकाल दिए जायेंगे, और शब्द "यथास्थिति, सभासद या विशिष्ट सदस्य" के स्थान पर शब्द "सभासद" रख दिया जायगा।

धारा 13 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "विशिष्ट सदस्य तथा" निकाल दिए जायेंगे।

धारा 20, 21 और 22 का निकाला जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 20, 21 और 22 निकाल दी जायेगी।

धारा 23 का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"सभासदों पर प्रयोज्य कतिपय उपबन्ध नाम निर्दिष्ट सदस्यों पर लागू होंगे

23—धारा 24, 25, 26, 28, 29, 30-क, 81, 82, 83, 85, 87, 538, 539, 565, 570 और 572 के उपबन्ध जैसे सभासदों पर लागू होते हैं, वैसे धारा 6 की उपधारा (3) और (4) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्यों पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।"

धारा 25 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य, सभासद अथवा" के स्थान पर शब्द "सभासद" रख दिया जायगा;

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायगी;

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायगी;

(घ) उपधारा (4) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" और शब्द "क्रमशः विशिष्ट सदस्य अथवा" निकाल दिए जायेंगे;

(ङ) उपधारा (5) में, खण्ड (2) में, शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य' निकाल दिए जायेंग।

(च) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(7) कोई व्यक्ति जो सभासद के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात् इस धारा के अधीन अनर्ह हो जाय, सभासद नहीं रह जायगा और उसका स्थान ऐसी अनर्हता होने के दिनांक से रिक्त हो जायगा।"

धारा 26 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 26 में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" और शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे।

धारा 30-क का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 30-क में, शब्द "तथा विशिष्ट सदस्यों" निकाल दिए जायेंगे ।

धारा 45 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 45 में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे ।

धारा 46 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 46 में—

(क) प्रारम्भिक पैरा में, शब्द "विशिष्ट सदस्य और" निकाल दिए जायेंगे;

(ख) खण्ड (ठ) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे;

(ग) खण्ड (घ) में, शब्द "तथा विशिष्ट सदस्य" और शब्द "तथा विशिष्ट सदस्यों" निकाल दिए जायेंगे ।

धारा 47 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 47 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे ;

धारा 50 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 50 में, जहां कहीं भी शब्द "विशिष्ट सदस्य" आए हों, निकाल दिए जायेंगे ।

धारा 51 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "और विशिष्ट सदस्यों" निकाल दिए जायेंगे ।

धारा 54 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में, शब्द "विशिष्ट सदस्यों तथा" निकाल दिए जायेंगे ।

धारा 62 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 62 में—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(1) सभासद के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन पर, निर्वाचन में असफल किसी व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका निर्वाचन में नाम-निर्देशन-पत्र अस्वीकार कर दिया गया हो या सम्बद्ध कक्ष के निर्वाचक द्वारा आपत्ति की जा सकती है । ";

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य अथवा" निकाल दिए जायेंगे ;

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(4) याचिका, निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर नगर में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले जिला जज को प्रस्तुत की जायगी ।"

20—मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "विशिष्ट सदस्य अथवा" निकाल दिए जायेंगे। — धारा 65 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 81 में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे। — धारा 81 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 83 में, उपधारा (1) में, शब्द और कामा "विशिष्ट सदस्य", जहां कहीं भी आए हों, निकाल दिए जायेंगे। — धारा 83 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 85 में— — धारा 85 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में—

(एक) प्रारम्भिक पैरा में, शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे;

(दो) उससे संलग्न प्रपत्र में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे;

(ख) उपधारा (1-क) में—

(एक) प्रथम वाक्य में शब्द "सभासदों और विशिष्ट सदस्यों" के स्थान पर शब्द "और सभासदों" रख दिए जायेंगे; और

(दो) दूसरे वाक्य में, शब्द "और विशिष्ट सदस्यों" निकाल दिए जायेंगे;

(ग) उपधारा (2) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे;

(घ) उपधारा (3) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे।

24—मूल अधिनियम की धारा 87 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य", जहां कहीं भी आए हों, निकाल दिए जायेंगे। — धारा 87 का संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 98 में, शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे। — धारा 98 का संशोधन

26—मूल अधिनियम की धारा 104 में, उपधारा (2) में, शब्द "अथवा विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे। — धारा 104 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 133 में— — धारा 133 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" जहां कहीं भी आए हों, निकाल दिए जायेंगे; और

(ख) उपधारा (3) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे।

28—मूल अधिनियम की धारा 538 में, उपधारा (3) में, खण्ड (क) में, शब्द "और विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे। — धारा 538 का संशोधन

29—मूल अधिनियम की धारा 539 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "तथा विशिष्ट सदस्य" तथा शब्द "और विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे। — धारा 539 का संशोधन

धारा 565 का संशोधन — 30—मूल अधिनियम की धारा 565 में, उपधारा (1) में, शब्द "या विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे।

धारा 570 का संशोधन — 31—मूल अधिनियम की धारा 570 में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" और उसके पश्चात आया हुआ कामा निकाल दिए जायेंगे।

धारा 572 का संशोधन — 32—मूल अधिनियम की धारा 572 में, खण्ड (क) में, शब्द "विशिष्ट सदस्य" निकाल दिए जायेंगे।

संक्रमण-कालीन उपबन्ध — 33—मूल अधिनियम में या मूल अधिनियम की धारा 32 के अधीन पहले से जारी की गयी परिसीमन आज्ञा में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन राज्य सरकार की शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी सभी परिसीमन आज्ञा इस परिष्कार के साथ प्रवृत्त रहेगी कि प्रत्येक कक्ष के लिए सभासदों के लिए उक्त आज्ञा में उल्लिखित एक स्थान के बजाय दो स्थान होंगे;

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, अधिसूचित आज्ञा द्वारा अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का पुनर्वितरण विभिन्न कक्षों में कर सकती है और ऐसी अधिसूचित आज्ञा देने के पूर्व इस सम्बन्ध में आपत्तियों के लिए प्रस्ताव का कोई प्रारूप प्रकाशित करना आवश्यक न होगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 33 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है। पहला प्रश्न यह है कि क्यों वापस होगा ? अब माननीय मन्त्री जी विचार करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे तब आप . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

विचार का प्रस्ताव तो पहले ही रखा जा चुका है। आप बैठिए। नियमों को मैं भली भांति जानता हूं। प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से लेकर खण्ड 33 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977†

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, जो विधेयक आज यहां प्रस्तुत है, 8 अगस्त, 1977 को उसके लिए एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसको रिप्लेस करने के लिए यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है। मान्यवर, यह बहुत ही छोटा सा विधेयक है और मैं सदन का अधिक समय भी नहीं लेना चाहता हूं। इसके उद्देश्य और कारण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल दो चीजों में संशोधन किया गया है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड बना हुआ था. .

(शोर)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया माननीय सदस्य सदन में शान्ति बनाए रहें।

श्री कल्याण सिंह--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड बना हुआ था उसके बारे में अनियमितताओं और पैसे के गोल-माल की बड़ी शिकायतें आयीं। छात्रों को भी इस बोर्ड पर बड़ा असन्तोष था और उनके द्वारा प्रबल मांग की जा रही थी कि इस बोर्ड को भंग किया जाय। तो विचार करने के उपरान्त शासन भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बोर्ड को समाप्त किया जाना ही जनहित में होगा। तो इस विधेयक द्वारा बोर्ड को भंग किया गया है और बोर्ड से जो परीक्षाओं का संचालन होता था वह भी बोर्ड द्वारा न कराकर विश्व-विद्यालयों द्वारा ली जायं। सरकार ने इस पर भी विचार किया कि कोई भी युनिवर्सिटी डिप्लोमा का इम्तिहान ले। लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालयों को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे भी होम्योपैथी के डिप्लोमा के इम्तिहान भी ले सकें। इसके साथ ही साथ आगरा और कानपुर विश्वविद्यालयों के कार्य-क्षेत्र को भी बढ़ाया जा सके। ये 3 चीजें इसमें दी गयी हैं। इन्हीं की पूर्ति के लिए यह विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया गया है। माननीय सदन के सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे इस पर विचार करने के उपरान्त पारित करने की कृपा करें। शेष बातें मैं जब माननीय सदस्य अपने-अपने विचार व्यक्त कर चुकेंगे, सदन के समक्ष रखूंगा।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से सम्बन्धित है। मैं उनके इस विधेयक की तारीफ करता हूं लेकिन

---

†दिनांक 1 सितम्बर, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

उन्होंने इसे पेश करते समय अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने सूबे के उन छात्रों को ललकारा है। जब वे अपनी मांगों को लेकर उनके पास जाते थे तो माननीय मन्त्री जी उनको धमकाया करते थे और कहते थे कि वे उनको बन्द करवा देंगे, उनको देख लेंगे, उनसे निपट लेंगे। बड़ेअफसोस की बात है कि उन मासूम बच्चों के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मन्त्री जी इस प्रकार से बेरहमी से बात करें, यह उनको शोभा नहीं देता है। जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो माननीय मन्त्री जी ने लाठी चार्ज करा दिया और जब उन्होंने मन्त्री जी के बंगले पर और विधान भवन में उनसे मिलना चाहा तो बिना किसी कारण के उनको जेलों में बन्द करवा दिया। अब वे वहां पर आमरण अनशन कर रहे हैं। आप उन्हीं छात्रों पर जो जे0पी0 की सम्पूर्ण क्रान्ति के सजग प्रहरी हैं, दमन-चक्र चला रहे हैं, । यह जनता पार्टी के लिए बड़े शर्म की बात है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, सदन में शान्ति बनाए रखें. . .

एक सदस्य--

विधेयक पर बोलना चाहिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

आप बैठ जायं, आप मन्त्री नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सुन्दर लाल जी, आप इस विधेयक पर बोलिए। माननीय सदस्य शान्ति स्थापित रखें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

यह बिल जो पेश किया गया है, हमारे मित्र कुछ हड़बोंग मचाने के आदी हैं। याद रखो, तुम से ज्यादा मैंने संघर्ष किया है, तुम से ज्यादा मैंने लड़ाई लड़ी है। हम से ज्यादा जयप्रकाश नारायण और डा0 लोहिया के अनन्य भक्त तुम नहीं हो। तुम कुर्सी पर बैठ चुके हो, तुम को बोलने का अधिकार नहीं है, तुम को सुनना चाहिए और अगर तुम धमकाना चाहते हो, भारी संख्या के बल पर अनुशासनहीनता से चलना चाहते हो तो वह चलेगी नहीं। मर्यादित और अनुशासित ढंग से जो जयप्रकाश नारायण जी का नाम लेते हो तो इमरजेंसी में. .

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सुन्दर लाल जी, आप बिल पर बोलिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

जो सदस्य डिस्टर्ब किया करते हैं यह उचित नहीं है। वे मुझ से उम्र में बड़े हैं, मैं इज्जत करता हूं, लेकिन बार-बार हड़बोंग करने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए, यही सदन की परम्परा है। वैसे मैं इन लोगों को जानता हूं कि इन्होंने क्या-क्या किया है और तुम क्या करना चाहते हो. . .

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो भी आपने विधेयक लाने की कोशिश की है, इस समय आपने होम्योपैथिक छात्रों का उत्पीड़न नहीं समाप्त किया है, उनकी भावनाओं को नहीं समझा है, जल्दबाजी में लाए हैं। आपने यह नहीं सोचा कि क्या छात्रों की मंशा है, क्या उनके आरोप हैं। इन्होंने मन्त्री होते हुए भी छात्रों और नौजवानों से झूठ बोला। जब उनकी मांगों को पूरा करने का प्रश्न आया तो मुकर गए और धमकी देते हैं, तो पुलिस के बल पर यह शासन नहीं चलने वाला है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सुन्दर लाल जी, आपका समय समाप्त आप बैठिए। माननीय राम आसरे वर्मा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, होम्योपैथिक चिकित्सा कितनी सस्ती चिकित्सा है, सर्वसाधारण को मालूम है। जो सस्ती चिकित्सा है उसका सम्बन्ध जनसाधारण से होता है, दीन-दुखियों और गरीबों से होता है। होम्योपैथिक चिकित्सा के प्रति जो सरकार का दृष्टिकोण है वह इंगित करता है, संकेत करता है कि उन दीन-दुखियों के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है। जनता पार्टी की सरकार है, जनता पार्टी नारेबाजी चाहे जितनी करे कि दीन-दुखियों की फिक्र कर रही है, लेकिन व्यवहार में कुछ दूसरा ही देखने को मिल रहा है। होम्योपैथिक चिकित्सा के प्रति जो अवहेलना और उपेक्षा सरकार की तरफ से बरती जा रही थी उसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के लगभग 8 हजार छात्रों ने कई महीने से अपना संघर्ष शुरु किया प्रदर्शन किए, जुलूस निकाले, भूख हड़ताल की, तरह-तरह से संघर्ष किया और उसके बाद ही जनता पार्टी की सरकार के कानों पर जूं रेंगी। जो आज हम विधेयक देख रहे हैं यह भी उन्हीं संघर्षों का परिणाम है। लेकिन उस संघर्ष ने जहां इस विधेयक को जन्म दिया वहीं पर सरकार के इन जिम्मेदार मन्त्रियों के जो कारनामे थे, उनका जो रवैया था उनको भी जाहिर कर दिया। चाहे माननीय मुख्य मन्त्री जी हों, चाहे हमारे स्वास्थ्य मन्त्री जी हों, दोनों ही लोग सबेरे कुछ कहते हैं और शाम को कुछ कहते हैं। आपको मालूम है कि इस प्रदेश के अन्दर सब से पहला लाठी चार्ज होम्योपैथिक छात्रों पर विधान भवन के सामने हुआ। माननीय मुख्य मन्त्री जी खुद मेरे साथ गए थे उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए और सहानुभूति उन्होंने व्यक्त भी की थी, यह वायदा किया था कि लाठी चार्ज में जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए जो अधिकारी दोषी हैं उनको दंडित किया जाएगा। लेकिन बजाय उनको दन्डित करने के वही मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन के अन्दर एक सवाल के जवाब में कहा कि लाठी चार्ज हुआ ही नहीं। पहले जनता के सामने उन्होंने समवेदना प्रकट की और दोषी अधिकारियों को दंडित करने की बात कही और सदन में कहते हैं कि लाठी चार्ज हुआ नहीं। वही हालत हमारे स्वास्थ्य

[श्री राम आसरे वर्मा]

मन्त्री जी की है। उन छात्रों को शुरू से लेकर अब तक बहकावे में डाले रहे, उनकी हर मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की बात कहते रहे, बल्कि यहां तक कहा कि मांगें पूरी होंगी। साथ ही 30 तारीख की घटना है, जिस दिन स्वास्थ्य मन्त्री ने उन छात्रों को सरकार का निर्णय सुनाने के लिए अपने घर में बुलाया। छात्र दोपहर से लेकर शाम तक स्वास्थ्य मन्त्री जी की तलाश में भटकते रहे। शाम कों जब घर पहुंचे, स्वास्थ्य मन्त्री जी से उनकी भेंट हुई। उन्होंने उनका स्वागत किया, बिठाया। वे लोग भी बेताब थे निर्णय सुनने को। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि लाठीधारी पुलिस वहां पहुंचती है और उन छात्रों को हिरासत में ले लिया जाता है उन्हें जेल भेज दिया जाता है। यह राजनीतिक मर्यादा है जनता पार्टी की सरकार के मन्त्रियों की। मैं समझता हूं कि जिस आदमी के अन्दर राजनीतिक मर्यादा नाम की चीज होगी वह कभी इस बात को पसन्द नहीं करेगा ।

मान्यवर, यह विधेयक आया एक कदम बढ़ा। लेकिन यह विधेयक यदि उन संघर्षशील छात्रों को सन्तुष्ट कर सका होता तो आज यह जरूरत नहीं थी कि विभिन्न जिलों के छात्र अपने घर छोड़े हुए असेम्बली के सामने या लखनऊ की सड़कों पर अपने संघर्ष के उस सिलसिले को जारी रखे होते। आज हम देख रहे हैं कि करीब 84 विद्यार्थी फिर बन्द कर दिए गए हैं और रोज गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। दूर-दूर की जेलों में उन्हें भेजा जा रहा है जहां उन्हें तरह-तरह की यातनायें देने का प्रयास किया जा रहा है। आज हरदोई और रायबरेली की जेलों में छात्रों ने अनिश्चित कालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है और उन्होंने अपना यह संकल्प जाहिर किया है कि जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जातीं उस समय तक वह अपना अनशन खत्म करने के लिए तैयार नहीं हैं। रायबरेली के अन्दर रामकृष्ण त्रिपाठी नामक छात्र 31 अगस्त से भूख हड़ताल पर है। उसकी हालत चिन्ताजनक है, लेकिन आज तक इस सरकार को उस छात्र की जिन्दगी की बिल्कुल फिक्र नहीं है और वह मौत के कगार पर पहुंच गया है। फिर उन्होंने जो अपनी मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि जब हमारी तमाम मांगों को मानते हुए आप विधेयक ला रहे हैं तो दो छोटी-छोटी मांगें, जिनके औचित्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, वह भी मान लीजिए। एक मांग है कि प्रवेश के लिए इन्टरमीडिएट साइन्स की योग्यता तय की जाय। दूसरे, बोर्ड को भंग किया जाता है, विश्वविद्यालय से छात्रों को सम्बद्ध किया जाता है। इसके बीच की कड़ी के रूप में एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) की नियुक्ति की जाय। सरकार इन दो बातों को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके वैज्ञानिक पहलू को सरकार नजरअन्दाज कर रही है।

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन : पीठासीन हुए।)

मान्यवर, यह कहते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जो विधेयक सदन के सामने पेश किया गया है, यह विधेयक अधूरा है और जन विरोधी है। छात्रों की आवश्यकता इससे पूरी नहीं होती है। अगर छात्र सन्तुष्ट हो गए होते, उनका संघर्ष पूरा हो गया होता, जिन छात्रों ने जनता पार्टी को इस कुर्सी पर पहुंचाया, आपकी सरकार बनाने में अपना खून पसीना बहाया, आज उन छात्रों को देख कर हर आदमी को तरस आता है। वही छात्र जो होम्योपैथिक छात्र हैं, वही दावा करते हैं अपनी मांगों को पूरा होने तक संघर्ष करते रहने का। आजमगढ़ में जिस समय हमारे मुख्य मन्त्री जी पार्लियामेन्ट का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय छात्रों के सिर फोड़े गए थे, उन्हीं के लिए।

आप ध्यान देते कि उनकी मांगें क्या हैं ? आप ध्यान देते कि उनका भविष्य उज्जवल हो, भविष्य की गारन्टी हो।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया अपना भाषण अब समाप्त करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, जो मैंने प्रस्ताव किया है उस प्रस्ताव को फिर दोहराऊंगा कि उसे संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री कल्याण सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, भले ही चाहें उनकी भाषा में आक्रोष रहा हो, लेकिन फिर भी मैं उनकी भावनाओं का स्वागत करता हूं। जो उन्होंने कहा है कि होम्योपैथिक की उपेक्षा की गयी है, मैं उनकी बातों को शत-प्रतिशत मानता हूं। पिछली सरकार ने 15 सालों में कुछ भी नहीं किया। यह शासन पिछल 3-4 महीने से आया है, इसने क्या किया है, इसके ऊपर संक्षेप में कहना चाहूंगा ताकि सदन को तथा सदन के माध्यम से होम्योपैथिक छात्रों को ज्ञात हो जाय कि होम्योपैथिक के लिए यह सरकार कितनी सजग है। होम्योपैथिक छात्रों के लिए क्या-क्या होना चाहिए इस सम्बन्ध में बड़ा प्यार विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों में उमड़ पड़ा है। हमने जो मांगें स्वीकार की हैं, वह मैं आपके सामने रखे दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है ...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्री कल्याण सिंह--

जरा तसल्ली से सुनिए। यह बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि होम्योपैथिक निदेशालय की स्थापना की जाय। मैं सदन को इस बात की सूचना दे रहा हूं कि होम्योपैथिक निदेशालय खोले जाने की बात को इस सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह भी पहली बार है कि होम्योपैथिक के छात्रों ने इतना बड़ा संघर्ष किया है।

श्री कल्याण सिंह--

जो होम्योपैथिक कालेजेज हैं उनके प्रान्तीयकरण की भी मांग थी...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग यह व्यवधान मत डालिए, कृपया शांति के साथ सुनिए।

श्री कल्याण सिंह--

वर्तमान सीमित संसाधनों में उनका प्रान्तीयकरण किया जाना सम्भव नहीं है, लेकिन शासन ने यह कमिट किया है कि छठी पंचवर्षीय योजना में उनका प्रान्तीयकरण कर दिया जायगा, जोकि अब तक 15 सालों में नहीं हो पाया था। इसी को बदलने के लिए क्या उनकी आवश्यकतायें हैं, क्या-क्या कदम उठाए जायं, एक समिति गठित करदी गयी है जिसमें फाइनेन्स डिपार्टमेंट के, ला डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, होम्योपैथिक के ऐडवाइजर उसके सदस्य रहेंगे। डिप्टी डाइरेक्टर भी इसके सदस्य होंगे। एक स्थान अभी खाली है होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स के लिए। वह इस बात की रूपरेखा तैयार करके देगा कि प्रान्तीयकरण के लिए कौन-कौन चीजें आवश्यक हैं और कैसे पूरी की जा सकती हैं।

मान्यवर, एक मांग चल रही थी कि जो होम्योपैथिक कालेजेज में 2-3 शिफ्ट्स चलती हैं, वह नहीं चलनी चाहिए। इससे रेगुलर स्टूडेन्ट्स को व्यवधान होता था। शासन ने इस पर विचार किया और शासन इस बात से सहमत है कि वास्तव में जो रेगुलर स्टूडेन्ट्स हैं केवल उनको ही अनुमति होगी और वह पढ़ेंगे। वह व्यवस्था अगले वर्षों से होगी। जो पिछली अवधि में दाखिल हो चुके हैं, सेकेन्ड या थर्ड ईयर में हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। जो नए दाखिले हैं उन पर ही यह नियम लागू होगा। अब किसी भी होम्योपैथिक कालेज में एक से अधिक शिफ्ट नहीं चलायी जायगी।

मान्यवर, छात्रों की मांग थी कि हम बोर्ड से परीक्षा नहीं देंगे। वर्तमान जो विधेयक है, सदन के विचारार्थ पारित करने के लिए है, इसमें इसकी व्यवस्था की गई है। कानपुर और आगरा विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया है कि वह डिप्लोमा की परीक्षा ले सकेंगे। मैं इस बात की सूचना देना चाहता हूं कि उनकी परीक्षायें हम कानपुर विश्व-विद्यालय से ही कराने जा रहे हैं। इसकी सारी औपचारिकतायें पूर्ण की जा रही हैं। यह मांग बहुत दिनों से चल रही है जिसको पूरा किया जा रहा है।

मान्यवर, इसी तरह से डिग्री कोर्स की इन्टर्नशिप का प्रश्न था। डिग्री कोर्स करने के पश्चात् इन्टर्नशिप की व्यवस्था नहीं थी। शासन ने फैसला लिया है कि जो डिग्री कोर्स पास हो जायेंगे उनको इन्टर्नशिप दी जायगी। उसके लिए बजट में प्राविधान कर दिया गया है।

एक मांग थी कि बोर्ड को भंग कर दिया जाय। इस विधेयक में इसकी व्यवस्था है। यह बोर्ड भंग कर दिया गया है और उसके पिछले कार्य-कलापों की जांच करने के लिए एक समिति गठित कर दी गई है जो भ्रष्टाचार या अनियमिततायें हुई होंगीं उसकी यह समिति जांच करेगी और रिपोर्ट शासन को देगी। एक कन्ट्रोलर भी नियुक्त कर दिया गया है। इसी के साथ-साथ जो नेशनल होम्योपैथिक कालेज के प्रिंसिपल हैं वह भी इसके सदस्य रहेंगे। कानपुर तथा आगरा यूनीवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी इसके सदस्य रहेंगे। इसमें दो जगहें खाली हैं जिन पर एक्सपर्ट्स को रखना चाहते हैं ताकि इन चीजों की छानबीन करके वह रिपोर्ट दे सकें।

मान्यवर, कालेज के अन्दर प्रवेश सीमित करने के लिए एक मांग चल रही थी। हम भी महसूस करते हैं जो दाखिले होते थे वह इस हिसाब से होते थे कि एक-एक बेड पर 5-6 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। उनके प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा नहीं उठ पा रहा था।

शासन ने फैसला किया है कि 1 बेड पर 2 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाय। शैय्या और छात्र का अनुपात 1 और 2 कर दिया गया है। ताकि उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जा सके।

एक प्रश्न और उठाया गया, डिप्लोमा के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में। न्यूनतम योग्यता इन्टरमीडिएट साइन्स विद बायलोजी रखने की मांग चली आ रही है। शासन इस मांग से सिद्धान्ततः सहमत है। चूंकि यह प्रश्न केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के विचाराधीन है इसलिए जब उनका फैसला आ जायगा तो वह हमें स्वीकार करना है, हमें वह मान्य होगा। उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी संस्तुति लिखकर भेजी है कि डिप्लोमा के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इन्टरमीडिएट साइन्स विद बायलोजी रखी जाय। अनुस्मारक के रूप में एक टेलीग्राम दे दिया गया है कि तुरन्त फैसला किया जाय। चूंकि केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् के यह विचाराधीन है उनका फैसला जब हो जायगा तब हमें इस मसले में कोई दिक्कत नहीं होगी।

मान्यवर, शासन यह महसूस करता है और माननीय सदस्य के एक सुझाव से मैं सहमत हूं कि वास्तव में अपने प्रदेश और देश के अन्दर जितने पैथीज चलते हैं उनमें होम्योपैथिक आम जनता के लिए सस्ती पड़ती है और उसका उपयोग किया जा सकता है। इसीलिए होम्योपैथिक के विकास के लिए शासन सचेष्ट है और यह कदम उठाए जा रहे हैं।

मान्यवर, एक काम और विचाराधीन है। हम चाहते हैं कि अपने प्रदेश के अन्दर होम्योपैथिक का एक शोध संस्थान भी स्थापित किया जाय। उसके लिए जो प्रारम्भिक आवश्यकतायें हैं उन पर विचार करने के लिए एक कमेटी बना दी गयी है जिसके अध्यक्ष होम्योपैथिक के जो कार्यवाहक निदेशक हैं वह सदस्य यह हैं--डा0 के0 पी0 मजूमदार, निदेशक नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ होम्योपैथिक, कलकत्ता के हैं, डा0 दीवान हरिश्चन्द्र केन्द्रीय शोध परिषद् होम्योपैथिक, दिल्ली के हैं, डा0 एस0 पी0 आर्य, सहायक निदेशक, सेन्ट्रल काउन्सिल आफ रिसर्च इन इन्डियन मेडिसिन एन्ड होम्योपैथिक के हैं और एक पोस्ट खाली है जिस पर इक्सपर्ट को रखेंगे। हमने केन्द्र से अनुरोध किया है कि जब तक शोध संस्थान स्थापित नहीं होता है जब तक हम प्रदेश की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते है। इसलिए केन्द्र के पास जब हमारी समिति की जो रिपोर्ट होगी वह जाएगी तो उस पर केन्द्र सरकार विचार करेगी और हमको कुछ उससे आर्थिक सहायता मिलेगी। यह हमारी संक्षेप में मांगें है।

मान्यवर, इसके बावजूद कहना कि यह शासन कुछ नहीं करना चाह रहा है यह सत्य से परे की बात होगी। शासन ने यह सब काम इतने कम समय में किए हैं और अभी काफी काम करना है। अभी तक होम्योपैथिक में काम करने वाले अध्यापक और प्रिंसिपल हैं जिनके सर्विस रूल्स का कुछ पता नहीं। मान्यवर, हमने फैसला किया है कि इन सब की सेवा नियमावली तुरन्त बनवायेंगे और उसके लिए जो समिति बनी है उसको भी वह मामला रेफर कर दिया गया है कि सर्विस रूल्स जल्दी से जल्दी बना दिए जायं।

मान्यवर, हम चाहते हैं कि होम्योपैथिक का विकास हो। हम चाहते हैं कि होम्योपैथिक के माध्यम से जनता की सेवा हो। इसीलिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से 2-3 चीजों को पूरा करने के लिये यह अध्यादेश आया है। एक तो बोर्ड को भंग

[श्री कल्याण सिंह]

करने का प्रस्ताव है। दूसरे कानपुर और आगरा यूनिवर्सिटी को अधिकार दे दिया गया है कि डिप्लोमा में भी वह परीक्षा लें इसीलिए यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है। मैं आशा करता हूं कि सदन इस विधेयक को जरूर पारित करेगा।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि होम्योपैथिक छात्रों के आन्दोलन के सिलसिले में काफी छात्र गिरफ्तार हैं और इसलिए उनके अध्ययन करने में बाधा पड़ रही है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के सन्दर्भ में जो आश्वासन उन्होंने दिए हैं तो उनको देखते हुए छात्रों को बिना शर्त रिहा करने की कृपा करेंगे ?

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, इस विधेयक से तो इस स्पष्टीकरण का सम्बन्ध नहीं है। इसका प्रशासन से सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष—

क्या श्री सुन्दर लाल दीक्षित अपना संशोधन वापस लेंगे ?

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मैं वापस नहीं लूंगा चूंकि यह विधेयक जनविरोधी है।

श्री अध्यक्ष—

श्री राम आसरे, क्या आप अपना संशोधन वापस लेंगे ?

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जिस तरह होम्योपैथिक की दवायें मीठी-मीठी होती हैं उसी तरह माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने मीठी-मीठी बातें कह दीं। लेकिन विद्यार्थियों का व्यवहार बहुत कड़ुवा है। छात्र जेलों के अन्दर चीख रहे हैं। जेलों के अन्दर उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जैसा देव कुमार जी ने सवाल किया था, उसमें स्वास्थ्य मन्त्री जी मुकर गए। इसलिए उसकी सफाई सदन में हुए बिना यह कहना कि प्रस्ताव मैं वापस लेता हूं, यह न्यायसंगत और उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसको विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो पन्द्रह दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

हम लोगों का संशोधन नहीं मान रहे हैं और इस तरह से उनकी जो जन विरोधी नीति है उसके विरुद्ध मैं बहिर्गमन करता हूं। मैं लोक नायक जय प्रकाश जी की कसम खाता हूं कि गलत बात नहीं चलने दे सकता। लोक नायक जय प्रकाश नारायण जिन्दाबाद....

श्री अध्यक्ष—

मार्शल इनको बाहर निकालें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

तानाशाही नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं सुन्दर लाल जी को इंगित करता हूं।

मुख्य मन्त्री (श्री रामनरेश यादव)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन्हें निलम्बित किया जाय करीब सात दिन के लिए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री सुन्दर लाल दीक्षित जी को निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(मार्शल द्वारा श्री सुन्दर लाल दीक्षित को सदन के बाहर ले जाया गया।)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, कितने दिन के लिए।

श्री अध्यक्ष—

नियमावली के अन्दर सबसे पहला निलम्बन 3 दिन के लिए होता है। तीन दिन के लिए निलम्बित किया गया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

तीन दिन की छुट्टियां हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह आगे तक जारी होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 12

अध्याय—दो

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (खख) निकाल दिया जायगा।

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 8, 1952 की धारा 2 का संशोधन

धारा 41 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 41 में, खण्ड (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जायेंगे, अर्थात् :

"(1) सम्बद्धता के प्रयोजनार्थ होम्योपैथिक शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना और ऐसी मान्यता का निलम्बित करना या वापस लेना ;

(2) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं में होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान की ऐसी शाखाओं में जिन्हें बोर्ड उचित समझे, सामान्य शिक्षण या विशेष या प्रबोधन पाठ्यक्रम के लिए विषयों की पढ़ाई और पाठ्यक्रम निर्धारित करना ;

(3) परीक्षायें लेना, और उन व्यक्तियों को, जिन्होंने बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं में पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक अध्ययन किया हो, डिप्लोमा प्रदान करना ;

(3-क) बोर्ड से सम्बद्ध संस्थाओं द्वारा निवासस्थान तथा अनुशासन के सम्बन्ध में किए गए प्रबन्धों का सामान्य पर्यवेक्षण करना और उनके विद्यार्थियों के स्वास्थ्य तथा सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए प्रबन्ध करना।"

धारा 41-क, 41-ख और 41-ग का निकाला जाना

4—मूल अधिनियम की धाराएं 41-क, 41-ख और 41-ग निकाल दी जायेंगी।

धारा 53 का प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

बोर्ड के प्रशासन की अल्पकालिक व्यवस्था

"53—(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ होने की तारीख से बोर्ड के सभी मेम्बर जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी सम्मिलित है, अपना ऐसा पद रिक्त कर देंगे, और उक्त तारीख से दो वर्ष की अवधि तक ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार समय-समय पर इस निमित्त नियन्त्रक नियुक्त करे, यथाशक्य बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा और उसे सभी प्रयोजनों के लिए बोर्ड समझा जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उक्त अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(2) राज्य सरकार परीक्षायें लेने और परीक्षकों की नियुक्ति करने और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करने में, जो अधिसूचित किये जायें, नियंत्रक को सहायता देने के लिए परीक्षा समिति नियुक्त कर सकती है।"

नई धारा 53-ख का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 53-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"53-ख—(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित विश्वविद्यालय अर्थात् आगरा विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय में से किसी को होम्योपैथी में परीक्षा लेने और डिप्लोमा प्रदान करने का प्राधिकार दे सकती है।

राज्य सरकार की अतिरिक्त शक्तियां

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे विश्वविद्यालय को बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों में परीक्षा लेने का कृत्य, ऐसी तारीख से, जैसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, अपने हाथ में लेने का प्राधिकार दे सकती है और तदुपरान्त इस निमित्त बोर्ड की शक्तियां और कृत्य समाप्त हो जायेंगे।

(3) राज्य सरकार, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को प्रभावी बनाने के लिए अधिसूचित आदेश द्वारा इस अधिनियम में ऐसे अनुकूलन कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे।"

धारा 55 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक निकाल दिया जायगा।

धारा 56 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 56 में, उपधारा (2) में, खण्ड (थथ) निकाल दिया जायगा।

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का संशोधन

राष्ट्रपति अधिनियम सं० 10, 1973 की धारा 5 का संशोधन

9—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश की होम्योपैथिक शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थायें आगरा विश्वविद्यालय या कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध की जा सकती हैं।"

नई धारा 7-क का बढ़ाया जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :—

"7-क—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार दिए जाने पर यथास्थिति आगरा विश्वविद्यालय या कानपुर विश्वविद्यालय—

कुछ विश्वविद्यालय की अतिरिक्त शक्तियां और कर्तव्य

(क) होम्योपैथिक में परीक्षाएं लेगा और डिप्लोमा प्रदान करेगा,

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन गठित होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा लेने और डिप्लोमा प्रदान करने

का कार्य करेगा और उक्त परीक्षाओं को लेने और डिप्लोमा प्रदान करने के निदेश में उक्त अधिनियम के अधीन गठित ऐसे बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा।"

अध्याय—चार

संक्रमणकालीन उपबन्ध

संकाय फण्ड का होम्यो-पैथिक फण्ड में अन्तरण

11—इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से उत्तर प्रदेश होम्यो-पैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 की धारा 41-क की उपधारा (5) के अधीन, जैसी की वह धारा 4 द्वारा निरसित किए जाने के पूर्व थी, स्थापित संकाय फण्ड में जमा धनराशि उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन स्थापित होम्योपैथिक फण्ड में अन्तरित हो जाएगी।

अध्याय—पांच

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

उ0प्र0 अध्यादेश सं0 14, 1977

12—(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियमों के तत्सम उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त था।

श्री अध्यक्ष—

खंडों में कोई संशोधन नहीं आया है इसलिए मैं सभी खंडों को एक साथ ले रहा हूं।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से लेकर 12 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन अधिनियम, 1951 में अग्रतर संशोधन और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में परिणामिक संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अधिनियम, 1977 कहा जायगा।

(2) यह 8 अगस्त, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना और शीर्ष क इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कल्याण सिंह——

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

श्री देव कुमार——

मान्यवर, अभी जो घटना सदन में घटी मैंने एक सवाल किया था माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से छात्रों की रिहाई के सम्बन्ध में। इस तरफ के या उस तरफ के लोग इस सम्बन्ध में कुछ कहें या न कहें लेकिन सब चिन्तित हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में सौभाग्य से मौजूद हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि उन छात्रों को रिहा करने के सम्बन्ध में शासन की क्या नीति है ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)——

अध्यक्ष महोदय, छात्रों के सम्बन्ध में ही नहीं बल्कि जो लोग भी जेल में हैं उनकी रिहाई के सिलसिले में शासन विचार कर रहा है।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 1977 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष——

नियम 51 के अधीन जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उन में से श्री राजेन्द्र कुमार और श्री श्रीनारायण की सूचना को स्वीकार किया है। यह है "दिनांक 7 सितम्बर, 1977 को हरित इंडिया प्रा0 लि0 के प्रबन्धकों एवं प्रदर्शनकर्ता मजदूरों के संघर्ष में दो व्यक्तियों के मरने एवं 55 व्यक्तियों के घायल होने से और पुलिस की अव्यवस्था के कारण असन्तोष।"

माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में आप वक्तव्य कब देंगे ? मैंने कहा था कि यदि सूचना मिल सके तो अभी देना उचित होगा।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)——

अध्यक्ष महोदय, विस्तृत सूचना नहीं मिल सकी है। विस्तृत सूचना मिलने के तीन दिन के बाद में सदन को सूचित कर दूंगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)——

सुबह इस में चर्चा हुई थी और यह हुआ था कि जितनी भी सम्बन्धित मालूमात शासन को इस सिलसिले में हो जाय, हमें बता दें। तीन दिन के लिए सदन स्थगित हो रहा है इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय में हम लोगों को बता दिया जाय। अच्छी बात होगी दो एक चीज बाकी रह जायं तो बाद में बता दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जी कृपया आप इस पर अन्तरिम सूचना दे सकेंगे।

श्री राम नरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, सदन को मैं समझता हूं जैसा मिश्रा जी ने कहा विशेष सूचना तो मैं बाद में दे सकूंगा। इस समय इतनी ही सूचना के आधार पर बताना चाहता हूं जो वहां के वर्कर थे उनका आठ दिन का वेतन बाकी था। सात मजदूरों के खिलाफ हिंसा के सिलसिले में मालिकों ने कार्यवाही की और इस बात को लेकर वहां टेन्शन बढ़ा और टेन्शन को लेकर ही वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से जो व्यवस्था की गयी उससे कुछ लोगों को चोटें आयीं और इस पर घटनास्थल पर एस0 पी0 और जिलाधिकारी पहुंच गए। पहुंचने के बाद स्थिति कन्ट्रोल में हो गयी और धारा 144 लागू कर दी गयी। विस्तृत वक्तव्य में तीन दिन के बाद दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

अब इस पर प्रश्न नहीं हो सकते। यह कहा गया है कि वह 12 तारीख को वक्तव्य देंगे।

श्री श्याम धर मिश्र—

उन से पूछ सकते हैं शायद बता सकेंगे ....

श्री अध्यक्ष—

जब मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि तीन दिन के बाद वक्तव्य दूंगा तो वक्तव्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने का आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी लखनऊ की जो परिस्थिति है शिया और सुन्नी की उस सम्बन्ध में ही कुछ बता दें।

श्री अध्यक्ष—

यह बाद में। दूसरा प्रश्न ले लिया जाय।

शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के अशासकीय जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के समर्थन में प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरन)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की प्रमुख मांग यह है कि जब किसी अशासकीय जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल की मान्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा दी जाय तो जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक को उच्चीकृत हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर यदि वह निर्धारित अर्हतायें रखता हो पदोन्नति देने की व्यवस्था की जाय। साथ ही हाई स्कूल की मान्यता मिलने पर जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को भी पदोन्नति देने की व्यवस्था की जाय।

2—इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सुयोग्य अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों व प्रधानाचार्यों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए स्वतन्त्र चयन समितियों का गठन इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16-ङ तथा 16-च का संशोधन

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा करके किया गया। इस प्रकार की चयन समिति में पांच सदस्य रखे गए जिनमें दो संस्थाओं के और 3 बाहरी व्यक्ति विशेषज्ञ के रूप में रखे गए। यह भी प्राविधान किया गया कि अध्यापक, प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के रूप में किसी अभ्यर्थी का चयन तभी मान्य होगा जबकि कम से कम 2 विशेषज्ञ उसके चयन के पक्ष में सहमत हों। चयन की नवीन प्रक्रिया शासन द्वारा 7 जुलाई, 1976 के अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई। इस नवीन प्रक्रिया के अन्तर्गत हाई स्कूलों तथा इन्टर कालेजों के अध्यापकों के 40 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने और शेष पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गई। प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाचार्य के पद केवल सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गई। बाद में 9 दिसम्बर, 1976 की अधिसूचना द्वारा यह अपवाद किया गया कि यदि कोई हाई स्कूल मान्यता प्राप्त करके इन्टर कालेज हो जाय तो उस हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक को यदि वह निर्धारित योग्यता रखता हो और उसका सेवा अभिलेख अच्छा हो तो उसे स्वीकृत इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नति दी जाय। अन्य दशाओं में प्रधानाचार्य का पद सीधी भर्ती द्वारा ही भरा जाय।

3—सीधी भर्ती द्वारा अध्यापकों व प्रधानों के पद की भर्ती के हेतु मेरिट के आधार पर चयन कराये जाने की व्यवस्था विनियमों द्वारा की गई। इस हेतु पदों का विज्ञापन संस्थाओं द्वारा करने और अभ्यर्थियों द्वारा सम्बन्धित पद हेतु आवेदन-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक/मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका के कार्यालय में दिए जानें का प्राविधान किया गया। मेरिट का आधार अभ्यर्थियों की योग्यताओं, अनुभव एवं अन्य क्रिया-कलापों के लिए निर्धारित मामलों के अनुसार प्रदत्त गुण अंक रखा गया। साधारणतया एक पद हेतु प्रदत्त गुण अंकों के अनुसार प्रथम 7 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाने और उनमें से चयन करने की व्यवस्था की गई। निर्धारित मानकों के अनुसार गुणअंक निरीक्षक के कार्यालय में प्रदान करने की व्यवस्था की गई। साक्षात्कार हेतु तिथि व स्थान निरीक्षक द्वारा निर्धारित होते हैं और जिला निदेशक द्वारा बनायी गयी सूची से विशेषज्ञ साक्षात्कार के समय भेजे जाते हैं। जो अभ्यर्थी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है उसी का चयन किया जाता है।

4—इस पैरा में उल्लिखित प्रक्रिया से स्पष्ट है कि संस्था के प्रधानों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक को उच्चीकृत इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति देने की व्यवस्था इस कारण चली आ रही है कि हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर चयन पहले भी इस हेतु गठित एक चयन समिति द्वारा किया जाता था जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से भेजा गया एक बाहरी विशेषज्ञ रहता था। प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य की अर्हताएं एक ही हैं और यदि कोई व्यक्ति हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक विधिवत् चुनकर नियुक्त किया गया हो तो उसे उच्चीकृत इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति देने में कोई पक्षपात की बात नहीं है वरन् उसका पूर्ण औचित्य है। किन्तु जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को उच्चीकृत हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति इसलिए देना उचित नहीं समझा गया कि इसकी कोई व्यवस्था न तो पहले से ही थी और न ही जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का चयन किसी विधिवत् गठित चयन समिति द्वारा होता है और न उनका अनुमोदन जिला

[श्री काली चरन]

विद्यालय निरीक्षक व बेसिक शिक्षा अधिकारी से लिए जाने की व्यवस्था है। स्पष्ट है कि जूनियर हाई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्राय : मेरिट के आधार पर नहीं होती है। अत : प्रधानाध्यापकों को उच्चीकृत हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति देना उचित नहीं प्रतीत होता है। यह प्रधानाध्यापक हाई स्कूल व इन्टर कालेजों के प्रधान पद हेतु सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं और विनियमों में यह प्राविधान भी किया गया है कि इनके प्रार्थना-पत्र संस्थाधिकारियों द्वारा अग्रसारित कर दिए जायं।

5—जहां तक जूनियर हाई स्कूल के हाई स्कूल की मान्यता मिलने पर उसके अध्यापकों को पदोन्नति देने का प्रश्न है। यह प्राविधान विनियमों में किया गया है कि जो अध्यापक निर्धारित अर्हतायें रखता हो उसे उच्चीकृत हाई स्कूल का अध्यापक नियुक्ति किया गया समझा जाएगा। जो अस्थायी अध्यापक थे उन्हें नवीन प्रक्रिया के अनुसार चयन द्वारा आना होगा। हाई स्कूल के अध्यापक बन जाने पर जो नियम पदोन्नति के सम्बन्ध में हाई स्कूल के अध्यापकों पर लागू हैं वे उन पर भी स्वत : लागू हो जायेंगे।

6—अपनी मांगों के सम्बन्ध में उपरोक्त संघ के लोगों ने जो प्रदर्शन किया उसके सम्बन्ध में स्थिति यह है कि अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को अमीनुदौला पार्क में, बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। परन्तु यह लोग जी0 पी0 ओ0 पार्क तक चले गए। वहां तक जाने की इन अध्यापकों ने कोई अनुमति नहीं ली थी। ये लोग मुझसे मिलना चाहते थे। चार अध्यापक मुझसे मिलने आए। मैंने उन्हें यह समझाया कि उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही की जा रही है। इसके उपरान्त भी वे जलूस बनाकर पुन : मुझसे तथा मुख्य मन्त्री जी से मिलना चाहते थे। इस जलूस की उन्हें कोई अनुमति नहीं दी गई। पुलिस ने इन अध्यापकों को यह परामर्श दिया कि वे तितर-बितर होकर अपने स्थानों को चले जायें परन्तु उन्होंने इस बात को नहीं माना और पुलिस घेरे को तोड़कर सड़क पर आने लगे। कोई अन्य विकल्प न देखकर 191 अध्यापकों को बन्दी बनाकर थाने ले गए परन्तु उनके शान्त हो जाने पर उसी रात उनको छोड़ दिया गया।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य मन्त्री जी ने दिया उस पर कुछ प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, ऊदल जी का प्रश्न है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि अर्ध शासकीय जूनियर हाई स्कूल जो हाई स्कूल में परिवर्तित होते हैं उसमें यदि वह प्रधानाध्यापक और अध्यापक योग्यता रखते हैं उनको पदोन्नति देने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री कालीचरन—

श्रीमन्, मैंने पहले ही अपने इस बयान में बताया कि हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक की भर्ती सीधे होती है उसमें कहीं प्रोन्नति का प्राविधान नियम में नहीं है। इसलिए इस प्रश्न पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री ऊदल---

श्रीमन्, अपने वक्तव्य के प्रथम पृष्ठ में मंत्री जी ने कहा कि---इस नवीन प्रक्रिया के अन्तर्गत हाई स्कूलों तथा इन्टर कालेजों के अध्यापकों के 40 प्रतिशत पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने और शेष पदों की सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गई है। यह जो व्यवस्था हाई स्कूल और इन्टर कालेज के लिए की गई है क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि इसी तरह की व्यवस्था अर्धशासकीय जूनियर हाई स्कूल जो हाई स्कूल बनाए जाते हैं, उसमें भी की जाय ?

श्री कालीचरन---

श्रीमन्, यह व्यवस्था अध्यापकों के सम्बन्ध में है कि 40 प्रतिशत पदोन्नति से और शेष सीधी भर्ती से लेकिन प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के मामले में यह व्यवस्था नहीं है। जूनियर हाई स्कूल जो हाई स्कूल होता है मैंने बताया कि उनको पदोन्नति के मामले में वही सुविधायें मिल जायेंगी जो हाई स्कूल के अन्य अध्यापकों को पदोन्नति के सम्बन्ध में मिलती है।

श्री रामजी---

मान्यवर, 5 सितम्बर के पुण्य अवसर पर जब शिक्षकों को सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाने का प्राविधान किया गया। शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उनकी पहली मांग थी कि जो हाई स्कूल इन्टरमीडिएट के रूप में परिवर्तित होता है उसके प्रधानाध्यापक को प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नति दी जाती है यही बात जूनियर हाई स्कूलों से जो हाई स्कूल के रूप में परिवर्तित होते हैं उनके लिए कर दी जाय और उनको हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक बनाया जाय यदि वह प्रधानाध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं, तो यह उनकी मांग थी जो आपात्काल से चली आ रही थी .....

श्री अध्यक्ष---

माननीय मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मागें।

श्री रामजी---

वही कह रहा हूं एक मांग तो उनकी यह थी। दूसरी मांग उनकी यह थी कि उत्तर प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के जो सी0 टी0 तथा एल0 टी0 वेतन क्रम में नियुक्त अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों को राजाज्ञा संख्या सी0 2808/15---1723-59, दिनांक 27 जुलाई, 1959 एंव राजाज्ञा संख्या 6807/15---3043/66, दिनांक 15, 1967 द्वारा यही वेतन-मान दिए जाते रहे हैं, जो इन योग्यताधारी अध्यापकों को हाई स्कूलों और इन्टरमीडिएट कालेजों में दिए जाते रहे है, किन्तु आपातकाल का दुरुपयोग करते हुए गत कांग्रेस सरकार ने इन शिक्षकों को निम्न स्तर के वेतनमान स्वीकार करके एक हास्यास्पद स्थिति पैदा कर दी है। ये ऐसी मांग रही है, जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

आप तो भाषण दे रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इस तरह नहीं, आप प्रश्न ही कर सकते थे, आप बैठिए।

श्री रामजी--

उस पर फिर उन्होंने प्रतिवेदन दिया किन्तु कोई नतीजा न निकलने पर जब प्रदर्शन किया तो उनको गिरफ्तार करके थाने में रखा गया और दूर-दूर स्थानों पर ले जाकर छोड़ दिया गया और वे बड़ी-बड़ी दूर से पैदल चलकर आए। पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। इस प्रकार की बातें किसी जनहितकारी और लोक कल्याणकारी सरकार के लिए अशोभनीय हैं। उसकी हम सब निन्दा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री देवकुमार (जिला बांदा)--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इन अध्यापकों को किस समय और किस दफा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ?

श्री कालीचरन--

श्रीमन्, इन्हें 191 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

जब इन्हें छोड़ा गया है, तो बिना शर्त छोड़ा गया या कोई मुचलका लेकर छोड़ा गया था ?

श्री कालीचरन--

जब वह लोग शान्त हो गए, उन्हें छोड़ दिया गया।

श्री रियासत हुसैन--

बिना शर्त छोड़ा गया या मचलका आदि लेकर ?

श्री कालीचरन--

श्रीमन्, बिना शर्त छोड़ा गया।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको क्या थाने से छोड़ा गया या किसी और स्थान पर ले जाकर छोड़ा गया ?

श्री कालीचरन--

स्थिति साफ है, उन्हें थाने से छोड़ दिया गया, कुछ को बाहर पहुंचा दिया गया।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, हम लोगों को स्टेटमेंट ही नहीं मिला है, जिस पर हम सवाल कर सकें।

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। बहुत से माननीय सदस्यों को दिया गया है। नहीं है, तो इनको भी दे दिया जाए। आपकी टेबुल पर होना चाहिए।

श्री ऊदल—

क्या इस बात की सरकार जांच करेगी कि अब तक, पिछल दिनों में भी जो अशासकीय बेसिक जूनियर स्कूलों को हाई स्कूल में परिवर्तित किया गया है तो उनके अध्यापकों को योग्यता रखते हुए भी प्रमोशन नहीं दिया गया है, अत : क्या वह उसकी जांच करायेंगे क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि अध्यापकों का प्रमोशन उनकी योग्यता के आधार पर हो जाता है, केवल प्रधानाचार्यों के बारे में सीधी भर्ती का नियम है । जो उसके अध्यापक हैं उनकी शिकायत है कि योग्यता रखते हुए भी, जब हाई स्कूल बन जाता है, तो उनको प्रमोशन नहीं होते है । अत : क्या मन्त्री जी इसकी छानबीन करेंगे और इस तरह की अनियमितता को दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय ऊदल जी, माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि हाई स्कूल के जो प्रधानाचार्य होते हैं उनको स्वत : पदोन्नति कर दिया जाता है, यदि वह इन्टर के लिए स्कूल हो जाता है । लेकिन जूनियर हाई स्कूल का जो प्रधानाध्याक है उसको कमेटी के सामने जाना होगा ।

श्री ऊदल—

मैं प्रधानाध्यापक को छोड़कर पूछ रहा हूं । नियमों के अनुसार जो अध्यापक योग्यता रखते हैं उनको कमेटी के सामने जाना पड़ेगा । उनको भी प्रोमोशन नहीं दिया जाता । क्या इसकी छानबीन करके इस अनियमितता को माननीय मन्त्री जी दूर करेंगे ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया । माननीय सदस्य ध्यान देंगे । 40 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा और शेष सारे सीधे भरती द्वारा किए जाते हैं । उसमें जब जूनियर हाई स्कूल हाई स्कूल हो जाता है तो जो नियम हाई स्कूल के अध्यापकों पर लागू हैं वह जूनियर हाई स्कूल चूंकि हाई स्कूल हो गया, उन अध्यापकों पर वही नियम लागू होते हैं, अगर व्यक्तिगत रूप से किसी अध्यापक का मामला हो तो वह मुझे दे दें । मैं उसकी जांच करा दूंगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

गिरफ्तारशुदा अध्यापकों की संख्या कितनी है और थाने में उन्हें कितने समय तक रखा गया ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न के लिए पृथक से आपको सूचना देना चाहिए । तब उत्तर दे पायेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

जो गैर सरकारी जूनियर हाई स्कूल हैं जब हाई स्कूल हो जाते हैं तो जूनियर हाई स्कूल को चलाने के लिए हेड मास्टर कितना प्रयास करते हैं । हम सब जानते हैं । क्या नियम ऐसा नहीं है कि उनको सीधी प्रोन्नति कर दी जाय, क्या नियम में परिवर्तन करके जो प्रधानाध्यापक आवश्यक योग्यता रखता है वह रखते हैं । उसको प्रोन्नत करने के लिए नियम में संशोधन करने का आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो सुझाव है। सुझाव पर माननीय मन्त्री से आश्वासन लेना चाहते हैं। मन्त्री जी ने सुझाव नोट कर लिया। अगर संशोधन लाना उचित समझेंगे तो लायेंगे। यह अनुपूरक प्रश्न नहीं है, सुझाव है।

श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपुर)—

अभी माननीय मन्त्री ने जवाब में कहा है कि 40 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जायगा शेष 60 प्रतिशत सीधी भरती द्वारा। प्राइवेट संस्थाएं गवर्नमेंट से एड पाती हैं। सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए 15 प्रतिशत रिजवशन किया है और हरिजनों के लिए पहले से रिजर्वेशन है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि सरकार द्वारा दी गयी संस्थायें हैं, इसी नाते आप कन्ट्रोल करने जा रहे हैं, उनके कार्यकलापों को नियंत्रित कर रहे हैं, किस तरह से भरती होगी, किस तरह से नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले बिना बताए हुए अपने आप यह संस्थायें नियुक्त कर रही थीं, लेकिन चूंकि आप एड देते हैं यह भी चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय न हो, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों के लिए जिनके लिए आरक्षण हैं जिसकी सरकार ने तत्काल घोषणा की है, क्या सीधी भरती में उस पर भी विचार करेंगे और उनको देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री काली चरन—

श्रीमन्, सरकार की यह नीति सरकारी कर्मचारियों के लिए है।

श्री शम्भूनाथ—

यह जवाब तो माननीय मन्त्री जी . . .

श्री अध्यक्ष—

जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं आप न बोलें। आप टिप्पणी न कीजिए। अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप करें अन्यथा नहीं ?

श्री रामजी—

मैं यह पूछना चाहता हूं आपातकालीन स्थिति के दौरान में सी0 टी0 और एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों को जो समान वेतन दिया जाता था उसे कम करके जो अन्याय किया गया है, क्या उसको दूर करने का प्रयास माननीय मन्त्री जी करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह इससे प्रश्न नहीं पैदा होता है। प्रश्न बहुत सीमित था। उनकी दो मांगे थीं। उनको माननीय मन्त्री जी ने बता दिया। अगर आप यह उठाते हैं तो प्रश्न कीजिए।

श्री रामजी—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा था कि . . . .

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 में जो प्रश्न है वह इसमें नहीं आता है।

गोरखपुर वन प्रभाग की नीलामी के विषय में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष—

नियम 49 के अनुसार श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का जंगलों के बारे में आधे घन्टे की चर्चा है। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, मैंने गोरखपुर वन प्रभाग की नीलामी के विषय में दिनांक 30 अगस्त, 1977 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 8 (नत्थी क) के सम्बन्ध में सूचना दी थी। जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका जो उत्तर प्राप्त हुआ था वह अपेक्षित नहीं था। उसके सम्बन्ध में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। गोरखपुर वन खंड में एक इश्तहार जारी किया कि 12 अगस्त तक नीलामी की जावेगी। जब नीलामी की तारीख निकट आयी तो दूसरी सूचना निकाल दी गयी कि नीलामी की तारीख स्थगित कर दी गयी है। इससे लोगों के मन में काफी असन्तोष है और इसीलिए मैंने इस प्रश्न को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को भी थी। अधिकारी ठेकेदारों से कहते हैं कि वह रेलवे को सप्लाई करने के लिए स्लीपर दें परन्तु उनकी कीमत ठेकेदारों को बाजार में अधिक मिलती है। इसलिए वह सप्लाई नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में एक मूल्यांकन समिति बनी हुई है। जब ठेकेदार सप्लाई नहीं करते हैं तो उन पर कर दिया जाता है। तो मैं मान्यवर, यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि अगर रेलवे मन्त्रालय की कृषि मूल्यांकन समिति ने स्लीपरों के दाम नहीं तय किए थे और उसको अपना कर जब प्रदेश के वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मूल्य एसर्टेन करके तब उन्होंने नीलामी की बात की।

दूसरा सवाल यह है मान्यवर, मुझे इस बात की आशंका है कि उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों को जो बड़े-बड़े कन्ट्रेक्टर्स हैं वह यह चाहते थे कि सौदा अपने ढंग से पटायें लेकिन चूंकि सौदा नहीं पट सका इसलिए जान बूझ कर उन्होंने नीलामी के इसी रेट को लिया तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है या सरकार को मालूम था कि रेल मन्त्रालय स्लीपरों को खरीद कर जैसा कि वह करती रही है, क्या यह जरूरी था कि वह रेल मन्त्रालय से परामर्श करे। यदि ऐसा है तो 12 अगस्त को नीलामी क्यों की गई ?

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द्र)—

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में दिनांक 30 अगस्त, 1977 को माननीय सदस्य श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के प्रश्न संख्या 8 के उत्तर एवं अनुपूरक प्रश्नोत्तरों से उत्पन्न भ्रान्तियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने चर्चा हेतु जो प्रश्न उठाए हैं उनके सन्दर्भ में सर्वप्रथम वन विभाग द्वारा लाटों के नीलाम के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। लाटों के नीलाम से पूर्व बिक्री की सब शर्तें निश्चित कर दी जाती हैं और इन्हें नीलाम के दिन बोली शुरू होने से पहले पढ़ कर सुनाया भी जाता है। साल, चीड़, देवदार आदि की लाटों के बिक्री नियम में अन्य शर्तों के साथ एक शर्त यह भी रहती है कि अमुक लाट के अमुक मात्रा में ठेकेदार रेलवे को एक निश्चित मूल्य पर स्लीपर की सप्लाई करने को बाध्य होगा। रेलवे को स्लीपरों की सप्लाई एक राष्ट्रीय महत्व का विषय

[श्री श्रीचन्द्र]

है और हमेशा से यह प्रथा रही है कि रेलवे की मांग के अनुसार विभाग उनको स्लीपर सप्लाई करने का पूरा प्रयास करता है ।

रेलवे को स्लीपरों की सप्लाई किस मूल्य पर की जाएगी यह भारत सरकार की एक उप समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस उप समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार के कृषि मन्त्री होते हैं और इसमें रेलवे तथा प्रदेश वन विभाग के प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं। इस उप समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही लाटों में नीलाम के पहले स्लीपर लोड किए जाते हैं। 1977-78 के लिए स्लीपरों के मूल्य का निर्धारण भारत सरकार की उक्त उप समिति द्वारा पूर्व निर्धारित नीलाम की तिथि से पहले नहीं किया जा सका, बावजूद मुख्य अरण्यपाल द्वारा बराबर बल दिए जाने के। इस उप समिति की बैठक 1 सितम्बर, 1977 को ही निश्चित की जा सकी। स्लीपरों के मूल्य का निर्धारण न होने से लाटों के नीलाम से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण बिक्री की शर्त निश्चित न हो सकी। अतएव नीलाम सम्भव न था और उसे स्थगित करना पड़ा।

यहां मैं यह भी स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूं कि 31 मार्च, 1977 तक की अवधि के लिए भारत सरकार की उक्त उप समिति द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया गया था, वह गत दो वर्षों से चल रहा था। मूल्यों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप प्रदेश के राजस्व को हानि पहुंचती जो मौजूदा विषय आर्थिक स्थिति में किसी प्रकार से भी वहन नहीं की जा सकती थी। मुख्य कारण नीलामों को स्थगित करने का यही था।

भारत सरकार की उक्त उप समिति की बैठक दिनांक 1 सितम्बर, 1977 को हो गई और उसमें लिए गए निर्णय के अनुसार ट्रैक स्लीपरों के मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि तथा स्पेशल मूल्य में 33 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। यह वृद्धि 31 मार्च, 1977 तक की अवधि के लिए प्रभावी मूल्य पर की गयी है। फलस्वरूप अब गोरखपुर वन प्रभाग के वार्षिक नीलाम की तिथि 19 से 24 तथा 26 सितम्बर, 1977 अन्तिम रूप से निश्चित कर दी गयी है। भारत सरकार की उक्त मूल्य उप समिति द्वारा स्लीपरों के मूल्य में वृद्धि कर देने से नीलामों से अधिक राजस्व प्राप्त होने की आशा है। नीलाम स्थगित करने से किसी प्रकार की हानि का तो प्रश्न ही नहीं उठता, प्रदेश शासन को फायदा ही हुआ है।

रेलवे द्वारा बाराबंकी से सोनपुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन (ब्राडगेज) में परिवर्तन करने से स्लीपरों की मांग इस वर्ष बहुत बढ़ गयी है। इस वर्ष ज्यादा मात्रा में स्लीपर लोड किए जा रहे हैं। अतएव यह और भी आवश्यक था कि मूल्य नीलाम से पहले निश्चित हो जाय।

वस्तु स्थिति की उक्त विवेचना से माननीय सदस्य द्वारा चर्चा हेतु उठाए गए प्रत्येक प्रश्न का समाधान हो जाता है। फिर भी प्रश्नवार स्थिति पुन : स्पष्ट कर देना चाहूंगा :—

(1) गोरखपुर वन प्रभाग की काफी लाटो में स्लीपरों की सप्लाई लोड की जाती है और यह लोडिंग बिक्री की एक शर्त होती है। लोडिंग का एक महत्वपूर्ण भाग मूल्य है और मूल्य भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय की एक उप समिति द्वारा निश्चित किया जाता है। अतएव नीलाम से भारत सरकार का भी सम्बन्ध हो जाता है।

(2) लाटों से ही, बिक्री शर्त के अनुसार, क्रेता लोडेड मात्रा में रेलवे को स्लीपर सप्लाई करता है। अतएव रेलवे स्लीपर की सप्लाई नीलाम से सम्बद्ध है।

(3) ठेकेदार द्वारा, शर्त के अन्तर्गत, भारत सरकार की उक्त उप समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर लाट से स्लीपरों की सप्लाई करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बाध्य किया जाता है। यह एक निश्चित व निर्धारित प्रथा हमेशा से चली आ रही है।

(4) नीलाम की तिथि पहले बताए गए कारणों से स्थगित की गई जिसे अब अन्तिम रूप से 19 से 24 एवं 26 सितम्बर, 1977 निश्चित कर दिया गया है।

(5) अधिकारियों एवं ठेकेदारों के बीच सौदेबाजी की जो बात माननीय सदस्य श्री सुखपाल पांडेय ने 30 अगस्त को कही थी वह निराधार व असत्य है। यदि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई निश्चित सूचना हो तो वे कृपया लिखकर मुझे दे दें तो मैं उसकी और जांच करा लूंगा।

(6) मुझे विश्वास है कि माननीय श्री ओझा व अन्य सदस्यों की शंकाओं का समाधान हो गया होगा ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 49 के अन्तर्गत माननीय सदस्य ने कुछ प्रश्न उठाए थे लेकिन माननीय मन्त्री जी ने यहां पर एक लिखित वक्तव्य पढ़ दिया। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इन प्रश्नों पर अधिकारियों द्वारा लिखित वक्तव्य पढ़ा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

नियम 49 में स्पष्ट दिया हुआ है कि माननीय सदस्य एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का पुरःस्थापन करेंगे और सम्बद्ध मन्त्री उसका संक्षेप में उत्तर देंगे। वे अपने वक्तव्य को लिखा हुआ दे सकते हैं, उसके बाद अन्य सदस्य स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तो इसलिए इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता है। आप इस पर विवाद कर रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, जो प्रश्न उठाया गया उसका छप कर उत्तर आ गया।

श्री अध्यक्ष—

यह उत्तर तो देते हैं। उसके बाद में अगर माननीय ओझा जी ....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, जो प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि वक्तव्य पढ़ दिया गया, उद्धरण तो फाइल से दिया जा सकता लेकिन जहां तक मुझे मालूम है इस प्रकार से कोई लिखित वक्तव्य पढ़ने की परम्परा नहीं रही है। आपके आदेश से ही मैं प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा प्रश्न यह है कि वन मन्त्री जी को मालूम है कि जो नीलामी की तिथि रखी गयी थी उसके स्थगित होने के कारण उस मामले में वहां के बहुत सारे लोगों ने शिकायत गोरखपुर के कन्जरवेटर को की थी। अगर हां, तो उस मामले में मन्त्री जी को क्या जानकारी है और उसका निराकरण किस प्रकार किया गया ?

श्री श्रीचन्द--

मान्यवर, जहां तक शिकायत का प्रश्न है, जिस अधिकारी का नाम लिया उसके सम्बन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

जो तिथि निश्चित की गयी थी नीलाम की उसके कितने दिन के बाद भारत सरकार का पत्र आया और भारत सरकार ने अपने पत्र में क्या कहा कि क्या नीलामी रोक दी जाय या उनके लिए स्लीपरों की व्यवस्था की जाय ? क्या भारत सरकार का वह पत्र मन्त्री जी पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री श्रीचन्द--

मान्यवर, जहां तक तिथि का सवाल है, भारत सरकार का, वह पहली सितम्बर, 1977 को तय हो चुकी थी । उसी दौरान में यह पता चला कि तिथि निश्चित कर दी गयी थी, इसी की वजह से यह नीलाम स्थगित करना पड़ा । क्योंकि अगर हम स्थगित नहीं करते तो मूल्यों में फर्क पड़ता । क्योंकि विभाग ने स्लीपरों की कीमतें बढ़ाने के लिए रेलवे विभाग को दिया था तो वह मामला दो साल से चल रहा था, यह वार्ता चल रही थी और जैसे ही कीमतें बढ़ीं तो इस नीलाम की तारीख फिर से बढ़वा दी और इस बीच में हम जल्दी से करना चाहते थे, लेकिन ठेकेदारों की शिकायत थी कि रमजान बीच में पड़ जाता है तो इस तिथि को हटा दिया जाय । इसीलिए यह निश्चित कर दी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसा समझता हूं कि मन्त्री जी स्वयं इस मामले में दिमाग साफ नहीं कर पा रहे हैं । मैं बार-बार कहता हूं, मेरा प्रश्न सीधा है कि जब वन विभाग के लोगों को मालूम था कि रेलवे स्लीपरों की खरीद होगी, दाम कम हैं तो बिना केन्द्रीय सरकार के निर्देश के वह तारीख तय ही क्यों हुई ? जब उनको मालूम था कि केन्द्रीय सरकार स्लीपर खरीदेगी, दाम बढ़ेंगे स्लीपरों के, मौजूदा दाम कम हैं फिर नीलाम की डेट क्यों तय की गयी ? अगर की गयी तो भारत सरकार के निर्देश के बाद मूल्यांकन समिति की जरूरत क्या पड़ी ?

श्री श्रीचन्द--

विभाग को विश्वास था कि सितम्बर से पहले ही यह मूल्य निर्धारण कमेटी जो उप समिति है वह भारत सरकार की कीमतों को तय कर देगी मगर दुर्भाग्य से वह समिति की बैठक नहीं हो सकी जिसकी वजह से स्थगित करना पड़ा ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब आप जानते हैं कि 49 का नियम जो है तो उसके अन्तर्गत माननीय ओझा जी ने प्रश्न किया, उसका उत्तर दिया गया ? फिर बाद में माननीय ओझा ने अपना प्रश्न किया । अभी 5 मिनट हैं, वैसे नियम तो नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

आधे से ज्यादा समय तो वक्तव्य में चला गया ।

श्री अध्यक्ष--

अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको असन्तोष है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, उससे साफ हो जायगा। मामला बड़ा साफ होता चला जा रहा है, मेरी शंकाएं मजबूत होती चली जा रही हैं, मन्त्री जी को अफसरों ने बताया है कि इस बात की सम्भावना थी कि सितम्बर के पहले सप्ताह में मूल्य निर्धारण समिति की बैठक हो जायगी। यह सारी जो प्रक्रिया है काम करने का तरीका, हमारे इस सन्देह को मजबूत करता है कि अफसरों की साठ-गांठ प्रदेश के बाहर के किसी भारत के कान्ट्रेक्टर से रही है और इस बीच में मामला तय नहीं हो पाया, इसलिए नीलाम की तारीख हटानी पड़ी। इसलिए मैं आपकी इजाजत से माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि क्या इस मामले की पूरे तरीके से जांच करायेंगे।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मन्त्री जी, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को शंका यह है कि तिथि मुल्तवी की गयी। वैसे मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि एक ऐसे मुकदमे का ब्रीफ माननीय मन्त्री को दिया गया है जो पहले उनके सामने नहीं था। यह ऐसा ब्रीफ है जिसकी रक्षा करने में भी उन्हें कठिनाई है। माननीय मन्त्री जी, इसमें आप जांच करायेंगे कि इसमें कोई घोटाला तो नहीं है ? आप उत्तर दीजिए।

श्री श्रीचन्द---

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि अगर वह मुझे निश्चित रूप से यह लिख कर बता दें कि इसमें घोटाला है तो में पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं जांच करा लूंगा।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मन्त्री जी, सदन में जब माननीय ओझा जी का निश्चियात्मक कथन है कि इस मामले में घोटाला है तो लिखने की जरूरत नहीं है।

श्री श्रीचन्द---

जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उसमें पूरी तरह से मैं जांच करवा सकता हुं और आश्वासन दे सकता हूं कि उसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष---

उठने से पहले सचिव जी आपको 13 और 14 सितम्बर, 1977 का कार्य-क्रम बतला देंगे जिससे कि आसानी रहे।

सदन के कार्य-क्रम की सूचना

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह सूचना देता हूं कि 13 और 14 सितम्बर, को निम्नलिखित अनुदानों पर विचार होगा :---

13 सितम्बर, 1977

अनुदान संख्या 9---भूमि और भवन कर ।

अनुदान संख्या 35---नगर विकास ।

[सचिव, विधान सभा]

अनुदान संख्या 66--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान ।

अनुदान संख्या 69--स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण।

अनुदान संख्या 74--सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।

अनुदान संख्या 91--ऋण और अग्रिम--स्वायत्त शासन ।

अनुदान संख्या 92--ऋण और अग्रिम--सहायता एवं पुनर्वासन।

यह स्वायत्त शासन से सम्बन्धित अनुदानों के लिए एक दिन रखा गया है ।

14 सितम्बर, 1977

अनुदान संख्या 43--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्र ।

अनुदान संख्या 76--विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय।

पर्वतीय विकास मन्त्री से सम्बन्धित ये अनुदान 14 तारीख को लिए जायेंगे।

बाकी प्रोग्राम माननीय सदस्यों को अलग से दे दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, 12 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 58 मिनट पर सोमवार, 12 सितम्बर, 1977 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
8 सितम्बर, 1977 ।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 710 पर)

परिशिष्ट 1

नगर महापालिका, लखनऊ के उन कर्मचारियों की सूची जो वर्ष 1974, 1975, 1976 एवं 1977 (31 जुलाई) तक सेवा-निवृत्त हुए और जिन्हें पेंशन स्वीकृत हो चुकी है।

क्रम-संख्या	नाम कर्मचारी	सेवा-निवृत्ति तिथि	पेंशन स्वीकृति की तिथि	विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री शान्ती प्रसाद ..	1-1-1974	11-2-1974	
2	श्रीमती भुवनेश्वरी सक्सेना	1-2-1974	1-2-1975	..
3	श्री गौरी शंकर ..	12-2-1974	17-2-1976	..
4	श्री शारदा प्रसाद वर्मा	1-3-1974	26-11-1974	..
5	श्री राम दास ..	7-3-1974	24-11-1975	..
6	श्री इरशाद हुसैन ..	10-3-1974	4-9-1975	..
7	श्री राम मूरत लाल ..	2-5-1974	20-11-1974	..
8	श्रीमती असगरी वेगम विधवा स्व0 अहमद अली।	4-5-1974 (मृत्यु)	21-2-1976	..
9	श्री गोपाल नरायन माथुर	17-5-1974	16-12-1975	..
10	श्री विश्वनाथ प्रसाद ..	1-6-1974	29-1-1976	..
11	श्री सै0 रियाज हुसैन ..	8-6-1974	12-3-1975	..
12	श्री शम्भू दयाल सिंह ..	27-6-1974	17-5-1976	..
13	श्री हिम्मत सिंह ..	1-7-1974	23-12-1975	..
14	श्रीमती सूरज नेहरू ..	1-7-1974	29-1-1976	..
15	श्री हुकुम चन्द शर्मा ..	1-7-1974	19-5-1976	..
16	श्री रमेश चन्द्र शुक्ला ..	1-7-1974	25-5-1976	.
17	श्री सोने लाल दीक्षित ..	1-7-1974	25-5-1976	..
18	श्री साजिद मिर्जा ..	1-7-1974	27-5-1976	..
19	श्री शहरयार मिर्जा ..	1-7-1974	30-4-1977	..
20	श्री मेंहदी अली ..	9-7-1974	27-5-1976	..
21	श्री राम आसरे ..	16-7-1974	10-5-1976	..
22	श्री राम शंकर लाल ..	23-7-1974	27-1-1976	..
23	श्री राम सरन लाल ..	10-8-1974	31-5-1975	..
24	श्री मो0 अली खां ..	2-9-1974	16-7-1976	..

1	2	3	4	5
25	श्री विन्द्रा प्रसाद	20–10–1974	5–2–1976	..
26	श्री भगवानदीन	13–11–1974	30–4–1977	..
27	श्री मो0 अहमद	18–11–1974	26–9–1976	..
28	श्री उमराव खां	6–12–1974	5–5–1976	..
29	श्री मो0 शमीम	15–12–1974	21–8–1976	..
30	श्री जगदीश प्रसाद अस्थाना	20–12–1974	27–5–1976	..
31	श्री बृजलाल	1–1–1975	19–8–1975	..
32	श्री शफी उल्ला	16–1–1975	28–2–1977	..
33	श्रीमती इदुल निसां, विधवा स्व0 रमजान खां ।	25–1–1975 (मृत्यु)	30–6–1975	..
34	श्री त्रिलोकीनाथ श्रीवास्तव	1–2–1975	23–7–1976	..
35	श्री देवी प्रसाद अग्रवाल	5–3–1975	20–11–1976	..
36	श्री राम शंकर श्रीवास्तव	9–4–1975	21–6–1976	..
37	श्रीमती गुच्ची चकवस्त, विधवा स्व0 श्री एम0 के0 चकबस्त ।	10–4–1975 (मृत्यु)	16–6–1975	..
38	श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव	30–4–1975	14–4–1976	..
39	श्रीमती महताब जहां, विधवा स्व0 अता उल्ला ।	13–6–1975 (मृत्यु)	18–1–1976	..
40	श्रीमती सावित्री देवी, विधवा स्व0 महेश प्रसाद ।	15–6–1975 (मृत्यु)	21–1–1977	..
41	श्री दुर्गा दत्त त्रिवेदी	1–7–1975	25–5–1976	..
42	श्री मो0 अस्करी	14–9–1975	19–10–1976	..
43	श्री फजल अहमद	21–10–1975	19–10–1976	..
44	श्री जगदेश्वरी प्रसाद निगम	28–10–1975	11–6–1976	..
45	श्री मकबूल अहमद	20–12–1975	25–5–1976	..
46	श्रीमती साधना शुक्ला, विधवा स्व0 रामदूत शुक्ल ।	7–1–1976 (मृत्यु)	27–2–1976	..
47	श्री केवल किशोर	7–6–1976	30–6–1977	..
48	श्रीमती भगवानदेवी, विधवा स्व0 श्री कृपाल ।	27–8–1976 (मृत्यु)	30–4–1977	..
49	श्री अब्दुल जब्बार	1–12–1976	30–6–1977	..

पी0एच0यू0पी0—एल0 334 वि0सभ (745)—1977—8401